हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

15.09.2020/1100/SS-AS/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ। ...(व्यवधान)... श्री राजेन्द्र राणा जी, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया है यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हिमाचल प्रदेश में लगातार सम्पत्तियों के बेनामी के सौदे हो रहे हैं। यह लगातार समाचार-पत्रों में आ रहा है। ...(व्यवधान)... इसके बारे में यहां चर्चा होनी चाहिए जो बेनामी सौदे हो रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाह रही है। मेरे पास कई ऐसी सूचियां हैं जिनके नाम रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं उनकी जमीन 4 से 5 कैनाल है। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : राजेन्द्र राणा जी, मेरी बात सुनिये।

श्री राजेन्द्र राणा : हम लोग जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो इस प्रकार जमीनें खरीद रहे हैं।

अध्यक्ष : यह प्रश्न काल महत्वपूर्ण है।

श्री राजेन्द्र राणा : धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के साथ 40 कैनाल जमीन खरीदी गई है और ऐसे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाई गई है जिसकी आमदन का कोई साधन नहीं है। ...(व्यवधान)... आप देखिये, मेरे पास यह रजिस्ट्री है, अगर आप कहें मैं इसे यहां पर पेश कर देता हूं। ...(व्यवधान)... आप यह देखिये कि सौदे में 75 लाख रुपये की रजिस्ट्री है। ...(व्यवधान)... दूसरा इसके अलावा 2300 कैनाल जमीन पालमपुर में खरीदी गई है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं।

अध्यक्ष : बात सुनिये, आप इस प्रकार से कोई बनावटी बात मत करिये और सत्र में ऐसी सनसनी पैदा मत करिये।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, कोई सनसनी नहीं है। आप यह बताएं कि मैं कौन-सा रिकॉर्ड सदन में पेश करूं।

15.09.2020/1100/SS-AS/2

अध्यक्ष : ठीक है, आप रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दीजिए और यहां रख दीजिए। ...(व्यवधान)... आपके पास जो रिकॉर्ड है वह यहां रख दीजिए। मैं आपकी बात कहां नहीं सुनता हूं और आपको हमारे से हमेशा यही शिकवा रहता है कि स्पीकर बात ही नहीं सुनते हैं।

श्री राजेन्द्र राणा : सरकार ऐसे लोगों को बचाना चाह रही है। ...(व्यवधान)...

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1105/**केएस/एएस**/1

श्री राजेन्द्र राणा जारी---

...(व्यवधान) आज जमीनें खरीदी जा रही हैं। पूरे कांगड़ा में जमीनों के सौदे हो रहे हैं। सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती? अध्यक्ष महोदय, हमें इस पर चर्चा करने का समय दिया जाए। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया आप लोग बैठिए। नियम-67 के अंतर्गत सर्वश्री राजेन्द्र राणा, इन्द्र दत्त लखनपाल, नन्द लाल, मोहन लाल ब्राक्टा तथा श्री जगत सिंह माननीय सदस्यों से आज प्रातः 9:24 बजे नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है कि प्रदेश में बेनामी सम्पत्तियों, जमीनी सौदों की खरीद-फ़रोख्त में हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर यह सदन तत्काल चर्चा करें। यह नोटिस मुझे समय पर प्राप्त हुआ है। इसको मैंने टिप्पणी हेतु सरकार को प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार का उत्तर प्राप्त होगा, वैसे ही इस पर मैं अपना निर्णय दूंगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? ...(व्यवधान)

अध्यक्षः आपने विषय रख दिया है। जब सरकार का उत्तर आएगा तो मैं उस पर चर्चा का समय दूंगा। अभी आप लोग बैठिए।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि पिछले तीन सालों में सरकार ने, मंत्रियों ने कितनी सम्पत्ति खरीदी? क्या-क्या खरीदी और अपने रिश्तेदारों के नाम कितनी सम्पत्ति खरीदी, यह रिपोर्ट सदन में रखें क्योंकि यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्षः राणा जी, बैठिए। प्रश्नकाल आरम्भ। ...(व्यवधान) जवाब के बारे में तो मैंने कहा है कि जो मुझे नोटिस आया है, उसको मैंने सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया है। ...(व्यवधान)

15.09.2020/1105/केएस/एएस/2

ऐसा है कि नियम-67 के ऊपर तो कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं आएगा। मैंने सरकार को मामला टिप्पणी हेतु प्रेषित कर दिया है। सरकार इस पर उत्तर देगी, उसके पश्चात इस पर चर्चा होगी।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, क्या इसी सत्र के दौरान इसकी व्यवस्था हो जाएगी? अगर नहीं होगी, तो हम फिर कहां चर्चा करेंगे?

अध्यक्षः वैसे तो माननीय सदस्य महोदय, जब इस चेयर ने कह दिया है और आपके पास अगर प्रमाण है तो यहां सदन के पटल पर रख दें। उसकी छानबीन कर लूंगा, जांच पड़ताल करुंगा। ...(व्यवधान) बैठिए। अब आज के प्रश्न श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी द्वारा प्राधिकृत माननीय श्री राजेन्द्र राणा जी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15-9-2020/1110/av/dc/1

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार पाक-साफ है तो इस विषय पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? आप मुझे पांच मिनट का समय दीजिए, बात खत्म। ...(व्यवधान) सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाह रही है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे आपकी तरफ से जो नोटिस आया है मैंने उसे सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजा है। ...(व्यवधान) आप, बैठ जाइए। ...(व्यवधान) मैंने नियम-67 के तहत कोरोना महामारी पर आपके नोटिस को चर्चा हेतु स्वीकार किया और वह जरूरी भी था। ...(व्यवधान) यहां पर यह कहना कि बहुतों के ऊपर आरोप हैं; सदन में इस प्रकार की हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास तथ्य हैं तो आप उनको सदन के पटल पर रख दीजिए। मैंने आपके नोटिस को सरकार के पास टिप्पणी हेतु भेजा है और टिप्पणी आने के बाद मैं इसको अलाऊ करूंगा। ...(व्यवधान) आप लोग बैठ जाइए। ...(व्यवधान) आप लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्य राजेन्द्र राणा जी, आपका प्रश्न लगा हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको मौका दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर): अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो बेनामी सौदे हो रहे हैं आज उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय और कोई नहीं हो सकता। हम इस पर चर्चा चाह रहे हैं। ...(व्यवधान)

(विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

15-9-2020/1110/av/dc/2

प्रश्नकाल आरम्भ

प्रश्न संख्या : 3126

अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल आरम्भ कर रहा हूं।

माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा प्राधिकृत श्री राजेन्द्र राणा।

श्री राजेन्द्र राणा : प्रश्न नहीं पूछा गया।

(कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए वॉकआऊट करके बाहर चले गये।)

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री **श्री टी सी द्वारा जारी**

15.09.2020/1115/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के 70 लाख जनता ने इस सदन में चर्चा करने के लिए 68 सदस्यों को चुनकर भेजा है। सरकार संविधान और नियमों के अनुसार चलती है। विधान सभा की अपनी नियमावली है और उसके अनुसार सरकार चलती है। माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। नियम-67 के अंतर्गत इस माननीय सदन में कोविड-19 के ऊपर चर्चा उठाई गई। आपने इस अध्यक्षपीठ से और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के नेता के रूप में नियम-67 के तहत भी यहां पर चर्चा दी जिसके अंतर्गत तीन दिन तक चर्चा चलती रही । उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो घंटे का जवाव दिया है। यह अन-प्रीसिडेंटिड है, आजकल सारे हिन्दुस्तान में विधान सभाओं के सत्र चल रहे हैं और कहीं पर भी तीन दिन से ज्यादा सैशन नहीं चल रहा है। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा एकमात्र ऐसी विधान सभा है, जहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे 10 दिन का सैशन बुलाया है और विपक्ष को पूरे आजादी दी है कि जनता के इश्यूज को इस माननीय सदन में उठाया जाए। अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अंतर्गत प्रश्न काल सहित सारी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, जिसका अर्थ है कि वह इतना महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए जिसके लिए सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही बंद की जाये। ऐसा विषय कोविड-19 था जिस पर आपने इनको (विपक्ष) चर्चा दी है। लेकिन हर दिन केवल नारे लगाने, सुर्खियों में बने रहने के लिए और अखबारों में इनकी खबर आ जाए, उसके लिए नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दे रहे हैं। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है, जो भी खड़ा हो जाता है, वह एक नोटिस दे देता है और दूसरों को उसके बारे में पता भी नहीं होता है। इस बहाने से ये सदन से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति जनता के हितों पर कुठाराघात है। जनता की समस्याओं को लेकर यहां पर चर्चा होनी चाहिए थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और प्रदेश के हितों की यहां सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। आज इतने प्रश्न लगे हैं, इतने दिनों से

15.09.2020/1115/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

प्रश्न काल नहीं हो पा रहा है। आम जनता और इस सदन के सदस्यों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या प्रश्न काल चलाया जाए क्योंकि एक प्रश्न का उत्तर यहां सदन में देने तक उस पर हजारों-लाखों रुपया खर्च होता है। इतने लाखों रुपयों का नुकसान रोजाना प्रदेश की जनता का प्रश्न काल को बंद करने के कारण हो रहा है। आज भी नियम-67 के तहत जो नोटिस दिया है। have received copy of that notice. उसमें कोई भी तथ्य नहीं दिए हैं। उसमें लिखा है कि बेनामी जमीन और बेची जा रही जमीन पर चर्चा की जाये। जो नोटिस होता है उसके साथ एविडेंस भी देने पड़ते हैं। लेकिन उसमें कोई भी कागज नहीं लगा हुआ है। सारे हिमाचल, हिन्दुस्तान और दुनिया का ठेका इन्होंने ले रखा है। कौन-सी जमीन है, क्या है, उसके बारे में उस नोटिस में कुछ भी नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही कहा है कि इनके द्वारा दिया गया नोटिस टिप्पणी के लिए भेजा है और वह अधिकारियों को दे दिया है। अधिकारी उस पर अपनी टिप्पणी सहित प्रस्तुत करेंगे। जिस भी नियम के तहत उस पर चर्चा करना संभव होगा, वह करेंगे। लेकिन अध्यक्ष की रूलिंग की अवहेलना करना, उसको डिफाई करना और अध्यक्ष के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ जाना, यह अनप्रीसिडेंटिड है, अलोकतांत्रिक है जिसके लिए जितनी ज्यादा इनकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। यहां जनता के प्रश्नों का उत्तर न आ सके उस पर चर्चा न की जा सके, इनका इस प्रकार का व्यवहार अशोभनीय है। इसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री अपनी बात रखेंगे।

15.09.2020/1115/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब यह सत्र शुरू हो रहा था तो उस व़क्त एक प्रश्न यह आया था कि सत्र छोटा किया जाए। यह भी एक प्रश्न आया था कि बाकी प्रदेशों में एक, दो या ज्यादा से ज्यादा तीन दिन का सत्र हो रहा है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

15.09.2020/1120/RKS/HK-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

यह भी विषय आया कि क्या इस सत्र के दौरान हमें प्रश्न काल रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि प्रश्नों की सूचना एकत्रित करने में बहुत से अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और इस कोरोना काल में क्या यह उचित रहेगा, इस बात पर भी विचार किया गया। कोरोना की वजह से हमें बजट सत्र बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। इस दृष्टि से हमने यह निर्णय लिया कि मॉनसून सत्र लम्बा होना चाहिए। आमतौर पर यह सत्र 5-6 दिन चलता था परंतु हमने इसे 10 दिन तक चलाने का निर्णय लिया। इस सत्र में हमने प्रश्नकाल के अतिरिक्त अन्य चर्चाएं भी अलाउ की हैं। नियम-67 के अंतर्गत विपक्ष की ओर से जो स्थगन प्रस्ताव आया था उस पर भी चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव कब लाया गया और कब इस पर चर्चा हुई यह बात इस माननीय सदन के इतिहास में लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इससे पहले भी कई बार स्थगन प्रस्ताव लाये गए लेकिन नियम-67 में यह चर्चा पहली बार हुई है। यह बिषय बहुत तर्कसंगत था और आज की परिस्थिति को देखते हुए इस पर चर्चा होना आवश्यक थी । इस विषय पर चर्चा के दौरान जो माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आए हैं उनसे हम आने वाले समय में और बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। विपक्ष के लोगों ने नियम-67 के

अंतर्गत चर्चा तो उठाई लेकिन ये लोग अपनी बात तर्क के साथ नहीं कह सके। इन्होंने नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया और नोटिस देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने यह व्यवस्था दे दी कि हमने इसे सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा। आप आधा घंटा पहले नोटिस दें और आधे घंटे बाद सरकार इसकी इंफोर्मेशन उपलब्ध करवा दें यह सम्भव नहीं है। क्योंकि यह मुद्दा पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में जो सूचना चाहिए उसे एकत्रित करने में वक्त लगेगा। आपने जो व्यवस्था दी है उसके अनुरूप हमने इन्हें जवाब भी दिया है परंतु फिर भी ये लोग

15.09.2020/1120/RKS/HK-2

मान नहीं रहे हैं। विपक्ष इस माननीय सदन की गरिमा को एक बार नहीं अपितु अनेकों बार ठेस पहुंचा चुका है। जब हम प्रातः विधान सभा सचिवालय पहुंचे तो हमें यह मालूम पड़ा कि विपक्ष के लोग माननीय अध्यक्ष के कार्यालय के दरवाजे के बाहर धरने पर बैठे हैं। हमें इस विधान सभा के अंदर काम करते-करते 23 साल हो गए परंतु हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जिस विषय पर ये चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर आप चर्चा दे रहे हैं। जिस प्रश्न को ये पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को पूछने के लिए आप इन्हें अनुमति दे रहे हैं। सरकार सारी उपयुक्त सूचनाएं प्रस्तुत कर रही हैं और ऐसी परिस्थिति में जो करने की आवश्यकता नहीं थी वह करने की जरूरत इनकों क्यों अनुभव हो रही है? आज इनको लगा कि खबर कैसे बनाई जाए, इसके लिए यह तरीका अख्तियार करने की कोशिश की गई। आपके आसन के खिलाफ इन्होंने कल भी टिप्पणियां की और इससे पहले भी टिप्पणियां की हैं जोकि एक अच्छी परंपरा नहीं है। जिस तरह की यह परिस्थिति बनती जा रही है आने वाले समय में यह चीज आदत का हिस्सा बन जाएगी। हम सबको इसे रोकने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष के कार्यालय के दरवाजे के बाहर धरने पर बैठना हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष से अपनी बात कहने व अपना पक्ष रखने के लिए सभी दलों के लोग जा सकते हैं, यह उनका अधिकार है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1125/बी0एस0/एच0के/-1

मुख्य मंत्री जारी...

लेकिन इस प्रकार से दरवाजे पर धरने पर बैठना, यह मैंने पहली बार देखा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इन्हें अनावश्यक रूप से अपनी बात दर्ज करनी थी उसे दर्ज कर लिया गया है। पीठ ने अपनी व्यवस्था दे दी थी कि अभी सरकार के पास इस विषय को टिप्पणी के लिए भेजा गया है और इतना ही पर्याप्त था। मुझे लगता है कि खबर बनाने के लिए सदन से बाहर जाना यह उचित नहीं है और यह रोजाना का एक हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं और यह जो वॉकआउट किया है मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने क्या किया है। पहले यह होता था कि माननीय सदन में विपक्ष के नेता बोलते थे कि हम वॉकआउट कर रहे हैं वह रिकार्ड पर बात को लाने की एक व्यवस्था रहती है। यहां पर कौन माननीय सदस्य बोल जाए कोई पता नहीं चलता। नेता कौन है इसका ही पता नहीं चल रहा है। आज माननीय नेगी जी कह कर चले गए कि "हम वॉकआउट कर रहे हैं" किसी दिन और माननीय सदस्य यह कह कर चला जाता है। मुझे लगता है कि इस पार्टी में भी नेतृत्व के प्रति आस्था समाप्त हो गई है और व्यवस्थाएं चरमारा गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस दल का क्या हाल है? टुकड़ों में यह समाप्त हो रही है। कुछ लोग इस पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। इन्हें एक परिवार से बाहर निकलना चाहिए। उनके ही राष्ट्रीय स्तर के महासचिव कहते हैं कि यह पार्टी 50 वर्ष तक सत्ता में नहीं आएगी। जो लोग इनकी पार्टी में राष्ट्र स्तर के मंत्री रहे हैं वे लोग इन बातों को कह रहे हैं। इसलिए हमें इस बारे में ज्यादा नहीं कहना है परंतु माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन में व्यवस्थाएं हैं उनका सम्मान न करना और बार-बार इस तरह का व्यवहार करना, यह आदत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसलिए आज जो आपने व्यवस्था दी है मैं उसका सम्मान करता हूं और यहां पर वॉकआउट किया है वह अनावश्यक है उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, धन्यवाद।

15.09.2020/1125/बी0एस0/एच0के/-2

प्रश्नकाल

प्रश्न संख्याः 3127

श्री रमेश चंद ध्वाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विगत तीन वर्षों में नियम-118 के अन्तर्गत कितने उद्योगों को लगाने के लिए कितने उद्योगपतियों को भूमि प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई और ऐसे कितने मामले लंबित है? ऐसे प्रकरण एकल खिड़की की व्यवस्था के नीचे स्वीकृत किए जा रहे हैं या नहीं, इस व्यवस्था में क्या बदलाव लाए जा रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऑन लाइन और ऑफ लाइन बहुत सारे केसिज हैं।

(कांग्रेस दल के माननीय सदस्य माननीय सदन में वापिस आए)

सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि 45 दिन के अन्दर-अन्दर छोटे उद्योगों के लिए अनुमति मिल जाएगी। लेकिन 6-6 महीनें तक यह अनुमति नहीं मिल रही है। यह मामले कभी जिलाधीश महोदय के पास और कभी सरकार के पास पड़े हैं। इसमें माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे? और यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी में उद्योग लगाना चाहता हैं इस तरह के मामलों में भी स्वीकृति लेनी हो तो उन्हें ऑन लाइन ऑफ लाइन स्वीकृति मिल सकती है?

शहरी विकास मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इन्होंने पूछा है कि पिछले तीन साल से नियम-118 के अर्न्तगत कतनी स्वीकृतियां दी गई हैं?

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1130/वाई.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3127 ..... शहरी विकास मंत्री जारी.....

और इसमें क्या सरलीकरण किया गया है, विशेष रूप से औद्योगिकिकरण की दृष्टि से। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने दिनांक 01 जनवरी, 2018 के बाद प्रभावी रूप से सरकार बनाई व चलाई है। इस दौरान तय किया गया है कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भी आगे बढ़े और इसकी आर्थिकी सुदृढ़ हो। औद्योगिकिकरण के लिए तात्कालिक प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश को एक औद्योगिक पैकेज दिया था। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में औद्योगिकिकरण की जो स्थिति है वह उसी पैकेज के कारण है। विश्व भर से उद्योग हिमाचल प्रदेश में लगने शुरू हुए थे जिसके कारण हिमाचल प्रदेश आज पूरे एशिया में pharmaceutical के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक हब बन कर उभरा है। लेकिन जब यू.पी.ए. की सरकार केन्द्र की सत्ता में आई तो उन्होंने इस पैकेज को समाप्त कर दिया था। उसके कारण औद्योगिकिकरण में स्लो डाऊन हो गया। उसके बाद पांच वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। उन पांच वर्षों में वे इंवेस्टर मीट के लिए पूरे भारत में घूमें, जगह-जगह रोड़-शो किए गए और उसमें लगभग 88 लाख रुपये का खर्चा किया गया। लेकिन उसके बाद जब वे घूम-फिर कर हिमाचल प्रदेश में वापिस आए तो उद्योग को भूल गए। उन पांच वर्षों में कोई भी कार्य नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में इंवेस्टर आएं और इंवेस्ट करें, यहां पर औद्योगिकिकरण बढ़े और यहां के नौजवानों को रोज़गार प्राप्त हो सके तथा हिमाचल प्रदेश उद्योग व आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राज्यों की श्रेणी में पहूंच जाए इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने इंवेस्टर्स को आमन्त्रित करना आरम्भ किया। इस सब के लिए इंवेस्टर मीट का आयोजन किया गया जोकि बहुत सफल रहा था। उसमें सारे विश्व से इंवेस्टर व अन्य लोग आए थे। औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत आवश्यक था कि हिमाचल प्रदेश में इंवेस्टर्स के लिए माहौल को अनुकूल बनाया जाए।

15-09-2020/1130/वाई.के.-एन.जी./2

हमने माहौल को अनुकूल बनाया और उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश 'Ease of Doing Business' के मामले में 17वें स्थान से बढ़ कर 7वें स्थान पर पहूंच गया है। जिसका

सम्पूर्ण श्रेय माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर और इनकी सरकार को जाता है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें धारा-118 Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 के अंतर्गत एक महत्पवूर्ण अंग है। जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में बाहर का व्यक्ति व non-agriculturists जमीन नहीं खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी, ट्राइबल नेचर, हिली एरिया आदि के कारण यह प्रावधान रखा गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकिकरण हो इसके लिए कुछ सरलीकरण किया जाए ऐसा हमेशा से कहा जाता रहा है। इसलिए धारा-118 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है लेकिन कुछ सरलीकरण अवश्य किया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि वर्ष 2018 से लेकर आज तक कितने केसिस आए हैं? मैं बताना चाहता हूं कि दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 अगस्त, 2020 तक हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-118 के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों के लिए जो अनुमतियां प्रदान की गई हैं वह कुल 417 हैं। औद्योगिक इकाइयों, अपार्टमेंट हाउसिंग, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक कार्यों, बागवानी व कृषि, हाईड्रो प्रोजैक्ट्स, धार्मिक कार्यों, पर्यटन, स्टॉल अन्य आदि बनाने के लिए अनुमतियां दी गई हैं। रिहायश के लिए जो अनुमतियां दी गई हैं वह इसके अतिरिक्त हैं।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

15/09/2020/1135/MS/YK/1

प्रश्न संख्याः 3127 क्रमागत---शहरी विकास मंत्री जारी------

जिनकी संख्या 388 है। इनके पांच साल के कार्यकाल में वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक इन्होंने 543 जो मैंने विषय बताए हैं, उनकी संख्या है और 844 संख्या हाउसिंग की है। ये टोटल मिलाकर 1387 इनके कार्यकाल के हैं। हमने केवल नियम में सरलीकरण किया है। पहले उद्योग लगाना होता था तो उद्योगपतियों को बहुत से विभागों, जैसे जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग और अन्य भी कई विभागों से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती थी। ज़मीन होती नहीं थी और ज़मीन के पर्टिकुलर खसरा नम्बर देने पड़ते थे। इसलिए कोई भी उद्योग और

हाइड्रो प्रोजैक्ट सालों-साल चले जाते थे लेकिन नहीं लग पाते थे। इसलिए उसमें सरलीकरण किया है यानी एक नियम में परिवर्तन किया है, ऐक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। नियम सरल करने से अब ज़मीन की अगर किसी को एक खिड़की व्यवस्था में स्वीकृति प्रदान हो जाती है तो वह बाकी एन.ओ.सीज.उसके बाद लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की है बाकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन कानून में नहीं किया है। केवल-मात्र सरलीकरण प्रोसिजर में किया है यानी प्रोसिजर थोड़ा आसान कर दिया है। पहले पटवारी से लेकर फाइनैंशियल कमिशनर तक केस जाता था, उसमें अब सरलीकरण किया है। इतनी ही व्यवस्था इसमें की है।

श्री अरुण कुमार : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक प्रश्न का जवाब दिया है लेकिन मैं इनसे केवल यह जानना चाहता हूं कि धारा-118 के कितने केस लम्बित हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाएगी?

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसेकि मैंने पहले भी कहा है कि हमने नियम में सरलीकरण कर दिया है। धारा-118 के अंतर्गत लम्बित केसिज में 87 केसिज अभी पैंडिंग हैं और 122 केसिज जिलाधीशों को विभिन्न कारणों से वापिस भेजे गये हैं। टोटल 87 केसिज केवल पैंडिंग हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है। यदि औपचारिकतायें पूर्ण होंगी तो उनको शीघ्र ही स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। बाकी जो बिना कोडल फॉर्मेलिटिज पूरी किए हुए केस आए थे, वे वापिस कर दिए हैं।

15/09/2020/1135/MS/YK/2

अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी।

श्री विक्रमादित्य सिंह : इस प्रश्न का जवाब तो कृषि मंत्री जी ने देना है। (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी के द्वारा प्रश्न पढ़ने पर बोलते हुए)।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपको जानकारी नहीं है कि ये ही कृषि मंत्री हैं। माननीय सदस्य विक्रमादित्य सिंह जी, आप एक मिनट बैठिए। आपको बोलने के लिए समय देंगे,

आप एक मिनट के लिए बैठिए। प्रश्न पूछने से पहले हाथ खड़ा करते हैं इसलिए पहले आप हाथ खड़ा कीजिए।

माननीय सदस्य जे0के0 द्वारा---

15.09.2020/1140/JK/AG/1

प्रश्न संख्याः 3128

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक सब्जी मण्डी मेरे निर्वाचन क्षेत्र टूटू में है, यह पिछले चार साल से बन रही है। हर विधान सभा सत्र में यह प्रश्न लगता है कि इस सब्जी मण्डी का क्या हो रहा है? पहले तो इसकी 5 करोड़ 39 लाख रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी। According to the answer, now the revised administrative approval is Rs. 3.75 crores. इसमें सरकार हर बार घीसा-पीटा ज़वाब दे देती है। इसमें कुछ एस.जे.वी.एन.एल. के ढारे हैं जो कि खाली हैं। ये ढारे आज से करीब 20 साल से वहां पर हैं जिनका कोई यूज़ एस.जे.वी.एन.एल. नहीं कर रही है। वास्तव में इसके कुछ पार्ट में गऊशाला है और वह गऊशाला संघ चालक के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका हमें कोई ऑब्जैक्शन नहीं है, अच्छी बात है, वे उसको चलाएं, but not at the cost of the construction of the sabji mandi जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, जैसा कि आपने कहा कि सरकार के माध्यम से आ चुकी है। जब भी इसमें कुछ कार्य होना होता है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी आज से 6 महीने पहले उस एरिया में आए थे। इन्होंने वहां पर मंच के माध्यम से घोषणा की थी कि शीघ्रातिशीघ्र इसमें काम शुरू होगा, मगर आज तक इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार से जो रिप्लाई मुझे मिला है, उसमें यही लिखा गया है कि इस मैटर को हाई कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछे।

श्री विक्रमादित्य सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आपकी सरकार के समय में यह सब्जी मण्डी बन पाएगी या नहीं या हम अगली सरकार का इन्तज़ार करें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न की बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूं। दिनांक 29.08.2014 को तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका फाउंडेशन रखा था। लेकिन इसको बार्ड में दिनांक 23.09.2014 को लाया गया। इसके बिना स्वीकृति के वहां पर भूमि पूजन हुआ था। इसकी डी.पी.आर. जो उस समय बनी वह 2,97,00,000/-लाख रुपये की बनी। फिर 21.02.2017 को यह बोर्ड में लाया गया और उस समय इन्हीं की सरकार थी। उस समय इसकी स्वीकृति दी गई कि वहां पर एक ऑक्शन

15.09.2020/1140/JK/AG/2

प्लेटफॉर्म बनेगा, अप्रोच रोड़ बनेगा, पार्किंग एरिया बनेगा और एक वहां पर आर.सी.सी. की रिटेनिंग वॉल लगनी थी और फिर 17.07.2017 को इसका टेंडर हुआ। वह टेंडर अमाउंट 01,62,73,990/-रुपये है। बड़ी विचित्र बात है कि उसको चार महीने का समय दिया गया। उसके बाद उस ठेकेदार को पैनल्टी लगा दी गई। फिर हमने 8.3.2019 को रिसाइंड कर दिया। यानि इस टाइम में मात्र 11.50 परसेंट उसका वर्क हुआ था, जिसकी ठेकेदार को 18,72,000/-रुपये की पेमैंट की गई थी। इसका एफ.सी.ए. का केस भी भेजा हुआ था और इसका शिलान्यास हुआ था, इसका टेंडर हुआ था लेकिन एफ.सी.ए. से वह लैंड क्लीयर नहीं थी। उसका टाइटल क्लीयर नहीं था। लेकिन 16.4.2018 को इसकी इन-प्रिंसिपल अप्रूवल आई और फाइनल अप्रूवल 17.5.2018 को आई। जबकि टोटल लैंड 1.0897 हेक्टेयर यानि 13 बीघा तक वह बनती है। बोर्ड ने फिर से रिवाइज्ड एस्टिमेट पर इसकी स्वीकृति दी है। इसको फिर से बोर्ड में लाया गया। फिर से इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट बना। 3,75,86,000/- रुपये का यह एस्टिमेट बना, जिसमें फिर से ऑक्शन का प्लेटफार्म, 6 दुकानें उसमें ली गई, एच.पी.एम.सी. का वहां पर ऑफिस बनेगा, चौकीदार का वहां पर रूम बनेगा, टॉयलैट ब्लॉक बनेगा और रिटेनिंग वॉल लगेगी। इसकी फिर से 22.06.2020 को अप्रूवल दी लेकिन इसके साथ हमने कहा है कि जब तक इसका टाइटल क्लीयर नहीं हो जाता,

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

15.09.2020/1145/SS-AG/1

प्रश्न संख्या : 3128 क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागत :

अब जो इसकी एंक्रोचमैट है जिस विषय का ज़िक्र माननीय सदस्य विक्रमादित्य जी कर रहे हैं यह कुल 13 बिसवा जगह है इसमें 1972 और 1973 में एच0पी0एस0ई0बी0 ने तीन ढारे/शैड बनाए थे। लेकिन जब एन0जे0वी0एन0एल0 एक कम्पनी बन गई तो इस कम्पनी को इसे हैंडओवर कर दिया गया। जब प्रॉपर्टी का लेना-देना हुआ तो वे ढारे भी उसके साथ चले गए। हमने एस0डी0एम0 के पास केस डाला कि इसकी इविक्शन करवाई जाए और एस0डी0एम0 साहब ने उसकी इविक्शन की। फिर एन0जे0वी0एन0एल0 डिविजनल कमिश्नर के पास मामला गया और वहां से भी इसकी इविक्शन हुई। उसके बाद जब फाइनेंस कमिश्नर के पास केस गया तो वहां से भी इविक्शन हुई। लेकिन उसके बाद एन0जे0वी0एन0एल0 सिविल सूट में चला गया। लेकिन बड़ी विचित्र बात थी कि उसने हमें पार्टी नहीं बनाया और सैक्रेटरी फॉरैस्ट को स्टे ऑर्डर हो गए। सैक्रेटरी फॉरैस्ट फिर से उसकी इविक्शन के लिए सब-जज कोर्ट में गए। फिर वहां से स्टे हुआ। अब जब यह टाइटल क्लीयर नहीं है जिस गऊशाला की ये बात कर रहे हैं जहां पर डी0पी0आर0 बनी है वहां पर गऊशाला का कोई लेना-देना नहीं है। यह बात ठीक है कि उसकी एक बीघा के अंदर एंक्रोचमैंट है। लेकिन जहां एन0जे0वी0एन0एल0 भी कोर्ट में गया है उसका वहां पर स्टे है और वहां पर गऊशाला कमेटी भी कोर्ट में गई है। यानी की दोनों तरफ से हमें स्टे मिला है। हम आउट ऑफ कोर्ट भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक यह टाइटल क्लीयर नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि ऐसे हालात हर जगह होते हैं जब टाइटल क्लीयर के बिना जल्दी-जल्दी में फाउंडेशन स्टोन रख देते हैं। ...(व्यवधान)... फाउंडेशन स्टोन रखा था तब तक फॉरैस्ट क्लीयरैंस नहीं थी। वहां पर उससे पहले की 1972 की एंक्रोचमैंट है इसमें गऊशाला का कोई लेना-देना नहीं है। जो टाइटल सूट एन0जे0वी0एन0एल0 के साथ है जब यह केस डिसाइड होगा हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे।

अध्यक्ष : काफी विस्तार से उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी करेंगे।

15.09.2020/1145/SS-AG/2

प्रश्न संख्या : 3129

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न पर यही कहना चाहूंगा कि हमने इसका उत्तर ऑलरेडी दे दिया है। 2018 में जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र में मेरा एक प्रवास कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में वहां जाना हुआ था। उस विधान सभा क्षेत्र का जो हमारा लड़भड़ोल का इलाका है वह एस0डी0एम0 जोगिन्द्रनगर हैडक्वार्टर से काफी दूर है। यह लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी परिस्थिति में जब मेरा वहां जाना हुआ था तो लोगों ने बहुत जोर से इस बात के लिए आग्रह किया था कि हमको रोज़मर्रा में छोटे-छोटे काम एस0डी0एम0 से पड़ते हैं और उन कामों के लिए हमें जोगिन्द्रनगर अक्सर जाना पड़ता है। जब हम वहां जाते हैं तो कई बार एस0डी0एम0 टूअर पर गए होते हैं तो छोटे से काम के लिए हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। हमारा उनसे मिलना नहीं हो पाता है। कई बार हम मिल करके काम देते हैं तो वह एक बार में काम नहीं होता है तो हमें बार-बार जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय विधायक ने उनके समर्थन में सारी बातों का हमारे समक्ष ज़िक्र किया कि जो एस0डी0एम0 जोगिन्द्रनगर में बैठते हैं वे एक महीने में कम-से-कम चार दिन के लिए लड़भड़ोल में आ करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठें।

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1150/केएस/एएस/1
प्रश्न संख्या-3129 जारी---
मुख्य मंत्री जारी---

हमने लोगों के बीच में वहां पर यह कमिटमैंट की थी, जिसके अनुसार मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमने वहां पर नया एस.डी.एम. ऑफिस खोलने की घोषणा नहीं की इसलिए पद को सृजित करने की उस दृष्टि से आवश्यकता ही नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा न तो अभी तक उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) लड़भड़ोल, जिला मण्डी का कार्यालय स्थापित करने के बारे में अधिसूचना जारी की गई है और न ही उप-मण्डल अधिकारी(नागरिक) लड़भड़ोल, जिला मण्डी के पद का सृजन किया है। सरकार द्वारा जनहित में उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी को महीने में चार दिन लड़भड़ोल में बैठने के दिशा-निर्देश दिनांक 12.11.2018 को जारी किए गए हैं ताकि वहां पर जन साधारण के आवश्यक कार्यों एवं उनकी अन्य समस्याओं का समय पर निष्पादन किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था हमने वहां पर की है और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लोगों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिल रहा होगा।

श्री प्रकाश राणाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही यह रिक्वैस्ट भी करना चाहता हूं कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि महीने के चार दिन एस.डी.एम. लड़भड़ोल में बैठेंगे लेकिन कई महीनों से वे वहां पर नहीं बैठ रहे हैं। मेरी यही रिक्वैस्ट है कि उन्हें इसके लिए निर्देश दिए जाएं। धन्यवाद।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, हमने इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन की है। अगर एस.डी.एम. नहीं जा रहा है तो

15.09.2020/1150/केएस/एएस/2

मैं इस बात को सुनिश्चित करुंगा कि वहां पर जो हमने उनको एक महीने में चार दिन निर्धारित किए हैं, हर हफ्ते में एक दिन, ऐसा हमने उस वक्त कहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन एक महीने में चार दिन उनको लोगों की समस्या के समाधान के लिए जाना ही होगा, यह सरकार का निर्णय है और इसको लागू करेंगे।

प्रश्न समाप्त

15.09.2020/1150/केएस/एएस/3

प्रश्न संख्या 3130

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके लिए तो मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमीरपुर में जो मैडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16.06.2018 को रखा था। सवा दो साल हो गए हैं, हर बार विधान सभा में यह प्रश्न लगता है लेकिन इस बार हमें आश्वासन दिया गया है कि इसके टैंडर हो चुके हैं और सी.पी.डब्ल्यू.डी. उस बिल्डिंग को बनाने जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से अवार्ड करके इसको टाइम बाउंड कीजिए क्योंकि अब नया बैच भी बैठना है। वहां पर लड़कों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी इसका काम शुरू होगा, उतना ही बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। मैं यही आश्वासन चाहूंगा कि टाइम बाउंड करके, कब तक इस काम को शुरू करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, डॉ0 राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और हॉस्पिटल की आधारशिला माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.067.2018 को रखी गई थी। डॉ0 राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं हस्पताल, हमीरपुर के चरण-1 का निर्माण कार्य करने के लिए निविदा प्रक्रिया केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर ली गई है तथा दिनांक 05.09.2020 को इस कार्य हेतु मैसर्ज़ आहलूवालिया कॉंट्रक्ट्स इंडिया लिमिटिड,न्यू दिल्ली को खुली निविदाओं के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कृत कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है **और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र प्रारम्भ करवा दिया जाएगा।**

अगला प्रश्नश्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15-9-2020/1155/av/as/1

प्रश्न संख्या : 3131

श्री अर्जुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में तीन वैट लैंड स्थल हैं जिसमें पौंग डैम, रेणुका झील और चन्द्रताल झील है। इसमें सबसे विशेष मुद्दा पौंग बांध झील का है जहां पर हर बार खेतीबाड़ी करने के लिए किसान और वन्य प्राणी विभाग आपस में जूझते रहते हैं। मैं वन मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ज़रूरतमंद किसानों को वहां गेहूं बीजने के लिए समय-समय पर अनुमति दी जायेगी या इसके लिए मंत्री महोदय कोई नीति निर्धारित करेंगे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पौंग बांध की 41.8 किलोमीटर लैंथ और 19 किलोमीटर चौड़ाई है। वहां लगभग 207.59 किलोमीटर नोटिफाईड एरिया है और हम कोर्ट के माध्यम से वचनबद्ध है कि इस एरिया में कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वहां आस-पास और भी बहुत सारी ज़मीन बचती है जिसमें लगभग 60 हैक्टेयर ज़मीन किसानों से खरीदी गई है। यहां पर जैसे आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि यह सबसे बड़ा वैट लैंड है। वहां बाहर जो थोड़ी-बहुत बिजाई होती है जो इस क्षेत्र से बाहर आती है उसकी वजह से वहां पर माइग्रेट्री वड्र्ज बहुत आते हैं। माननीय सदस्य हमेशा चिंतित रहते हैं कि वहां पर किसानों की मदद की जाए तथा वहां पर किसानों को तंग न किया जाए। इनका इस बारे में बार-बार आग्रह आता है जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। वहां कवर्ड एरिया के लिए तो हम वचनबद्ध हैं परंतु जो बाहर हो रहा है यानी वहां जो मिक्स लैंड हैं जिसमें कुछ प्राइवेट लैंड व बी0बी0एम0डब्ल्यू0 की लैंड भी है। मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से वहां पर किसानों को कभी तंग करने का प्रयास नहीं किया जायेगा मगर कानून को भी नहीं तोड़ा जायेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री होशयार सिंह जी। आपने ज्यादा नहीं बोलना, केवल प्रश्न ही पूछना।

15-9-2020/1155/av/as/2

श्री होशयार सिंह (देहरा) : अध्यक्ष महोदय, यह पौंग डैम विस्थापितों का मुद्दा है। यहां पर जैसे वन मंत्री जी ने कहा कि उस भूमि पर विभाग का कब्ज़ा है और विभाग हर बार किसानों को रोकता है। वहां अभी भी 8,000 पौंग डैम विस्थापितों की सैटलमैंट नहीं की गई। वहां पर जो ज़मीन किसानों ने दी थी वह अब वन विभाग की हो गई। इसलिए मैं वन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वन विभाग उन 8,000 लोगों को मुआवज़ा देगा?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि Eco-Sensitive Zone within average width of 0.750 किलोमीटर को प्रपोज़ किया गया है। इसमें एग्रीकल्चर और होर्टिकल्चर एक्टिविटीज प्रपोज्ड हैं और इनको परमिट किया जायेगा मगर यह प्रोसैस अभी भी ऑन है। माननीय सदस्य तो लगातार पौंग डैम की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम कहीं पर किसी भी रूप में किसानों को तंग नहीं करना चाह रहें। हम किसान के मित्र हैं और किसान के मित्र रहेंगे। लेकिन हम यहां पर कोर्ट की धाराओं की उल्लंघना भी नहीं कर पायेंगे। लेकिन **हमने जो एरिया प्रपोज्ड किया है उसके माध्यम से किसानों की पूरी मदद की जायेगी; मैं आपको यह बताना चाहूंगा।**

श्री मुलख राज **श्री टी सी द्वारा जारी**

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्याः 3132

श्री मुलख राज (बैजनाथ) : अध्यक्ष महोदय, मार्च 2020 के दौरान किसानों को वर्षा और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ। आजकल वैसे भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। किसानों को अपनी फसलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और ओलावृष्टि से उनका

भारी नुकसान हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि इसके मुआवजे की राशि कब तक प्रदान की जाएगी?

प्रश्न काल समाप्त

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन(संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020(2020 का अध्यादेश संख्या 2) की धारा 83(3)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब उद्योग मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः इन्ड-ए(ए)3-3/2018 दिनांक 31.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.08.2020 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-3

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394-395 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 ।

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2020-21) समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं।

(i) समिति के 133वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 71वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के 49वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 67वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के 113वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 116वें कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि वन विभाग से सम्बन्धित है;

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-5

(iv) समिति के 171वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 266वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि वन विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति के 377वें मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 204वें कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(vi) समिति के 167वें मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 299वें कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि सामान्य प्रशासन विभाग की आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि विकेन्द्रीयकृत नियोजन एवं नाबार्ड के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता की डी0पी0आर0 की संवीक्षा पर आधारित तथा योजना विभाग से सम्बन्धित है ।

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-6

अध्यक्ष : अब श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 12वां मूल प्रतिवेदन जो कि सैनिक कल्याण विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का 13वां मूल प्रतिवेदन जोकि गृह विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(iii) समिति का 14वां मूल प्रतिवेदन जो कि पुलिस विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है ।

15.09.2020/1200/टी0सी0वी0/डी0सी0-7

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्षः अब श्री अरुण कुमार जी नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री अरुण कुमार (नगरोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "कांगड़ा के निजी अस्पताल फोर्टीज में प्रबन्धन द्वारा कोविड-19 से संक्रमित चिकित्सकों, अन्य स्टाफ व रोगियों के आंकड़ों को छुपाये जाने तथा टाण्डा मेडिकल कॉलेज में स्पैशलिटी/सुपर स्पैशलिटी की सेवायें बन्द होने" से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांगड़ा में फोर्टीज के नाम से एक निजी हॉस्पिटल है। 03 सितम्बर, 2020 से लेकर अब तक वहां पर कोरोना के लगभग 28 केस आए हैं जिनमें 24 लोग उनके स्टॉफ के हैं। इनमें 4 डॉक्टर और अन्य पेशेंट्स हैं। एक

चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित किया जा रहा है। इस बारे में, मैंने कल प्रशासन से भी यह जानने की कोशिश की कि इससे पहले यहां पर कितने पॉजिटिव केस आए हैं?

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

15.09.2020/1205/RKS/DC-1

श्री अरुण कुमार... जारी

मैडिकल कॉलेज, टांडा में क्वारंटीन सैंटर स्थापित होने की वजह से बहुत सारे केसिज रैफर किए जा रहे हैं और ये लोग अपना उपचार करवाने के लिए निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। लेकिन क्या इन निजी अस्पतालों को सरकार के मापदंडों के अनुसार चलाया जा रहा है या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं छिपाई जा रही है जिससे लोगों को भ्रम पैदा हो रहा हो? 12 अगस्त, 2020 को इस निजी अस्पताल में कार्यरत ward boy, सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश चंद कोरोना पॉजिटिव पेशैंट के डायरैक्ट कॉंटैक्ट में आया था। वह लड़का मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र पठियार का रहने वाला है। वह इस अस्पताल में पेशैंट की बैड शीट चेंज करता था और स्पंजिंग वगैरह का काम भी करता था। जब पेशैंट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके बाद इस कर्मचारी को अस्पताल वालों ने गाड़ी में बिठाकर उसके घर के बाहर उतार दिया। इस व्यक्ति ने रात को 8.10 बजे मुझे फोन किया और कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव पेशैंट के सम्पर्क में आया हूं और अस्पताल वाले मुझे मेरे घर के बाहर छोड़कर चले गए हैं। उसने कहा कि मेरे घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं और मैं क्या इस परिस्थिति में अपने घर जा सकता हूं? इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने तुरंत 8.16 बजे उपायुक्त, कांगड़ा व एस.डी.एम., नगरोटा को इसकी सूचना उपलब्ध करवाई। प्रशासन ने इस पर अपनी कार्रवाई की और उस व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारंटीन भी किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि निजी अस्पतालों द्वारा कुछ सूचनाएं छिपाई जा रही हैं और वे अपने संस्थानों को इस समय किसी भी तरीके से एक्सपोज नहीं होने देना चाह रहे हैं। मेरा

माननीय मंत्री से आग्रह है कि जो एम.एच.ए. (Ministry of Home Affairs) द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत एस.ओ.पी. जारी किया गया है क्या उस पर अमल किया जा रहा है? इससे पहले यह अस्पताल कितनी बार सील हुआ और जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्या उन लोगों को आइसोलेट किया जाता है? क्योंकि जब वहां पर स्टाफ

15.09.2020/1205/RKS/DC-2

के लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं तो इससे और लोग भी दहशत में हैं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, टांडा पिछली बार आउटलुक मैग्जीन सर्वे के अनुसार देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में 23 वें स्थान पर था जबकि इस बार इस अस्पताल की रैंकिंग 11वें स्थान पर पहुंच गई है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बधाई भी देना चाहूंगा। पहले मैडिकल कॉलेज, टांडा में 2500 से 3000 तक ओ.पी.डीज. होती थी। लेकिन जब से वहां पर कोविड और नॉन कोविड सेवाएं चालू की गई हैं उससे वहां पर super speciality की सेवाएं बंद हो गई हैं। super speciality में कैंसर का इलाज किया जाता है। कार्डिअक का सिस्टम बंद हो गया है, वहां पर पैथ लैब बंद हो गई है। इसके अतिरिक्त वहां पर दूसरे विभाग भी प्रभावित हुए हैं। टांडा मैडिकल कॉलेज में डाक्टर्ज और पैरा-मैडिकल स्टाफ के 43 लोग कोरोना पॉजिटिव पेशैंन्ट्स के कॉंटैक्ट में आए थे। जब कोई डाक्टर या पैरा-मैडिकल स्टाफ के लोग किसी पॉजिटिव पेशेंट को देखते हैं तो उन्हें भी 14 दिन तक क्वारंटीन कर दिया जाता है जिससे हमारी सेवाएं काफी प्रभावित होती हैं। आज के समय में वहां पर 250-300 की ओ.पी.डी. रह गई है। मैडिकल कॉलेज, टांडा में ऊना, हमीरपुर, चम्बा, कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी के मरीज अपना उपचार करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहां कोविड और नॉन कोविड सेवाएं होने के कारण super speciality की सेवाएं बिल्कुल बंद हो गई है। वहां पर मैडिसिन के डाक्टर्ज, ऑर्थो के डाक्टर्ज उपलब्ध नहीं है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1210/बी0एस0/एच0के0/-1

श्री अरुण कुमार जारी...

बच्चों के डॉक्टर नहीं हैं जितने भी डॉक्ट्र्स हैं उन सब की कोविड के लिए ड्यूटी लग रही है। दूसरा वहां पर हमारे कुछ टैस्ट चले हैं जिनमें रेपिड एंटिएन टैस्ट वहां पर हो रहा है, एंटी बॉडी टेस्ट वहां पर हो रहा है, कोविड-19, आर.टी.पी.सी.आर. वहां पर हो रहा है। इनको 24 घंटे चलाने के लिए वहां पर हमें लैब टेक्निसियन की जरूरत है। वहां पर रेडियोग्राफर की जरूरत है, वहां पर हमें ओ.टी.ए. की जरूरत है। अभी हाल ही में रेडियोग्राफर की भर्ती की गई लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि टांडा को एक भी रेडियोग्राफर नहीं मिला है। अभी हाल ही में हमारा एक रेडियोग्राफर रिटायमेंट पर है दूसरा प्रमोशन पर है। हमारे वहां पर टोटल 8 पोस्टें सैंक्शंड हैं। अभी वहां पर 27 वैंटिलेटर काम कर रहे हैं। चार वैंटिलेटर धर्मशला में है जितने वैंटिलेटर माननीय मुख्य मंत्री जी के आग्रह पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं उनके बारे में कई बार प्रिंसिपल महोदय ने कंपनी के साथ पत्राचार भी किया और दूरभाष पर बात भी की है। लेकिन वे कंपनी वाले अभी तक उन वैंटिलेटरों को स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं। उस चीज को भी सुनिश्चित कराया जाए। हमारे पास वहां पर ट्रोमा सेंटर है वहां पर भी 12-15 बैड्स की व्यवस्था है। वहां पर अभी हाल ही में एक महिला सकुंतला देवी की कार्डिक रैस्ट के कारण डैथ हो गई थी। आज मेरे प्रश्न 3136 के उत्तर में कहा गया है कि कैथ लैब अब चालू है। मैंने पिछले कल ही प्रींसिपल महोदय से इस बारे में जानकारी ली है। हमारी कैथ लैब वहां पर बंद है कृपया उस कैथ लैब को चालू किया जाए और बहुत सारे हमारे मरीज पी0जी0आई0 और अन्य स्थानों में रेफर किए जाते हैं। हमारे वहां बीमार लोगों के ऑप्रेशन नहीं हो रहे हैं। जब वे दूसरे निजी अस्पतालों में जा रहे हैं तो उसमें जो गरीब लोग हैं उनके हिम केयर योजना के कार्ड या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड है वे वहां पर मान्य नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से हमने "मुख्य मंत्री राहत कोष" से काफी लोगों को राहत दिलवाई है लेकिन यह आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए

यह जो हमारा टांडा मैडिकल कॉलेज है यह आस-पास के छह जिलों को फीड करता है। इसकी ओ0पी0डी0 भी आई0जी0एम0सी0 के बाराबर है। लेकिन वहां पर जो हमारी पोस्टें

15.09.2020/1210/बी0एस0/एच0के0/-2

है उन्हें बढ़ाया जाए और उसके साथ-साथ जो कोविड-19 का सैंटर है उसको अन्यथा कहीं और स्थान पर बदलने की कृपा करें। यदि आप मैंडिकल कॉलेज को केन्द्र कनाएंगे तो इसमें जो लोग दूसरे अस्पतालों से रेफर हो करके आते हैं उन्हें बहुत असुविधा होगी। मैं आपसे यह आश्वासन चाहता हूं कि आप कोविड-19 के लिए हमारे पास जो टी.बी. का यूनिट है वहां पर 100 बिस्तरों की व्यवस्था है यदि वहां पर वैंटिलेर की व्यवस्था हो जाती है तो हम सुपर स्पैशलिटी को चला सकते हैं। वैसा करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बिना वजह से बीमार लोगों को पी0जी0आई0 या अन्य संस्थानों में न भेजा जाए क्योंकि ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं जो निजी अस्पताल है उनका सरकारी अस्पतालों के साथ तालमेल तो नहीं है? पिछली सकार के समय में स्वयं इनके अस्पताल थे और सरकारी अस्पताल में मैडिकल सुपर स्पैशलिटी नहीं चलने दी थी। वहां पर जो डॉक्टर भेजे जाते थे उन डॉक्ट्र्स के बार-बार तबादले कर दिए जाते थे। हमने पिछली बार डॉक्टर जनक जी जो न्यूरो सर्जन है तीन बार उन्हें वहां भेजा परंतु हर तीसरे महीने के बाद उनकी बदली हो जाती थी। निजी अस्पताल वहां पर काम नहीं करने देते थे। जैसे ही हमारी सरकार आई मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने कार्यभार संभाला और आदरणीय विपन सिंह परमार जी ने वहां सारी व्यवस्थांए बहुत अच्छे तरीके से आरंभ कर दी थी। आपने वहां डॉक्ट्र्स लगाए वहां पर सुपर स्पैशलिटी यूनिट को चलाया। अन्य विभाग वहां पर चालू किए। यहां पर एक और बात में यहां पर कहना चाहता हूं कि एम0आई0आर0 की दो मशीने हैं वे खराब हो जाती है और उनको ऑपरेट करने वालों को दिल्ली से बुलाया जाता है। कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी वे लोग समय पर नहीं पहुंचते और लोगों को निजी अस्पतालों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1215/एच.के.-एन.जी./1

श्री अरुण कुमार जारी.....

उन गरीब लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं और उनके इतने ज्यादा रेट्स हैं। वहां पर पी.पी.ई. मोड पर डायलासिस की सुविधा देने की बात कही गई थी जोकि अभी तक शुरू नहीं हुई है। टांडा मैडिकल कॉलेज धर्मशाला-पालमपुर में है लेकिन इतना बड़ा मैडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी वहां पर पी.पी.ई. मोड पर डायलासिस की सुविधा शुरू नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं उसे शीघ्र शुरू करवाया जाए। अंत में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो निजी अस्पताल हैं क्या वे सभी कोविड-19 के दौरान पूरे नियमों के अनुसार चल रहे हैं? जब वहां पर पॉजिटिव केस आते हैं तो क्या वे प्रशासन को इसकी सम्पूर्ण जानकारी देते हैं? क्या उन्हें प्रोपर सैनेटाइजड किया जाता है? इस सब की सूचना विभाग के पास अवश्य होनी चाहिए ताकि लोगों में भय का माहौल न बने। लोग उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने जाएं तो पॉजिटिव होकर वापिस न आएं। अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-62 के तहत चर्चा करने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15-09-2020/1215/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार द्वारा नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सत्य है कि जिला कांगडा में फोर्टिस तथा अन्य अस्पतालों में 68 विभिन्न श्रेणियों के अधिकारी-कर्मचारी (डॉक्टर, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारी) कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। जिसकी रिर्पोटिंग जिला प्रशासन के साथ प्रतिदिन सांझा की गई है। इसलिए माननीय सदस्य की जो चिन्ता है कि सरकार के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को करना अनिवार्य है और वे सभी समान रूप से प्रोटोकॉल का पालन कर भी रहे हैं। अतः माननीय सदस्य की जो आशंका है कि वहां पर

कोई बात छुपाई जा रही है तो वह बिलकुल निराधार है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा RT-PCR, CBNAAT और TRUNET और RAT (Rapid Antigen Technique) के माध्यम से टेस्ट करवाए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में अभी तक कुल 53 हजार टेस्ट किये जा चुके हैं। जिला कांगड़ा के फोर्टिस अस्पताल में दिनांक 03 सितम्बर, 2020 से SRL लैब्स में RAT (Rapid Antigen Technique) द्वारा कोविड के टैस्टों की जांच शुरू कर दी गई है तथा अस्पताल द्वारा आंकडों को प्रतिदिन जिला प्रशासन के साथ सांझा किया जाता है। अभी तक इस अस्पताल द्वारा RAT (Rapid Antigen Technique) के माध्यम से कुल 129 लोगों के कोविड-19 सैम्पल लिए गए तथा 28 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं जिनमें से 24 मामले उक्त अस्पताल के स्टाफ के हैं तथा 04 अन्य हैं। आंकड़ो के हिसाब से यह जानकारी मैंने सांझा की है। माननीय सदस्य ने टांडा मैडिकल कॉलेज को लेकर स्पैशलिटि, सूपर स्पैशलिटि की सेवाएं बंद होने का प्रश्न खड़ा किया है उसके बारे मैं बहुत विस्तार से माननीय सदन में चर्चा रखना चाहता हूं। टांडा मैडिकल कॉलेज में सुपर स्पैशलिटि विभाग का दिनांक 01 मार्च, 2014 को लोकार्पण किया गया और इस विभाग की ओ.पी.डी. की सुविधाओं का शुभारम्भ दिनांक 08 अगस्त, 2014 को किया गया। यह संस्थान सुपर स्पैशलिटि की सारी सेवाओं को 500 बिस्तरों के अस्पताल के साथ चला रहा है।

15-09-2020/1215/एच.के.-एन.जी./3

इन सभी सेवाओं को मैडिसन व जनरल सर्जरी विभाग के साथ ज़ोड दिया गया है और सुचारू रूप से सभी सेवाएं रोगियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। सुपर स्पैशलिटि विभाग में जनवरी, 2020 से अब तक 1500 रोगियों की इण्डोस्कोपी की जा चुकी है। रेडियोथरैपि विभाग में 5700 रोगियों की कीमोथरैपि व 400 मरीजों की रेडियोथरैपि की जा चुकी है। कैंसर पीड़ित मरीजों का इलाज इसी ब्लाक में किया जा रहा है व इन मरीजों के लिए इस ब्लाक में अलग से दरवाजा बनाया गया है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

15/09/2020/1220/MS/YK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी------

न्यूरो सर्जरी विभाग में 83 मरीज़ों की सर्जरी की गई है। कार्डियोलोजी विभाग में इकोकार्डियोग्राफी के 935, टी.एम.टी. के 404, एंजियोप्लास्टी के 226 व एंजियोग्राफी के 572 रोगियों का उपचार किया गया है ।

इस संस्थान में कोविड-19 महामारी के दौरान अब तक कुल 4,935 महिलाओं का नॉर्मल प्रसव करवाया गया व 1,276 महिलाओं का ऑपरेशन द्वारा प्रसव करवाया गया ।

इस संस्थान में जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक 1,05,109 इन्डोर व 1,99,676 आउटडोर मरीजों का उपचार किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि में इस संस्थान में 3,792 मेजर व 14,977 माइनर ऑपरेशन किये गये ।

इस समय सुपर स्पैशलिटी ब्लाक में नौ विभागों की सेवाएं रोगियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिसमें कार्डियोलोजी, न्यूरोलोजी, रेडियोथैरेपि, सी.टी.बी.एस., न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलोजी, इण्डाक्रोनोलोजी, ग्रेस्ट्रोइन्ट्रोलोजी व हिप्टोलोजी है। कुल मिलाकर ये सारी सुविधाएं वर्तमान में भी रोगियों को इस संस्थान में प्राप्त हो रही हैं। अन्य जो कुछ उपकरणों को लेकर माननीय सदस्य ने यहां प्रश्न उठाया है, यह इनका विधान सभा प्रश्न भी था और उसमें भी इन्होंने जो ये उपकरण यहां लगे हैं, उनसे संबंधित कुछ चिन्ताएं व्यक्त की हैं और जानकारियां भी रखी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो कैथ लैब मशीन के विषय में इन्होंने कहा है, उसमें डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल अस्पताल में कैथ लैब मशीन की स्थापना के बाद केवल एक ही बार इसमें मेजर फॉल्ट आया है जिसे ठीक कर दिया गया है और मौजूदा समय में यह मशीन ठीक कार्य कर रही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने वहां आज ही पता किया है। मुझे मालूम नहीं है कि इनकी यह जानकारी कितनी ठीक है लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज भी यह मशीन ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। यह बात ठीक है कि यह मशीन चार वर्ष पुरानी है परन्तु यह अच्छा कार्य कर रही है। अभी सरकार की नई मशीन स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। वर्ष 2019 में संस्थान में स्थित कैथ लैब में; मैं यह जानकारी के तौर पर कहना चाहता हूं कि 698 एंजियोप्लास्टी और 2477 एंजियोग्राफी की जो प्रक्रियाएं हैं, वे पूर्ण हुई हैं तथा इस वर्ष 31 अगस्त, 2020 तक 226 एंजियोप्लास्टी और 572 एंजियोग्राफी कैथ लैब में हुई हैं।

15/09/2020/1220/MS/YK/2

एम.आर.आई. मशीन के बारे में जो आपने कहा है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि अनेक उपकरण हैं जिनकी रोगों की इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल अस्पताल टांडा में एम.आर.आई. मशीन वर्ष 2007 में खरीदी गई और 10 अप्रैल, 2008 को स्थापित की गई। इस मशीन की खरीद पर 4,69,59,500/-रुपये व्यय किये गए हैं और इसकी रिपेयर एण्ड मैंटीनैंस का काम विप्रो कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। **इस संस्थान में एम.आर.आई. की नई मशीन पी.पी.ई. मोड पर लगाने हेतु निदेशालय चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान, शिमला द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई हैं जिसका कार्य प्रगति पर है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, यहां पर नई मशीन स्थापित कर दी जाएगी।**

सिटी स्कैन मशीन को लेकर भी मैं यहां जानकारी रखना चाहता हूं। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल अस्पताल, टांडा में यह मशीन वर्ष 2008 में स्थापित की गई और यह मशीन फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से खरीदी गई थी। इस मशीन की खरीद पर 3,31,91,004/-रुपये व्यय किये गए हैं और इसकी रिपेयर एण्ड मैंटीनैंस का काम नैक्स्ट जेन मेडिकल डिवाइसिज, न्यू दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। **इस संस्थान में सिटी स्कैन की नई मशीन पी.पी.ई. मोड पर लगाने हेतु निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, शिमला द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जिसका कार्य प्रगति पर है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी नई मशीन स्थापित कर दी जाएगी।** कुल मिलाकर यह सारी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे संस्थान की बेहतरी व चिकित्सा सेवाओं का अधिकतम लाभ इस संस्थान के माध्यम से सामान्य लोगों को मिले, हमारे प्रदेश की जनता को मिले, उस नाते जो इन्होंने चिन्तायें व्यक्त की हैं,

जारी जे0के0 द्वारा----

15.09.2020/1225/JK/YK/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः-----जारी-------

जो इन्होंने यहां पर सुझाव हमारे समक्ष रखे हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी पूर्वक हम उन सुझावों के ऊपर विचार भी करेंगे और सरकार

निश्चित तौर पर छोटी-सी-छोटी सुविधा से लेकर बड़ी-से-बड़ी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को अस्पताल के माध्यम से मिलती रहे, इसके लिए सरकार वचनबद्ध है और संकल्पित है।

15.09.2020/1225/JK/YK/2

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जिला बिलासुपर के पुलिस थाना सदर के अन्तर्गत हुई हत्या के मामले में अपना वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 और 15 की मध्य रात्रि लगभग 11 बज कर 59 मिनट पर पुलिस थाना सदर, बिलासपुर को देवेन्द्र सिंह, पुत्र कर्म सिंह ने सूचना प्रदान की कि जब वह अपने ट्रक में सीमेंट लोड करके दाड़लाघाट से सुजानपुर जा रहा था तो मध्य रात्रि करीब 12.30 बजे देलग से आगे कंदरौर चौक से थोड़ा पीछे पहुंचा तो सड़क के किनारे खड़ी एक ऑल्टो कार से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ ट्रक के आगे आया और उसे रुकने का इशारा करने लगा। जिस पर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड धीरे की तो कंडक्टर की साइड वाली खिड़की के साथ लटक कर वह व्यक्ति कहने लगा कि उसे बचा लो। फिर ट्रक ड्राइवर ने 100 मीटर आगे ट्रक को रोक दिया। ट्रक में लटका व्यक्ति ट्रक के अन्दर आ करके कहने लगा कि पुलिस को फोन लगाओ। उसके पश्चात् तुरन्त वह घायल व्यक्ति बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस घायल व्यक्ति को ट्रक ड्राइवर सहित बिलासपुर अस्पताल ले गई। जहां होश आने पर उस व्यक्ति ने ट्रक ड्राइवर के सामने बयान दिया कि उसका नाम हरिश कुमार, सुपुत्र श्री सुन्दर लाल, गांव कांसीपट्टा, डा0 निहाला, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन है। वह एच.पी. 01-ए-9543 ऑल्टो कार बतौर टैक्सी चलाता है। इस गाड़ी में वह चार व्यक्तियों को शिमला से चिन्तपुरनी ले जा रहा था। उन तीन-चार व्यक्तियों ने मिल करके हथियार के साथ उससे मारपीट की। अस्पताल में इलाज़ के दौरान उपरोक्त टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई, जिस पर पुलिस थाना सदर, बिलासपुर में एफ.आइ.आर. 223/20-302 -34 IPC के अन्तर्गत

मामला बना दिया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने मौके का निरीक्षण किया एवं आस-पास के जिलों एवं पड़ौसी प्रदेशों की पुलिस को इस बारे सचेत किया और करीब 9.00 बजे हरियाणा पुलिस की मदद से आरोपियों को समालखा पानीपत के पास कार सहित पकड़ लिया गया। अब मामले का आगामी अन्वेषण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

15.09.2020/1225/JK/YK/3

अध्यक्ष महोदय, यह घटना इस प्रकार से घटित हुई। वह जो लड़का था, जिसकी ऑल्टो गाड़ी थी, उसका दुखद निधन हुआ। इस घटना पर उसके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं पुलिस विभाग को भी बधाई देना चाहूंगा कि यह बहुत कठिन था जिस प्रकार से यह घटनाक्रम घटित हुआ था।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

15.09.2020/1230/SS-AS/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

लेकिन तुरन्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस के डी0जी0पी0 के साथ सम्पर्क करके इसमें वहां की सरकार से मदद ली गई और जो दोषी थे, गाड़ी में फरार हुए थे उनको पकड़ने में सफलता हासिल की। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग दिया। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस को भी बधाई देता हूं लेकिन यह दुखद घटना है और जिस व्यक्ति का इसमें देहांत हुआ है उसके प्रति शोक प्रकट करता हूं।

15.09.2020/1230/SS-AS/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे। ...(व्यवधान)... मुकेश जी, काफी हो गया। आपको सुबह से काफी सुना है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। चलो, श्री मुकेश जी आप बोलिये।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। हमारा यह कंसर्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के एक बहुत अहम मंत्री पूरे सैशन में यहां नहीं आए हैं। ऐसी धारणा है और अखबारों में आया है कि वे कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे और 2 तारीख के बाद से उनको पब्लिक डोमेन में नहीं देखा गया। 14 दिन का अधिकतम क्वारंटीन पीरियड होता है और 14 दिन में मंत्री जी ठीक नहीं हुए। पहले आई0जी0एम0सी0 गए और आई0जी0एम0सी0 में रहने के बाद तब भी ऐसा आया था कि उन्होंने शिकायत की कि उनका ट्रीटमैंट ठीक नहीं हुआ। जो हमने अखबारों से इकट्ठा किया है मैं वह बात कर रहा हूं। ...(व्यवधान)... मंत्री जी, जरा सुन लीजिए। आप भी बीमार होंगे तो मैं आपका भी कंसर्न शो करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है। यह हमारा कंसर्न है कि आप कुशल रहें। ...(व्यवधान)... मुझे लगता है कि मेरे बारे में आप (उद्योग मंत्री) ही बोलते हैं।

उद्योग मंत्री : आप सुबह उठकर योगा किया करो, आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन बोल रहा है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : ये आपके पीछे से बोल रहे होंगे। पठानिया जी, वे आपके कुलिग हैं, मंत्री हैं और इस माननीय सदन में नहीं हैं। फिर उसके बाद वे घर चले गए। कोरोना संक्रमण से पीड़ित रहे लेकिन उनको घर भेज दिया गया। किन कारणों से उनको घर भेजा गया? फिर बाद में आया कि वे अभी भी संक्रमित चल रहे हैं। अब 14 दिन के बाद कल हमने पढ़ा, यह कहा गया कि उनकी रिपोर्ट 'Inconclusive' है। 14 दिन में दो बार टैस्ट के बाद भी अब यह कौन-सी टर्मिनॉलोजी आ गई? बाहर कई तरह की धारणाएं हैं। कई कहते हैं कि मंत्री जी हाउस अटैंड नहीं करना चाहते। मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि वे आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, क्या बात है या क्या बात नहीं है। लेकिन मैं उनकी बीमारी

के बारे में कंसर्नड हूं कि 14 दिन क्वारंटीन के बाद भी एक मंत्री हाउस में नहीं आ पाए तो क्या हैल्थ मिनिस्टर उनसे मिले या कोई आपका डॉक्टर/कम्पाउडर मिला हो या कोई

उन्हें देखने गया हो कि उन्हें खाना कैसा मिल रहा है और दवाई कैसे मिल रही है? आखिर वे सरकार में नम्बर-2 मिनिस्टर हैं और 14 दिन के बाद भी ठीक नहीं हुए हैं। अगर मंत्री 14 दिन में ठीक नहीं होगा तो आम जनता कैसे ठीक होगी, यह हमारा कंसर्न है। मुख्य मंत्री जी बताएं कि अब मंत्री जी की क्या स्थिति है, वे हाउस में कब आयेंगे या नहीं आयेंगे, वे कब ठीक होंगे? यह सारा हम जानना चाहते हैं।

15.09.2020/1230/SS-AS/4

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो कंसर्न विपक्ष के नेता जी ने माननीय मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर के बारे में इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है मैं उनकी चिन्ता के लिए इनका आभार व्यक्त करता हूं। वे हमारे साथी हैं और वरिष्ठ नेता हैं तथा उनके स्वास्थ्य की चिन्ता सरकार की जिम्मेवारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि मेरी उनसे बीच-बीच में बातचीत लगातार होती है। आज सुबह भी उनसे बातचीत हुई है। हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले जब वे संक्रमित हुए तो पहले यह भी विचार चल रहा था कि जो हमारी एक व्यवस्था है

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1235/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी---

हम पूरे देश भर में देख रहे हैं कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था ज़ोर पकड़ती जा रही है। हमारा एक मन यह भी बना था कि उनको होम आइसोलेशन में ही रखा जाए और उन्होंने इच्छा भी ज़ाहिर की थी कि मैं होम आइसोलेशन में ही ठीक हूं, अपनी व्यवस्था कर लूंगा लेकिन जब इस बारे में डॉक्टर्ज़ से सलाह ली गई, महत्वपूर्ण हमारे लिए यह होता है कि डॉक्टर की सलाह क्या है? वे सिंप्टोमेटिक थे, उनको बी.पी. की भी प्रॉब्लम है, उसके साथ-साथ उनको तेज सिर दर्द और बुख़ार भी हुआ और उनके शरीर में दर्द भी थी। ऐसी परिस्थिति में जब मैंने डॉक्टर्ज़ से बात की, उन्होंने सलाह दी, उनका यह कहना था कि

इनको होम आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनको सिंप्टम्ज़ हैं। अगर ये ए-सिंप्टोमैटिक होते तो हम इनको घर में ही रखते। फिर ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मन बनाया कि डॉक्टर की सलाह पर अमल करना चाहिए और वे हॉस्पिटल गए जहां उनको एडमिट किया गया और वहां पर आइसोलेशन में रखा गया। वहां उनका ट्रीटमैंट चला। दो-तीन दिन उनकी तबीयत थोड़ा ढीली रही लेकिन उसके बावजूद हैल्थ के जो पैरामीटर्ज़ होते हैं, उन पर वे ठीक तरह से काम कर रहे थे और इसलिए कोई इस तरह की बात नहीं थी। जब उनके सात दिन कम्पलीट हुए, सातवें दिन जो उनका टैस्ट किया, वह फिर पॉज़िटिव आया। ऐसी परिस्थिति में स्थिति ऐसी लगी कि अभी उनको ट्रीटमैंट में डॉक्टर की ही निगरानी में रहना चाहिए। वे रुके भी लेकिन दूसरे दिन उनका फोन आया कि मैं चाहता हूं कि अब मैं घर जाऊं और मैं घर में आइसोलेशन में रह लूंगा। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों को मैंने गांव जाने के लिए कह दिया है और यहां मैं अकेला रह लूंगा और मुझे वहां थोड़ा कम्फर्टेबल लगेगा। उस वक्त उन्होंने स्वास्थ्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का ज़िक्र हमसे नहीं किया कि उनको वहां कोई दिक्कत थी। हम इस बात से सहमत हैं कि वहां सुविधाओं की दृष्टि से कमी हो सकती है लेकिन उसके बावजूद ट्रीटमैंट ज़रूरी था। उनका ट्रीटमैंट ठीक प्रकार से हो सके, उसके लिए उनको हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी था। उन्होंने जब आग्रह किया तो तुरंत उनको

15.09.2020/1235/केएस/एजी/2

अस्पताल से अपने सरकारी निवास पर जाने की अनुमति दी गई और वे यहां पर होम आइसोलेशन में हैं। आज उनको 12 दिन हो गए हैं। उनका जो अब तीसरा टैस्ट हुआ, जैसे विपक्ष के नेता ने कहा, वह इनकन्क्लूसिव आया है । हमने देखा है कि जब टैस्ट होते हैं तो या तो कई बार टैस्ट का सैम्पल लेने में कोई कमी रह जाती है या फिर ठीक प्रकार से टैस्ट का बीच में सारा प्रोसैस नहीं होता जिसके कारण बहुत सारे इनकन्क्लूसिव टैस्ट दूसरे प्रदेशों में भी और हमारे प्रदेश में भी आ रहे थे। ऐसी सूरत में फिर उनको यही सलाह दी कि आप थोड़ा और आराम करें। आज भी मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने बताया कि न अब मुझे खांसी है, न बुख़ार है, न शरीर में दर्द हो रहा है और न ही मुझे कोई और परेशानी है।

मेरा बी.पी. और शुगर भी नॉर्मल है। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तो आई.सी.एम.आर. की ओर से भी जो गाइड लाइन्ज़ आई हैं, उसके मुताबिक भी दस दिन के बाद मरीज को अस्पताल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है। यहां तक कि उसको बिना टैस्ट के भेजा जा सकता है। अगर उसका पहला टैस्ट पॉज़िटिव भी आता है, उसके बाद वह 7 दिन का ट्रीटमैंट लेता है, उसके बाद अगर वह 10 दिन हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहता है तो उसके बाद 10वें दिन उसको बिना टैस्ट के भी छुट्टी दी जा सकती है। दूसरे प्रदेश अब इसी फॉर्मुले पर वर्क आउट कर रहे हैं। 10 दिन के बाद कोई टैस्ट नहीं होगा और सीधा उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया जाता है और घर में उनको एक तरह से क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जाता है कि 7 दिन आप उस तरह से रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की चिंता वाज़िब है और हम सभी लोग भी चिंतित हैं। उनका स्वास्थ्य अब ठीक है और मैं इस माननीय सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि वे स्वस्थ हैं और कुछ दिन तक वे आइसोलेशन में रहेंगे फिर उसके पश्चात् उन्होंने कहा कि जैसे मेरा 14 दिन का पीरियड पूरा होता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

15-9-2020/1240/av/as/1

मुख्य मंत्री ---------जारी

उसके बाद हम विचार करेंगे। उसके बाद वे काम पर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। यहां पर जो कंसर्न शो किया गया है उसके बारे में मेरा जानकारी देना जरूरी था। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो अस्पताल में ठीक ट्रीटमैंट और सुविधाओं के बारे में बात कही है तो मैं यहां केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे पास वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उसमें जो बैस्ट पोसिबल किया जा सकता है वह हम कर रहे हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि इस वायरस का स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसी स्थिति में आने वाले समय के लिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें एक तो कैपेसिटी को एनहांस किया जायेगा तथा

दूसरे डॉक्टर्ज की ड्यूटी को दोबारा से प्लान करने बारे विचार किया जायेगा क्योंकि हमारा मैडिकल और पैरा मैडिकल स्टाफ जिनको हम कोरोना वॉरियर्ज कहते हैं उनका अब बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हो जाना हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। हमने इन सारी चीजों को लेकर कुछ निर्णय पहले भी किए हैं और आज कैबिनेट की बैठक है तो उसमें भी हम इस संदर्भ में कुछ निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर जो मंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी थी वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे पूरी तरह से कुशल हैं। उनकी रिपोर्ट इंकंक्लूसिव आई है लेकिन उसके बावजूद एक डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उन्हें कुछ दिन आइसोलेशन में रहना होगा। उसके बाद वे नॉमर्ल रूटीन में काम पर आ जायेंगे। धन्यवाद।

15-9-2020/1240/av/as/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण होगा।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

15-9-2020/1240/av/as/3

खण्ड 2 पर माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा से संशोधन आए हैं जो कि इस प्रकार से हैं :-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub- clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Rakesh Singha**	3	2	(4)	19&20	for the words, "The Vice-Chairman and non-official members shall be paid allowances, as may be prescribed", the words **" The Vice-Chairman and non-official members will be honorary members without any remuneration or allowances apart for TA/DA as may be applicable"** be substituted.
2.	**Shri Jagat Singh Negi**	1	2	3(iii)	3&4	for the words, "A person nominated by the Government", the words **"A Member of H.P. Legislative Assembly nominated by the H.P. Vidhan Sabha"** be substituted.

अतः खण्ड 2 चर्चा हेतु प्रस्तुत है। माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी इस पर बोल सकते हैं।

15-9-2020/1240/av/as/4

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

हिमाचल प्रदेश में वैसे तो पर्यटन विभाग और एच0पी0टी0डी0सी0 भी है मगर माननीय मुख्य मंत्री जी उसके ऊपर अब यह तीसरा बोर्ड ला रहे हैं। इस तरह से एक विभाग में तीन-तीन किस्म की संस्थाएं यानी बोर्ड, कॉर्पोरेशन और विभाग; यह मल्टिप्लिसिटी है। इसमें इतने सारे चेयरमैन और अधिकारी होने से बहुत ज्यादा फिजूलखर्ची वाली बात होगी। आपके पास पहले ही पर्यटन विभाग के लिए बहुत कम बजट है। आपने जो वर्ष 2020-21 के लिए बजट प्रस्तुत किया है अगर हम उस बजट को बांटे तो हर निर्वाचन क्षेत्रवार वह राशि 50-50 हजार रुपये भी नहीं आयेगी। हां, आपको एशियन डवलपमैंट बैंक से काफी धनराशि आने की उम्मीद है। मगर इस तरह से एक विभाग की तीन-तीन किस्म की संस्थाएं बनाने से काम कैसे होगा?

श्री टी सी द्वारा जारी

15.09.2020/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री जगत सिंह नेगी……. जारी

एक तरफ डिपार्टमैंट, एच0पी0टी0डी0सी0 और दूसरी तरफ एक बोर्ड। इस बोर्ड का क्या काम होगा, वह तो आप बता नहीं रहे हैं। क्या-क्या काम इस बोर्ड को सौंपे जाएंगे, विभाग और इस बोर्ड के बीच में किस प्रकार से तालमेल होगा, आपने इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है। मुख्य मंत्री जी के पास कई बार पर्यटन का चार्ज होता है लेकिन मुख्य मंत्री

इसके लिए समय नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा एक चेयरमैन और एक सीनियर वाइस चेयरमैन बनाने की बात हो रही है। चेयरमैनों की तो आपके पास पहले ही बहुत बड़ी फौज है। यह फौज बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। ये चेयरमैनों की एक ऐसी फौज है जो किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करती है। हिमाचल प्रदेश पहले ही भारी कर्ज़ में डूबा हुआ है और उसकी माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में आप एक और वाइस चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मैंने इसमें संशोधन दिया है और माननीय सदस्य, श्री राकेश सिंघा जी ने भी संशोधन दिया है। इन्होंने कहा है कि जिसको वाइस चेयरमैन बनाना है, एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसको गाड़ी -बंगला कुछ न मिले सिर्फ वह चेयरमैन के नाम से टी0ए0डी0ए0 लें। ... (व्यवधान जैसे पिछले कल हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंबर्ज नामजद करने थे, वे हम माननीय सदस्यों में से किए जाने हैं। इसी तरह से यदि वाइस चेयरमैन बनाने ही है, बहुत ही जरूरी है तो बनाएं लेकिन उनको माननीय विधायकों में से बनाया जाए। ताकि उनको मकान व तनख्वाह देने की जरूरत न रहे। यदि एक माननीय विधायक इसका वाइस चेयरमैन बनेगा तो वह अच्छा कार्य कर सकता है। आज असंवैधानिक लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक फौज लड़ाई लड़ने के लिए होती है लेकिन यह एक ऐसी फौजी खड़ी कर दी गई है जिसके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। हमने कोविड में जो सैलरी दी थी, उसको ये चेयरमैन खा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों में से ही वाइस चेयरमैन बनाया जाए। मैंने यह कहा है कि for the words "A person nominated by the Government", the words, "A Member of H.P. Legislative Assembly nominated by the H.P. Vidhan Sabha" यह इसमें संशोधन किया जाए। धन्यवाद।

15.09.2020/1245/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी आप इस संशोधन पर बोलना चाहेंगे?

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में जो बिल पेश किया है उसका शीर्षक है "हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और

रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4)। " मैंने इसमें छोटा-सा संशोधन दिया है लेकिन संशोधन की बात करने से पहले मैं इस बात से सहमत हूं कि Statement of objects and reasons में जो तर्क दिए गए हैं, वे बिल्कुल सही हैं। पहली दफ़ा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्टीक है to the point है, साफ और स्पष्ट हैं और इसमें पारदर्शिता भी नज़र आ रही है। लेकिन जब हम अमेंडमैंट में जाते है, वहां ऐसा लगता है कि यह अमेंडमैंट इसलिए नहीं लाई जा रही है, जैसा कि इसके ऑब्जैक्शन्ज एण्ड रीजन्ज में दर्शाया गया है। लेकिन सरकार की कोई कंप्लशन है जो होती भी है। All elected governments have limitations or compulsions. उसमें भी कोई दो राय नहीं है, सरकार को सरकार चलानी है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी .....

15.09.2020/1250/RKS/DC-1

श्री राकेश सिंघा... जारी

और उसको बहुत-सा बैलेंसिंग फैक्टर करना पड़ता है। सरकार को और भी बहुत-से दबाव रहते हैं। कोई भी सरकार हो उसको उन लिमिटेशन्ज और कंपलशन्ज को फुलफिल करना पड़ता है अन्यथा सरकार में कई बार अस्थिरता आ जाती है। हम ऐसे समय में इस बिल को ला रहे हैं जहां पर we are blowing hot and cold in the same breath. जब विधायक निधि की बात आती है तो यह कहा जाता है कि खजाना खाली हो रहा है और हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। जब नियुक्तियां करने की बात आती है तो उस स्थिति में हम स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैंने इस संशोधन को मूव किया है। सैक्शन-4 में दर्शाया गया है कि 'The Vice Chairman and non official members shall be paid such allowances, as may be prescribed' को रिप्लेस किया जाए इस शब्दावली से " The Vice-Chairman and non-official members will be honorary members without any remuneration or allowances apart for TA/DA as may be applicable" जो माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने बात कही है, उससे मिलती-जुलती ही मेरी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं इनकी बात से भी सहमत हूं। जब इस समय यह वायरस फैल रहा है और हमारे आय के सभी साधन सिकुड़ गए हैं, जी.डी.पी. गिर गई है तो ऐसे में आप हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या संकेत देंगे? इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए

जिससे लोगों को आप पर अंगुली उठाने का मौका मिले। आप यह काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उनको लाभ पहुंचा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो एक अमैंडमैंट और है जिसे मैंने मुव नहीं किया है। हर सदस्य को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है इसलिए मैं इस अमैंडमैंट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। As far as the non official members are concerned, मैं समझता हूं कि अब ऐसा युग है कि ये नॉन आफिशियल मैंबर्स हर फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब हर फील्ड के अलग-अलग विशेषज्ञ आ गए हैं। अब आंख के भी अलग-अलग किस्म के डाक्टर्ज हैं। रेटिना का अलग है और अन्य चीजों का डाक्टर अलग है। पर्यटन हमारे प्रदेश को निश्चित रूप से आगे ले जा सकता है। टूरिज्म सैक्टर में जितनी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है उतनी किसी और सैक्टर में नहीं है। अभी इस तरह का

15.09.2020/1250/RKS/DC-2

वाइडस्प्रेड किसी ओर सैक्टर में नहीं है। It is very important sector as far as the Himachal Pradesh and people of Himachal Pradesh are concerned. इसलिए जहां तक नॉन-आफिशियल की बात है मैं ऐसा महसूस करता हूं, यह होटल एसोसिएशन्ज, ट्रैवल एजैंसी, एडवैंचर स्पोर्ट्स जो इसमें दिए गए हैं ये बिल्कुल कॉरैक्ट हैं। मैं समझता हूं कि ये इलैक्टिड बॉडिज है। होटल एसोसिएशन्ज को चलाने का इनका अपना तरीका है। They have laws and most of them by election अपनी बॉडी को इलैक्ट करते हैं। यह प्रैरोगेटिव हम न लें, we are not masters of everything. यह थोड़ा हम उन पर भी छोड़ दें। वे जो भी मैम्बर्ज मनोनीत या इलैक्ट करना चाहते हैं that would be more democratic and I think correct as far as the prospective is concerned of strengthening this body. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं एक बार पुनः सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो सैक्शन-4 में अमैंडमैंट मूव की गई है उसको आप स्वीकार करें ताकि लोगों को भी इसका एक अच्छा संदेश जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोगों को भी इस वायरस के युद्ध में शामिल कर सकते हैं अन्यथा यह दोहरी बात हो जाएगी कि 'कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ'। धन्यवाद।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1255/बी0एस0/डी0सी0/-1

अध्यक्ष : मानीय सदस्य श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, कृपया अपनी बात कहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी और श्री जगत सिंह नेगी जी ने यहां पर अपनी बात रखी है। वैसे तो दिलो-दिल में माननीय मुख्य मंत्री जी भी समझ रहे होंगे कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन जैसे यहां पर कहा गया कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं लेकिन इस बिल को लाने का समय बिल्कुल भी सही नहीं है। कोविड-19 काल में आप इस तरह का प्रस्ताव या बिल ले करके आएं और नए चेयरमैंन बनाना चाहते हैं या नई-नई नियुक्तियां करना चाहते हैं यह सही नहीं है। कल ही कैग की रिपोर्ट आई है, कैग ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि आप खर्चे बढ़ा रहे हैं। यह भी कहा है कि कर्जे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमने उस बात को आपके समक्ष नहीं रखा है। लेकिन कल ही यह बात आई है कि आपको यह कहा गया है कि कुछ निगमों-बोर्डों को खत्म कर दो या उन्हें कम करो। घाटे को तो आपको अपना विवेश इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें नैतिकता की बात है। ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता हूं। आप से लोग इस बात की आशा भी करते हैं कि आप खर्चों को कम करेंगे। माननीय मंत्री जी रोज ही आप कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। हमें मालूम है यदि हम कहेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री जी, इसे विड्रा करिए परंतु आप विड्रा नहीं करेंगे। आपके पास संख्या बल है आप इसे पारित करेंगे। हमारा यह मानना है कि इसे विड्रा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक ही संस्थान में माननीय मुख्य मंत्री, एक सीनियर वाइस चेयरमैंन, एक चेयरमैंन यह किसी प्रकार से भी सही बात नहीं है, मौका भी नहीं है और परिस्थिति भी नहीं है। आपको स्थिति की नजाकत समझते हुए इसे वापिस ले लेना चाहिए। अभी मैं एक्सपेंडिचर विभाग की चिट्ठी पढ़ रहा था उन्होंने कहा कि कोई नई भर्ती नहीं करेंगे और नये लोग नहीं लगाए जाएंगे। कर्मचारियों के ड्यूज रोक दिया जाएंगे, फलां रोक दिया जाएगा। वैसे की आपके पास कोई खाली पद होता तो आप चुपके से लगा देते जैसे आपने फाइनैंस में और पशुपालन में लगाए हैं। लेकिन बिल ला करके आपने ऐसी स्थिति खड़ी करके सही नहीं किया है। ये समय इन चीजों के लिए नहीं है। बाकी बातें माननीय मुख्य मंत्री जी पर निर्भर करती हैं। हम तो कहते हैं कि इसे वापिस किया जाए।

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगेः

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हमने इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण(संशोधन) विधेयक, 2020 (2020

15.09.2020/1255/बी0एस0/डी0सी0/-2

का विधेयक संख्यांक 11) इसके बीच में जो संशोधन आए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं , माननीय सदस्यों ने बातें अच्छी कहीं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटक स्थल है और यहां पर बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमें काम करना चाहिए और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि यह आवश्यकता तब अनुभव हुई जब हम सत्ता में नहीं थे और वर्ष 2002 में बोर्ड का गठन किया गया। इस गठन के पश्चात यहां इस बोर्ड में आदरणीय मनकोटिया जी चेयरमैंन रहे हैं और बाद में सुना कि उन्होंने त्यागपत्र भी दिया था।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1300/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री जारी.....

उस वक्त से इसमें जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार चेयरमैन हमेशा मुख्य मंत्री होता है और यदि पर्यटन मंत्रायल किसी मंत्री के पास हो तो वह मंत्री उसका चेयरमैन होता है। मैं यहां पर ठीक करना चाहता हूं कि श्री मनकोटिया जी चेयरमैन नहीं वाइस-चेयरमैन रहे हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि जो संशोधन आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हमने लगभग 1.5 साल तक मंत्री मंण्डल में मंत्री नहीं बनाए तो माननीय मुकेश जी हमें सलाह देते थे कि मंत्री क्यों नहीं बना रहे हैं, मंत्री जल्दी बनाओ। कुछ अरसे बाद मंत्रीमण्डल का तीसरा पद भी रिक्त हो गया। इसलिए हमने तीन मंत्री एक साथ बना दिए और फिर विपक्ष की ओर से यह बात आ गई कि कोविड के दौरान मंत्री क्यों बना दिए गए? इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी बाते कही हैं। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सी बात सुनी जाए और कौन-सी बात मानी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और सरकार बनने

के 1-1.5 महीने में ही तमाम बोर्डों-निगमों के चेयरमैन-वाइस चेयरमैन बना दिए गए थे और कुछ लोगों को चेयरमैन बनाने के लिए तो पोस्टें क्रिएट भी की गई थी। हमारी सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और अभी तक एक नहीं अनेक बोर्डों व निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। हमने तो इतने पद खाली रखे हुए हैं लेकिन इनकी सरकार में तो एक महीने के बाद ही सारे पदों को भर दिया गया था। इस कारण जब आप हमें ऐसी सलाह देते हैं तो बड़ा विचित्र लगता है। माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी की बात से हम इसलिए सहमत हैं क्योंकि उन्होंने यह उम्मीद छोड़ दी है कि उनकी पार्टी की सत्ता तो आएगी नहीं इसलिए हमें सदैव इस प्रकार के संशोधन देने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि आप भी सत्ता में आने की परिस्थिति में होते और जैसा आपने कहा कि सरकार चलाने में कुछ मजबूरियां होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप और भी ज्यादा पोस्टें क्रिएट कर के रख देते।

15-09-2020/1300/एच.के.-एन.जी./2

आपके पास कैडर इस प्रकार का है कि उसे चलाने के लिए सरकार में व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। यहां पर अच्छे संशोधन लाए गए हैं, माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी ने अच्छे सुझाव दिए हैं और अपनी बात यहां पर कही है। कुल मिलकार यह है कि हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)... मैं एक्ट में देख रहा था कि यह office of profit के बाहर है इसलिए एम.एल.ए. भी बन सकता है। (व्यवधान)... आपका सुझाव अच्छा है और हम इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो दोनों संशोधन आए हैं उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि आपने सुझाव दिए और हमने सुन भी लिए लेकिन मानने की व्यवस्था हमारी है और हम इन्हें मान नहीं पाएंगे। हमने सुन लिया है लेकिन

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

15/09/2020/1305/MS/HK/1

मुख्य मंत्री जारी------

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2020 अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना और गठन का प्रावधान भी करता है। सैक्शन-iv के अनुसार क्रमशः मुख्य मंत्री और पर्यटन मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बोर्ड के कृत्यों की देखरेख करता है और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। कई बार पर्यटन विभाग मुख्य मंत्री के पास होता है जैसे वर्तमान में है तो मुख्य मंत्री की व्यस्तताओं के कारण कई बार बैठकों की अध्यक्षता करना संभव नहीं हो पाता है और इस कारण बोर्ड के कार्य प्रभावित होते हैं। अतः किसी व्यक्ति को बोर्ड का उपाध्यक्ष नोमिनेट करने का प्रावधान किया जा रहा है। यदि कभी पर्यटन विभाग किसी मंत्री को दिया गया तो वह पदेन वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। यानी जो मंत्री होंगे वे उसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे और इसमें कोई खर्च़ा नहीं होगा क्योंकि वे मंत्री हैं। अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि संशोधन के रूप में मैंने इनकी भावनाओं को जान लिया है। माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव लाया है " The Vice-Chairman and non-official members will be honorary members without any remuneration or allowances apart for TA/DA as may be applicable." जो भी आपने कहा। जो आपने अपनी बात कही है उस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि नॉन ऑफिशियल मैम्बर को पहले ही केवल अलाउंसिज का प्रावधान है, उनके लिए कोई नया प्रावधान इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। जबकि वाइस चैयरमेन नियुक्त होगा तो उसके लिए भी केवल अलाउंसिज का ही प्रावधान नियमों में किया जाएगा। माननीय सदस्य जगत सिंह नेगी जी ने जो संशोधन दिया है कि वाइस चैयरमेन सरकार द्वारा नोमिनेट करने के स्थान पर विधान सभा द्वारा किसी सदस्य को नोमिनेट किया जाए। मुझे लगता है कि यह संशोधन बहुत जरूरी नहीं है। कुछ बातें हमारे ऊपर भी छोड़ दीजिए। क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों के नोमिनेशन भी सरकार ही करती है, अतः वाइस चैयरमेन को भी सरकार द्वारा नोमिनेट करना उचित रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। इसके अलावा सिर्फ़ इसमें यही व्यवस्था है कि मुख्य मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे

और पर्यटन मंत्री अगर कोई होंगे तो वे वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे तथा सरकार द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति जिसको हम सरकार

15/09/2020/1305/MS/HK/2

की ओर से चाहेंगे, उसको उपाध्यक्ष के नाते इसमें सम्मिलित किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जो यहां पर संशोधन दिया है, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग इस प्रस्ताव को पारित करने में अपना सहयोग दें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी व राकेश सिंघा जी अपने संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री जगत सिंह नेगी : जी, नहीं।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, फिर भी आप न कह रहे हैं।

श्री राकेश सिंघा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मेरी चर्चा को गलत समझ रहे हैं। जो बातें इन्होंने कही हैं हम उन सारी बातों से सहमत हैं। मैं सिर्फ़ यह कह रहा हूं कि इस कोरोना वायरस के चलते फिलहाल इसको डैफर कर दीजिए। अगर तीन महीने बाद वायरस चला जाएगा तो आपने दुबारा ले आना लेकिन सिग्नल करैक्ट जाना चाहिए। यह एक और ऑप्शन मैं मुख्य मंत्री महोदय को दे रहा हूं। Defer it till the next House. अगर वायरस चला जाएगा तो आप एक को छोड़कर दो वाइस चैयरमेन लगा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन माननीय सदस्यों की ओर से आया है, क्योंकि दोनों की ओर से न हुई है, जबकि आपको हां कहनी चाहिए थी..।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा जी से प्राप्त हुआ है, उसे स्वीकार किया जाए?

(संशोधन अस्वीकार हुआ)

जारी जे0के0 द्वारा------

15.09.2020/1310/JK/YK/1

अध्यक्षः.....जारी----------

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 2,3,4 और 5 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खंड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

15.09.2020/1310/JK/YK/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक,2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) ध्वनिमत से पारित हुआ।

15.09.2020/1310/JK/YK/3

अध्यक्षः अब माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन विधेयक, 2020) (2020 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन विधेयक, 2020) (2020 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन विधेयक, 2020) (2020 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन विधेयक, 2020) (2020 का विधेयक संख्यांक-4) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

15.09.2020/1310/JK/YK/4

अब बिल पर खंडशः विचार होगा। खंड-2 पर माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी व श्री राकेश सिंघा जी से संशोधन आए हैं। दोनों सदस्यों की सहमति होने पर मैं इन्हें प्रस्तुत हुआ समझता हूं, जाकि इस प्रकार है :-

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	**Shri Rakesh Singha**	1	2	-	6	for the word "Seven", the word **"Ten"** be substituted.
2.	**Shri Jagat Singh Negi**	1	2	-	6	for the word "Seven", the word **"Ten"** be substituted.

15.09.2020/1310/JK/YK/5

अतः खंड 2 चर्चा हेतु प्रस्तुत है। श्री जगत सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य इसमें बोल सकते हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन विधेयक, 2020) (2020 का विधेयक संख्यांक-4) पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां पर लाया गया है, इसमें केवल यह संशोधन आ रहे हैं कि इसको 5,000 के बजाय 7,000 हजार किया जाए। यह एक्ट वर्ष 1972 में बना था। इसकी मंशा उस समय यह थी कि जो 1962 के युद्ध में या उससे पहले के युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध या उससे पहले जो युद्ध हुए या फिर वर्ष 1965 के युद्ध में जो उस समय सैनिक थे, उनको व उनके परिवारों को पुरस्कार के रूप में धनराशि देने का प्रावधान था।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

15.09.2020/1315/SS-YK/1

श्री जगत सिंह नेगी क्रमागत :

अब 1972 में 5 हजार रुपये थे, उस जमाने में तो ठीक है परन्तु आज 48 वर्ष बाद भी हम केवल 7 हजार रुपये एक साल में देने का प्रावधान कर रहे हैं तो अगर हम इसको 365 दिन में बांट दें तो शायद दो रुपये प्रतिदिन भी नहीं पड़ता है। तो क्या इस किस्म की मामूली रकम को हम पुरस्कार कहें और उन वीर सैनिकों को हम पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं तो यह बात जंचने वाली नहीं है। मैंने इसमें संशोधन मांगा है और जो आप 7 हजार रुपये सालाना देने की बात कर रहे हैं इसको बढ़ाकर 10 हजार रुपये मंथली किया जाए। क्योंकि आपने इसमें माना है कि अगर 7 हजार रुपये खर्च करेंगे तो पूरा खर्च 9 लाख रुपये भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका फायदा उठाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। जबकि अभी एक बिल पास हुआ तो आपने एक नया चेयरमैन पैदा कर दिया। उसका खर्चा 40 से 50 लाख रुपये होने वाला है क्योंकि वह टूरिज्म वाला है। विदेश में भी घूमने जायेगा क्योंकि उसने विदेश के टूरिज्म से भी फायदा उठाना है। वह सारा खर्च लगाकर वह एक करोड़ रुपये तक आ जायेगा। जहां हम वीर सैनिकों की बात कर रहे हैं और इसमें जो संशोधन बिल आज 48 साल बाद आ रहा है इसको एनुअली देने के बजाय मंथली 10 हजार रुपये करें, यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

15.09.2020/1315/SS-YK/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी, आपने सिर्फ अमैंडमैंट पर ही एक या डेढ़ मिनट बोलना है।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से जो यह बिल - हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) यहां आया है इस पर मैंने छोटी-सी अमैंडमैंट दी है। जगत सिंह नेगी जी और मेरी अमैंडमैंड सम्भवतः बिल्कुल एक जैसी है। ...(व्यवधान)... अलग-अलग है, यह हो सकता है, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्रक्स यह है कि जो आपने फाइनेंशियल मैमोरेंडम में बात कही है मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं और नेगी जी ने भी उसी को प्वाइंट आउट किया है। एक्चुअली यह मसला रिस्पैक्ट देने का है। 5 हजार, 7 हजार या 10 हजार की राशि ज्यादा मायने नहीं रखती है। It is the respect that we pay to our martyrs. आपने कॉरैक्टली प्वाइंट आउट किया है कि "However, there is no increase in the present number of awardees the additional expenditure involved would be Rupees nine lakh four thousand per annum approximately from the State Exchequer." इसलिए अब यह अमाउंट इतनी कम है। Let's be more open hearted. वहां तो हम अपना पूरा हार्ट खोल रहे हैं, तिजोरी खोल रहे हैं लेकिन यहां पर हम अपनी मुट्ठी बंद रख रहे हैं, थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने अमैंडमैंट उस अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए पेश की है और कहा है कि वह अमाउंट 7 हजार रुपये से 10 हजार रुपये कर देनी चाहिए वह बिल्कुल समयानुकूल है।

अध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ज्यादा इंट्रप्ट नहीं किया।

15.09.2020/1315/SS-YK/3

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 का संशोधन विधेयक है। 1962, 1965 और 1971 में एक चीन के साथ और दो पाकिस्तान के साथ युद्ध

हुए हैं जोकि घोषित युद्ध थे। उस समय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद-352 के तहत लगाया गया था और

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1320/केएस/एएस/1

शहरी विकास मंत्री जारी---

उस समय देश की रक्षा करने के लिए, सेना में सेवा देने के लिए लोगों ने अपने बेटों को भेजा था और उन्होंने अपनी समस्याओं को दर-किनार करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उनको सेना में भर्ती करवाया था। फिर युद्ध के बाद जो शहीद हो गए, उनको छोटा सा योगदान देने के लिए उस समय यह कानून बनाया गया और 21 अप्रैल, 1972 से पहली बार यह पुरस्कार दिया गया जिसको युद्ध जागीर कहते हैं। उस समय यह 150 रुपये प्रतिवर्ष था, जब 1972 में यह कानून बनाया गया। फिर 14 अगस्त, 1982 में बढ़ाया यानि 1972 से ले कर 1982 तक 10 वर्ष तक यह 150 रुपये प्रतिवर्ष ही रहा। 1982 में इसको 150 से 300 रुपये किया गया। फिर 1 जनवरी, 1993 में, 11 साल के बाद इसको 300 से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिवर्ष किया गया। 1 अप्रैल, 1998 में इसे 600 से 900 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2009 में, 1998 के बाद वर्ष 2009 तक इसमें कोई बढ़ौत्तरी नहीं हुई। 1 अप्रैल, 2009 में यह 2000 रुपये प्रतिवर्ष हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल, 2013 से इसको 5000 रुपये प्रतिवर्ष किया गया है। वर्ष 2013 से इसका संशोधन नहीं हुआ। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह युद्ध जागीर बढ़ाने का वायदा किया है, घोषणा की है और इसे 7000 रुपये किया गया है। मैं माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं कि यह बहुत अधिक नहीं है लेकिन यह पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। वास्तव में अध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 1972 में युद्ध जागीर के जो लाभार्थी थे, उनका आंकड़ा 2500 से अधिक था लेकिन अब यह दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बढ़ती उम्र के कारण या अब युद्ध जागीर के लाभार्थियों की मृत्यु हो रही है और वर्ष 1972 के बाद कोई घोषित युद्ध भी नहीं हुआ क्योंकि कारगिल युद्ध भी कोई घोषित युद्ध नहीं था। इसलिए उनको यह युद्ध जागीर नहीं मिलती। इनकी संख्या अब 2500 से केवल 452 रह गई है। यह युद्ध जागीर बढ़ाई जा सकती है लेकिन इस वर्ष जो बजट में घोषणा हुई है, उसको मूर्त रूप देने के लिए जो एक्ट बना है, एक्ट में प्रावधान करने की आवश्यकता थी इसलिए उस बजट घोषणा को हम लागू कर रहे हैं।

अगले वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी यदि चाहेंगे तो जो माननीय जगत सिंह नेगी जी और माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने कहा है, उनके सुझाव पर विचार करेंगे और अपने साधनों के अनुसार, अपने विवेकानुसार अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उचित समझेंगे,

15.09.2020/1320/केएस/एएस/2

इसको फिर भी बढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी संशोधन उस बजट घोषणा के अनुसार जो आया है, 5000 से 7000 करने का, उसको हम बिना संशोधन के पास कर लें और आने वाले समय में इसमें बढ़ौत्तरी हो सकती है। इस विषय में आपके सुझाव का ध्यान रखा जाएगा। मेरा इस माननीय सदन से निवेदन है कि इस बिल को पारित किया जाए।

अध्यक्षः माननीय शहरी विकास मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी व श्री राकेश सिंघा जी अपने संशोधन वापिस लेना चाहेंगे?

श्री जगत सिंह नेगीः नहीं, अध्यक्ष महोदय। आजकल पुरस्कार ज्यादा मिलने की ज़रूरत है, अगले साल क्या करना? कोरोना तो अभी है

अध्यक्षः माननीय राकेश सिंघा जी, आप क्या चाहते हैं?

श्री राकेश सिंघाः नहीं, अध्यक्ष महोदय, हम अपने संशोधन को वापिस नहीं लेंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15-9-2020/1325/av/ag/1

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी और श्री राकेश सिंघा जी से प्राप्त हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए?

संशोधन अस्वीकार

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

15-9-2020/1325/av/ag/2

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) ध्वनिमत से पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

लंच के बाद **श्री टी सी द्वारा जारी**

15.09.2020/1435/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 2.35 बज़े पुनः आरम्भ हुई)

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दल (नाहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि :

"नई शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे।"

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "नई शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे।"

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपने नियम-130 के अंतर्गत मुझे अपना विषय प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।

'तमसो मा ज्योतिर्गमयः'

हे ज्ञानदायनी, मेरा अंधकार दूर करके प्रकाश दो, मेरा मार्ग प्रशस्त करो। यह जिज्ञासा भारत में सदैव हजारों-लाखों सालों से बनी रही है। जब मनुष्य पैदा होता है, उसके पास प्रभु प्रदत्त सब प्रकार की शक्तियां रहती है। परंतु उनका विकास करना होता है। बाल्यकाल में शिशु अवस्था में उस बच्चे की माता और पिता उसका विकास करते हैं। वह मातृभाषा में बोलना व सीखना शुरू करता है जैसे उसकी मां, पिता, भाई और बहन बोलते हैं। तत्पश्चात् विद्यालय की ओर बढ़ता है, विद्यालय में शिक्षकों और अपने साथियों से सीखता है। हायर एजुकेशन में जाता है, अपने व्यापार, कारोबार, नौकरी में जाता है और इसके साथ-साथ उसका ज्ञानवर्धन होता चला जाता है। परंतु हजारों साल से जो विद्धान लोग है, उन्होंने इसको शिक्षा, विद्या और सिलेबाई के रूप में परिणित किया

श्री आर0के0एस0 .... जारी

डॉ0 राजीव बिन्दल... जारी

कि हमें पैदा होने वाले बच्चे को किस प्रकार विकसित करना चाहिए ताकि वह समाज के अंदर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। आदिकाल से हमारे देश में विद्या ग्रहण करने की अलग-अलग प्रकार की परंपराएं हैं। गुरुकुल की परंपरा रही, चाहे वह भगवान श्री राम के गुरु रहे हों, भगवान श्री कृष्ण के गुरु रहे हों या फिर अर्जुन के गुरु रहे हों। इस तरह के अनकों उदाहरण हमारे सामने हैं जहां हम गुरु परंपरा से विद्या का अध्ययन करते आए हैं। कालांतर में यह शिक्षा का विषय सरकार के अधीन चला गया। ब्रिटिश शासन के समय एक अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमारे सामने आई। सन् 1947 में भारत आजाद हुआ और यहां पर एक शिक्षा नीति लागू की गई। उस शिक्षा नीति को दो बार परिवर्तित किया गया। जिस शिक्षा नीति के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं इससे पूर्व सन् 1986 में हमारी शिक्षा नीति बनी थी। सन् 1992 में इसके भीतर कुछ अल्प संशोधन किए गए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि सन् 1986 की शिक्षा नीति और जो 1992 की शिक्षा नीति है उसके बाद वर्ष 2020 में, 34 वर्ष के बाद, श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार में यह नई शिक्षा नीति लाई गई है। यह एक सामयिक नीति है। मैं इसके लिए श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने 34 साल के बाद इस देश की आवश्यकता के अनुरूप एक नई शिक्षा नीति का निर्धारण किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार किया। इससे पहले टी.आर. सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी सिफारिशें की और उस कमेटी की सिफारिशों के ऊपर संसदीय सदस्यों ने अनेक प्रकार के सुझाव और आपत्तियां दी। श्री कस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने फाइनली 117 पन्नों की शिक्षा नीति देश को समर्पित की। इस नई शिक्षा नीति के बनाने के क्या कारण हैं, यह नीति क्यों बनाई गई, उससे पहले जो मोटे-मोटे परिवर्तन दिखाई देते हैं मैं उनकी बात इस माननीय सदन के सामने रखना चाहूंगा। आज अनौपचारिक तौर पर प्री-स्कूलिंग चलती है।

चाहे वह आंगनबाड़ी के रूप में हो या प्री-नर्सरी के रूप में परंतु पहली बार देश ने फंडामैंटल

15.09.2020/1440/RKS/AS-2

एजुकेशन में 5 साल के लिए इस कोर्स का निर्धारण किया है। देश में एक सामयिक कोर्स बनाया जा रहा है जिसको फंडामैंटल एजुकेशन कहा जा सकता है। उसके बाद प्रीपरेट्री 3 साल, मिडिल 3 साल और सैकेंडरी 4 साल की है। इसमें यह अंतर है कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया था जिसको आर.टी.ई. कहा गया। शिक्षा का यह मौलिक अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए दिया गया था। इसके अंदर यह एक बहुत बड़ा बेसिक परिवर्तन है। जो शिक्षा का अधिकार माननीय मोदी जी ने नई शिक्षा के अंदर दिया है उसमें 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए यह अधिकार दिया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम फाउंडेशन स्टेज में फंडामैंटल एजुकेशन की बात करें तो इसके अंदर 3 साल की प्री- स्कूलिंग है जिसका सायलेबी नेशनल लैवल पर तैयार किया जाएगा।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1445/बी0एस0/डी0सी0/-1

डॉ राजीव बिंदल जारी...

अभी तक का जो विषय है वह अनौपचारिक है। किसी आंगनबाड़ी में कुछ पढ़ा दिया ,किसी प्री नर्सरी में कुछ पढ़ा दिया और यदि मेरा अपना स्कूल है तो मैंने कुछ पढ़ा दिया। ये सब न हो करके एक ऑर्गेनाइज्ड सलेबाई फाउडेंशन स्टेज का प्री स्कूलिंग का और दो साल पहली और दूसरी कक्षा का विषय है। इस प्रकार से पांच साल का नया सलेबाई सरकार तैयार कर रही है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी विशेषता वह है कि यह शिक्षा मात्री भाषा में ली जा सकती है। एक बच्चा परिवार में हिन्दी बोलता है, हिन्दी के साथ पढ़ना शुरू करता है, हिन्दी के साथ बढ़ना शुरू करता है। माता उसकी अंगुली पकड़ कर ले करके जाती है और कहती है एक, दो, तीन, चार ये सिढ़ियां चढ़ो और वह बच्चे को याद हो जाता

है। इसी तरह से भारत के अन्दर अनेक समृद्ध भाषाएं हैं। दक्षिण भारत से ले करके उत्तर भारत तक हमारी जो मात्री भाषाएं हैं उन मात्री भाषाओं को पहली बार अधिकृत किया गया है कि मात्री भाषा में विषय बना करके यह जो फाउंडेशन स्टेज है इसमें शिक्ष देने का विधिवत प्रावधान किया है। इसके बाद प्रेप्रेट्री स्कूलिंग है। तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा। ये जो प्रेप्रेट्री है यहां से आ करके हमारे विषय शुरू होते हैं। भाषा का ज्ञान इसमें शुरू होगा, गणित का ज्ञान इसमें शुरू होगा, विज्ञान का ज्ञान इसमें शुरू होगा, कला का ज्ञान इसमें शुरू होगा और तीसरी, चौथी और पांचवी के अंदर हमारे बच्चे का आधार बनेगा। आठ साल से ग्यारह साल की उम्र के बालक, बालिकाएं इसके अंदर प्रवेश करेंगे। इसके बाद जो मिडिल कक्षाएं हैं वह छठी, सातवीं और आठवीं यानी चौदह वर्ष से कम आयु का बलक है इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण विषय है। जो हम सब के ध्यान में रहने की आवश्यकता है। हम दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करके निकल जाते हैं उसके बाद हम रॉ हैंड होते हैं। हमारे को ए-बी-सी-डी भी ढंग से नहीं आती है। यदि एक एप्लिकेशन लिखने के लिए जाते हैं वह भी हमसे ठीक तरीके से नहीं लिखी जाती है और कहीं इन्डस्ट्री में जाना पड़े तो हमें रोजगार नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमारा मानसिक विकास उस प्रकार से नहीं हुआ है। छठी कक्षा से पूरे देश भर में एक साथि प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना

15.09.2020/1445/बी0एस0/डी0सी0/-2

हर बच्चे के लिए लाजमी होगा। कई बार यह विचार आता है कि उसको कैसे ट्रेनिंग देंगे क्या उसमें रुचि होगी तो इसमें स्पैसफिक इंडिकेशन दी गई है कि विद्यार्थी परख शिक्षा। यानी उस विद्यार्थी का अध्ययन किया जाएगा कि उसकी रुचि किस चीज में है। उसकी कला के अंदर है, उसकी संगीत के अंदर है, उसकी कुछ और निर्माण करने की है। उसकी रुचि भवन निर्माण करने के अंदर है, आर्ट का काम करने के अंदर है, भाषा और भाषण उच्चारण करने के अंदर है, संगीत के अंदर है। अनेक-अनेक प्रकार की हमारे अंदर गुणवत्ता रहती है। उस गुणवत्ता को छांट करके और उस विषय को देना छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लगातार उसको उस विषय के अंदर पारंगत करके निकालना यानी बारहवीं कक्षा के बाद जो छात्र-छात्राएं बाहर निकलेंगे वे कम-से-

कम एक विषय के अंदर वे और अधिक पारंगत होंगे। चाहे वह लकड़ी का काम करने के लिए पारंगत होंगे, चाहे किसी साइंस का यंत्र बनाने के लिए पारंगत होंगे और उनके मन की स्थिति और बुद्धि का विकास उस प्रकार से होगा कि वे शोद्ध परक दृष्टि को ले करके आगे बढ़ेंगे। छठी कक्षा, सातवीं और आठवीं कक्षा के अंदर कौशल विकास शुरू कर दिया जाएगा। आज बारहवीं कक्षा पास करने के बाद हमें ध्यान में आता है कि इसे फैक्ट्री में भेज दो कौशन विकास करवा दो, कौशल विकास का विश्वविद्यालय खड़ा कर दो उसके अंदर छात्रों को ले जाओ। मैं यह नहीं कहता कि इससे पहले ऐसा शुरू नहीं हुआ होगा। बहुत सारे विद्यालयों के अंदर दसवीं ग्यारहवीं और बाहरवीं के अंदर इस प्रकार की शिक्षा दी गई। परंतु उसे विद्यार्थी के गुणों के आधार पर विकसित करने का प्रयास नहीं हुआ।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1450/डी.सी.-एन.जी./1

डॉ. राजीव बिन्दल जारी.....

एक सबजैक्ट, एक स्कूल के अंदर होता है और सभी को वही पढ़ा दिया जाता है तथा किसी स्कूल में कोई दूसरा सबजैक्ट होता है तो वहां पर वह पढ़ा दिया जाता है। यानि बच्चे को उसकी दृष्टि से तैयार करने के लिए छठी, सातवीं, आठवीं में उसके सारे सबजैक्ट पूरी तरह से शुरू होंगे। इसके अलावा नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं में गहन अध्ययन का काल रहने वाला है। इसके अंदर बोर्ड की परीक्षाएं उसी प्रकार से होंगी और आठवीं, दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं पूरी तरह से बोर्ड के साथ जुड़ी हुई होंगी। नई शिक्षा नीति लाने के पीछे कुछ तर्कसंगत विषय साथ में जुड़े हुए हैं। तीसरी कक्षा से बच्चे की एनरोलमेंट करने का मतलब है कि वर्ष 2030 तक देश का एक भी बच्चा एनरोलमेंट से न छूटे। इस लक्ष्य को लेकर यह नीति लाई गई है कि हमारे बच्चों की 100 प्रतिशत एनरोलमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत बच्चों की एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा गया है। अभी की स्थिति के अनुसार देश भर में उच्च शिक्षा में केवल 27.4 प्रतिशत बच्चों की एनरोलमेंट हुई है। अब यह सवाल पैदा होगा कि नई शिक्षा नीति तो आ गई है लेकिन अध्यापक उस दृष्टि से तैयार नहीं हैं।

इसके लिए वर्ष 2022 से पहले देश के सभी अध्यापकों को विशिष्ट कोर्सिस के माध्यम से तैयार किया जाएगा। जिसको कहा जा सकता है कि उन्हें प्रोफैशनल मानकों के ऊपर पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। यह इस नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम लोग बरसों से सुनते और चर्चा करते आए हैं तथा पिछले 40 साल से हम यह सुनते आए हैं कि शिक्षा जो वास्तव में मनुष्य का निर्माण करती है, उसे विश्व के कॉम्पिटिशन के अंदर लाकर खड़ा करती है इसलिए उस शिक्षा में सर्वाधिक व्यय होना चाहिए। सरकारों की तरफ से शिक्षा पर व्यय बढ़ना चाहिए परंतु ऐसा नहीं हुआ। सरकारों ने प्रयास किया होगा परंतु ऐसा नहीं हुआ। आज 4.4 percent of GDP पूरे देश भर में शिक्षा के ऊपर व्यय होता है लेकिन इस नीति के लागू होने के साथ ही 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

15-09-2020/1450/डी.सी.-एन.जी./2

मैं इसके लिए वर्तमान मोदी सरकार को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, बारहवीं के बाद हमारी उच्च शिक्षा नीति में बहुत मेजर परिवर्तन किए गए हैं। हमारा एक विद्यार्थी इंजिनियरिंग में एडमिशन ले लेता है उसके बाद वह अपनी पारिवारिक, स्वास्थ्य या अन्य किसी कारण से वह एक साल के बाद पढ़ाई छोडने को मजबूर हो जाता है तो उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। दो या तीन साल के बाद भी अगर छोड़ता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि अगर वह एक साल के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके पास इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट होगा। अगर वह तीन साल के बाद छोड़ता है तो उसे इंजिनियरिंग डिपलोमा मिलेगा और चार साल पूरा करने के बाद उस बच्चे को डिग्री मिलेगी। यह एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसे शब्दों में ढ़ाला गया है कि multiplicity and exit system, मुझे इसका मतलब तो नहीं मालूम है लेकिन मैंने इसका भावार्थ बताने का प्रयास किया है कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, तीन साल के बाद डिपलोमा और चार साल के बाद डिग्री, उस विद्यार्थी को प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि किसी विघार्थी ने 3 साल का डिपलोमा करके छोड़ दिया और एक साल बाद फिर से ज्वाइन करना चाहता है तो एक साल की पढाई और

करके अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है। यानि के उसका समय किसी भी प्रकार से बर्बाद नहीं होगा और उसकी शिक्षा लगातार चलती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। आज बच्चे बाहरवीं के बाद तीन साल का डिग्री कोर्स करते हैं, उसके बाद दो साल की एम.ए. करते हैं, उसके बाद दो साल की एम.फिल करते हैं और उसके बाद बच्चे को पी.एच.डी. में एडमिशन मिलती है। नई शिक्षा नीति में इस सिस्टम को बिलकुल बदल दिया गया है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

15/09/2020/1455/MS/HK/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-----

इन्होंने कहा कि अगर किसी ने बी.ए., बी.एस.सी. या उसके बाद नौकरी करनी है या व्यक्तिगत काम करना है तो वह तीन साल का डिप्लोमा करेगा। अगर किसी ने रिसर्च में जाना है या पी.एच.डी. करनी है या फरदर एजुकेशन करनी है तो वह चार साल की डिग्री करेगा और एक साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। यानी जमा दो के बाद पांच साल में वह पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा और पांच साल के बाद तुरन्त उसको पी.एच.डी. में दाखिला मिल जाएगा। उसको एम.फिल. के दो साल नहीं लगाने पड़ेंगे। एम.फिल. और पी.एच.डी. दोनों का एक ही प्रकार का सिलेबस है क्योंकि दोनों में एक ही प्रकार की थिसिज लिखनी पड़ती हैं इसलिए दुबारा से ये सब क्यों करना है। हमारे देश के युवा का समय अत्यन्त कीमती है। उसको दुनिया के साथ मुकाबला करना है इसलिए उसके समय को बचाने की बात इस हायर एजुकेशन के अंदर की गई है। मैंने कहा कि कोई एक साल पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, तीन साल पढ़ेगा तो डिप्लोमा मिलेगा और चार साल पढ़ेगा तो डिग्री मिलेगी और अगर तीन साल का डिप्लोमा करके अपने काम में जाना चाहता है तो जाये अन्यथा पांच साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा और सीधे तौर पर पी.एच.डी. के लिए अपने आपको शामिल करेगा। हायर एजुकेशन में सब जाना चाह रहे हैं परन्तु इस शिक्षा नीति के अंदर एक ऐम्फेसिज, एक इसकी प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे शोधपरक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें। शोध क्या है? भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। अगले आने वाले 10 सालों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है और भारत की सम्पदा क्या है? हमारी सबसे बड़ी सम्पदा ये युवा हैं और उन युवाओं का उपयोग हम राष्ट्र के विकास के लिए कर सकते हैं।

आज हम दुनिया की तीसरी और आर्थिक शक्ति बनने की तैयारी कर रहे हैं तो किसके आधार पर बनेंगे, इन्हीं युवाओं के आधार पर बनेंगे। अगर ये आज के सामयिक विषयों के ऊपर शोध करेंगे, दुनिया में सामयिक विषयों को लेकर कम्पीट करेंगे तब जाकर ये दुनिया के अंदर भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने में कामयाबी दे सकते हैं। इस शिक्षा नीति को लेकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा। हमारे मन में भी सवाल आया कि नई शिक्षा नीति का कारण क्या है, क्यों ये नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं जबकि शिक्षा तो चल रही है और पहले से चल रही है। इसमें ऐसा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहते हैं। हम देश के युवाओं को उनकी प्रतिभा

15/09/2020/1455/MS/HK/2

के अनुरूप शिक्षा देते हुए रोज़गारपरक शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहते हैं। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें इस शिक्षा नीति के अंदर है। आज दुनिया में तरह-तरह के विकास हो रहे हैं और विषय बदलते जा रहे हैं। किसी समय में विषय अलग थे, आज अलग हैं। आज प्रकृति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और खेती की भूमि घटती जा रही है। अनाज की आवश्यकता और बाकी अखराजात की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सिकुड़ती भूमि, सिकुड़ता जल, स्वच्छ जल की मात्रा की कमी और प्राकृतिक असंतुलन जैसी स्थितियों के अंदर हमें ऐसी शिक्षा और ऐसे शोध की आवश्यकता है जिससे हम दुनिया के लिए नई वस्तुओं को पैदा करके दे सकते हैं। हम ऐसे विद्यार्थी और शोधकर्ता पैदा कर सकें जो दुनिया की आवश्यकता को मीट कर सकें। आज जो मानव संसाधन विकास की बात है तो आज दुनिया को ऐसे सांइटिस्ट चाहिए जो डाटा के बारे में जानते हैं। वह डाटा की साइंस इतनी बड़ी साइंस हो गई है कि उसके लिए हमारे लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। आज हमें मेडिकल साइंस की जरूरत है। आज कोरोना महामारी की वैक्सीन पैदा करने के लिए सारी दुनिया दौड़ रही है लेकिन नये-नये इन्फैक्शन्ज भी पैदा हो रहे हैं। हम आज कोई कोरोना की बात न करें क्योंकि इससे पहले भी देखें तो स्वाइन फ्लू आया था।

जारी जे0के0 द्वारा----

डॉ0 राजीव बिन्दलः-------जारी-------

हमारे देश के अन्दर तरह-तरह के मच्छरों और पैरासाइट्स के कारण पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं,उनका प्रकोप दुनिया के अन्दर बढ़ा है। हमारी रजिस्टेंस घट रही है। ऐसे में मैडिकल साइंस के अन्दर काम करने वालों की हमें आवश्यकता है। इन सारी स्थितियों के विषय में शोध करने वाले युवाओं की नितान्त आवश्यकता है। अब इसके लिए ऐसा वतावरण तैयार करने की ज़रूरत है, जहां पर वे विद्यार्थी, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि स्टार्ट अप इण्डिया और स्टैंड अप इण्डिया। अब वह स्टार्ट अप तैयार हो रहे हैं। अब हमारा मन-मस्तिष्क उस तरफ लग रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक उदाहरण दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मेरे नाहन विधान सभा क्षेत्र का एक स्कूल है। वह बिल्कुल छोटा-सा स्कूल है। काला-अम्ब पंचायत का स्कूल है। उस स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 70 परसेंट बच्चे इण्डस्ट्री में काम करने वाली लेबर के हैं। परन्तु हमारे अध्यापकों ने इतनी अच्छी मेहनत की कि उस स्कूल में रेडियो स्टेशन चल रहा है। पूरे देश में केवल 6 सरकारी स्कूलों में रेडियो स्टेशन है और हमारे स्कूल के अन्दर रेडियो स्टेशन काम कर रहा है। वह बच्चों ने बनाया और बच्चे ही उस रेडियो स्टेशन को चला रहे हैं। साइंस के विभिन्न कम्पीटिशन्ज़ हैं, वह मोगीनन्द का स्कूल पूरे हिमाचल के अन्दर और भारत के अन्दर अपनी एक विशिष्टता बनाए हुए है। एक अध्यापक है, जो उनको दिशा देता है कि इस दिशा में हमने शोध करना है। वे सरकारी स्कूल के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे आज इतनी अच्छी परफॉरमैंस में आ गए हैं। जो हमारे बालक-बालिकाएं हैं, वे अगर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश दुनिया को वह सब कुछ दे सकता है, जिसकी दुनिया को आवश्यकता है और हमारी आर्थिक स्थिति और हमारा रोज़गार, दोनों इसके ऊपर निर्भर हो सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वह विषय क्या है कि भारत दुनिया का सबसे प्राचीन

15.09.2020/1500/JK/HK/2

राष्ट्र है। इसको अब सारी दुनिया मान चुकी है। जब दुनिया को पढ़ना-लिखना नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी, स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं था, उस समय भारत के पास संस्कृत जैसा पाठ्यक्रम था,। हमारे पास आयुर्वेद जैसा ज्ञान था। हमारे पास खगोल शास्त्र था। हमारे पास गणित था। हमारे पास वेद था। हमारे पास वे सब ज्ञान थे, परन्तु आज वे बैकफुट पर चले गए हैं। आज इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम भारत की उस परम्परा, भारत की संस्कृति, भारत का ज्ञान, भारत का दर्शन, भारत का गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, धातू विज्ञान, भारत की शल्य चिकित्सा, भारत का चिकित्सा विज्ञान, भारतीय इंजीनियरिंग ज्ञान, भारतीय नौकाएं विज्ञान, भारतीय भवन निर्माण विज्ञान, भारतीय दिशा विज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, वैदिक ज्ञान, ललित-कला का ज्ञान, योग का ज्ञान और न जाने कितने ज्ञान, जो दुनिया को भारत ने दिए, उन सभी विषयों के अन्दर शोधकर्त्ता तैयार करके भारत की माटी से नए शोध तैयार करके हम भारत को स्वावलम्बन की ओर, भारत को पूरी तरह से आत्म-निर्भरता की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। कई बार अपने आप में आत्मसंतोष होता है। परन्तु अंग्रेजों ने जो हमें शिक्षा नीति दी, उन्होंने हमें डाउन ग्रेड किया। मैकाले ने कहा था कि 'if you want to destroy a country, destroy its history and culture first' और लॉर्ड मैकाले की इस बात के बाद हम हेय दृष्टि में चले गए। अध्यक्ष जी, मैं सदन को स्मरण करवाना चाहता हूं कि भारत के अन्दर जो महान् वैज्ञानिक और महान् विद्वान महाऋषि चरक हुए, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया। महाऋषि सुश्रुत हुए, जिन्होंने सर्वगृह का ज्ञान दिया। हमारा जो कांगड़ा शब्द है, यह वास्तव में कानघड़ा शब्द है। जब युद्ध होते थे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

15.09.2020/1505/SS-AS/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागत :

और कान कट जाता था, नाक कट जाती थी तो प्लास्टिक सर्जन कांगड़ा में होते थे और यहां से प्लास्टिक सर्जरी पैदा हुई थी और सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का ज्ञान दिया था। आज भी जो मोतियाबिंद (Cataract) की सर्जरी लेटैस्ट टैक्नॉलोजी से करते हैं वह वो सर्जरी है जो सुश्रुत ने यवकर्म बताया था, उस यवकर्म की सर्जरी को आज भी हम कैटरैक्ट की सर्जरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भागवट जिन्होंने हमें भगोल शास्त्र का ज्ञान दिया। पाणिनी जिन्होंने हमें संस्कृत का ज्ञान दिया। आर्यभट्ट जिन्होंने हमको पूरे विश्व का ज्ञान दिया। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चंद्रपाणी, चाणक्य, जिन्होंने हमारे को राजनीति का ज्ञान दिया। पंतजलि जिन्होंने योग, शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। नागार्जुन जिन्होंने रस शास्त्र का ज्ञान दिया। आज भी रस कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं कैसे छातुओं का उपयोग शरीर के रक्षण के लिए हो सकता है, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मेत्रेयी, गार्गी, माधव, त्रिवल्लम हज़ारों विद्वान जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। उनके ज्ञान का संग्रह हमारे देश की तक्षशिला में था। नालंदा में था, विक्रमशिला में था। वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय में था और वह जो ज्ञान है जिसको आतताइयों ने लूटा, जलाया और समाप्त भी किया। परन्तु आज भी हमारे पास विद्यमान है। आज आवश्यकता है कि इस नयी शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी जो समृद्ध संस्कृति है, हमारी जो समृद्ध परम्परा है, हमारा जो योग है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो कला है उसको विकसित करते हुए भारत को दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ट राष्ट्र के रूप में खड़ा करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य है। सार्वभौमिक उच्च स्तरीय शिक्षा से देश को समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और सम्वर्धन, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए उपयोग करना, यह हमारी नयी शिक्षा नीति का लक्ष्य है। मैं इस नयी शिक्षा नीति को लाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको प्रदेश में लागू करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनको भी मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में मेरे देश का युवा पथभ्रष्ट न हो करके भारतीय संस्कृति, भारतीय मानकों के साथ जुड़ करके नयी शिक्षा नीति का लाभ उठाते हुए राष्ट्र

निर्माण के अंदर प्रदेश निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभायेगा। ऐसी आशा के साथ आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

15.09.2020/1505/SS-AS/2

अध्यक्ष : डॉ0 राजीव बिंदल जी ने नयी शिक्षा नीति पर शुरूआत की है। अब इस विषय पर माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल से भी सूचना प्राप्त हुई, वे चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय डॉ0 राजीव बिंदल जी ने जो प्रस्ताव यहां पर नियम-130 के अंतर्गत रखा कि नयी शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे, मैं भी इसी विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत बड़ा कदम है। हमारी 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण विकासात्मक निर्णयों में से एक है। जैसा डॉ0 राजीव बिंदल जी ने कहा कि लगभग 34 वर्षों के बाद हमारे देश में नयी शिक्षा नीति आई है। इस शिक्षा नीति के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ0 कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक टीम का गठन किया।

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1510/केएस/एएस/1

श्री राकेश जम्वाल जारी---

लगभग तीन वर्ष तक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लगभग एक हजार विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों, 150 शिक्षाविदों तथा 2,25,000 सामान्य नागरिकों से सुझाव लिए गए और तीन वर्षों के पश्चात यह ड्राफ्ट तैयार हो कर डॉ0 कस्तूरी रंगन जी की कमेटी ने प्रस्तुत किया। भारत सरकार की केबिनैट ने इसको पास किया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीयता के प्रति गहरी जड़ें तथा गर्व पैदा हो, जो केवल विचारों से नहीं अपितु बुद्धि, ज्ञान गर्व, कौशल और मूल्य से हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। पूर्व में भी जो शिक्षा नीतियां

बनाई गईं, हम उसके विषय में कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते लेकिन वर्तमान की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें आदरणीय डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने जिस प्रकार से विषय रखा, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा का स्तर इस देश में कैसा था और इस देश में जो घटनाएं घटित भी हुई, हमारे रैंकिंग में टॉप टैन में आने वाले विश्वविद्यालय चाहे जे.एन.यू. हो या ए.एम.यू. हो, उनमें भी जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, वहां पर देश विरोधी गतिविधियां हुई हैं, वहां पर इस प्रकार के नारे भी लगाए गए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इस प्रकार का काम भी, इस प्रकार की टॉप की युनिवर्सिटीज़ में हुआ। ये सारे विषय चिंताजनक हैं और अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की शिक्षा नीति में जिस प्रकार से हमने देखा कि जो विषय इसमें समाहित किए गए हैं, हमारे आई.आई.टीज़ में जो शिक्षा दी जाती थी, वहां पर मानव मशीने बनाने का काम शुरू हो गया था। अब आई.आई.टी. जैसे संस्थान भी बहु-विषयक बनेंगे। कला और मानविकी सम्बन्धी विषय के छात्र विज्ञान सीख सकेंगे और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्व के टॉप के जो 100 विश्वविद्यालय हैं, उनके कैम्पस नए कानून के तहत हमारे देश में स्थापित होंगे जिससे हमारे देश में भी शिक्षा में सुधार होगा और उसके साथ-साथ कम्पीटिशन भी होगा। हमारे देश के विश्वविद्यालय और विश्व के टॉप के विश्वविद्यालयों की आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो उससे गुणवत्ता भी आएगी और जो हमारे युवा विद्यार्थी यहां से विदेशों में पढ़ाई करने

15.09.2020/1510/केएस/एएस/2

के लिए जाते थे, वे वहीं रह जाते थे। हमारा टेलेंट विदेशों में चला जाता था लेकिन जब टॉप युनिवर्सिटीज़ के कैम्पस यहां स्थापित होंगे, हमारे देश के विद्यार्थी यहीं पर पढ़ेगा, यहीं पर शिक्षा ग्रहण करेगा और उसके बाद वह यहीं पर अपने देश के लिए कुछ न कुछ करेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा नीति में जो उद्देश्य जैसा मैंने कहा कि आदरणीय डॉ0 बिन्दल जी ने सारा विषय कह दिया है कि पहले प्लस टू होता था, अब 5+3+3+4 प्रणाली का फोरमेट आ गया, आयु का विभाजन हो गया। अब छठी कक्षा से ही

हमारे विद्यार्थियों को व्यवसायिक विषय का चयन करना ज़रूरी कर दिया गया और हमारे जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होगा जो इससे पहले 4.43 परसेंट शिक्षा पर खर्च होता था ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.9.2020/1515/av/ag/1

श्री राकेश जम्वाल----------जारी

इसके साथ-साथ विद्यार्थियों के हैल्थ कार्ड बनाये जायेंगे। इसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि प्राईवेट और सरकारी स्कूलों में एक जैसे मानक होंगे। हम अब तक जो प्राईवेट स्कूलों की मनमानी देखते थे वह आने वाले समय में नहीं चलेगी। पहले प्राईवेट स्कूलों में ली जाने वाली फीस नियमित नहीं थी। लेकिन अब इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्राईवेट और सरकार स्कूलों के मानक एक जैसे होंगे। इस नीति के तहत अब विद्यार्थियों को 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जो न केवल विषयों में उनके प्राप्त अंकों को सूचित करेगा बल्कि उनके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भी बतायेगा। पहले हमारे यहां दोपहर का भोजन मात्र आठवीं कक्षा तक दिया जाता था परंतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब बारहवीं कक्षा तक दिया जायेगा। इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी अब बैगलैस भी होंगे तथा कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा और उन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जायेगा। इस नई शिक्षा नीति में ऐसे बहुत सारे विषय आए हैं। हमारा यह मानना है कि इससे निश्चित तौर पर हमारा देश आगे बढ़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों को भारत की मिट्टी, जड़ों व संस्कारों से जोड़ते हुए स्वरोजगार दिलाने और देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के लिए बहुत-बहुत शुभ-कामनाएं व बधाई देता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (कर्नल इन्द्र सिंह) : अब माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य डॉ0राजीव बिन्दल जी ने जो यहां पर प्रस्ताव रखा है मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरे हिसाब से आप इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत जल्दी चर्चा लाए हैं। मैं समझता हूं कि आपने यहां पर केवल मोदी जी का गुणगान करना था इसलिए आप इसको चर्चा हेतु लाए। ...(व्यवधान) आप अपने वक्तव्य में खुद कह रहे हैं कि अभी आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को भी जानकारी नहीं है। हमें भी कल रात को 10.00 बजे अपराह्न आज की कार्यवाही के बारे में बिजनैस प्राप्त हुआ था इसलिए हमें भी समय बहुत कम मिला। यह बिल्कुल नई नीति है, इसके अंदर क्या कमियां या खूबियां हैं; उनको जानना भी जरूरी है। लेकिन फिर भी हम जो इसके बारे में समझ सकें या बिन्दल जी ने हमें यहां पर ज्ञान दिया है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि :-

हमको मालूम है जन्नत की हकीकत।
लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है॥

यह ख्याली पुलाव है, आप यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। यह शिक्षा नीति ग्राउंड रियलटी बेस्ड नहीं है। यहां पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि ढाई लाख पंचायतों के लोगों के साथ मिलकर व विचार विमर्श करके यह नई शिक्षा नीति बनाई गई है। आपके स्कूलों में अभी तक छत नहीं है, आपके स्कूलों में अभी तक अध्यापक पूरे नहीं है। आज की तारीख में आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और स्कूलों में अध्यापकों के हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पद खाली हैं। उसके बावजूद आप यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप यहां कह रहे हैं कि ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा; ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि जैसे सारे रिसर्चर्ज बन जायेंगे, सारे आर्यभट्ट बन जायेंगे।

श्री टी सी द्वारा जारी

15.09.2020/1520/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

Chairman (Col. Inder Singh): It's a new born baby.

श्री जगत सिंह नेगी: तभी तो मैं कह रहा हूं कि अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं और आप बच्चे का नाम रख चुके हैं, पहले बच्चा तो पैदा करो। कहते हैं कि "होनहार बिरवान के होत चिकने पात।" अभी इसमें कुछ भी नहीं है। What is the right age for education? इसके ऊपर सबसे पहले बहस होनी चाहिए कि what is the right age for education? कोई कहते हैं कि 5 साल में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, कोई कहते हैं कि 3 साल में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। हमारे जो ज्यादातर विकसित देश हैं, वहां 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। इस शिक्षा नीति में इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ अभी से लोग कोर्ट में जाने शुरू हो गये हैं। आप कहते हैं कि पांचवीं तक बच्चे अपनी मातृ भाषा में पढ़ेंगे। जो तेलगू है वह तेलगू पढ़ेगा, जो मद्रास का है वह तमिल में पढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश की तो अपनी कोई मातृ भाषा ही नहीं है। पांचवीं के बाद आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है? इससे पहले वर्ष 1986 में जो शिक्षा नीति शुरू की गई थी उसमें तीन लैंग्वेजिज का फॉर्मूला था। उसमें हिन्दी, अंग्रेजी और एक अपने राज्य की भाषा को पढ़ने की छूट थी। आज आप हमें धर्म संकट में डाल रहे हैं। एक तरह से लगता है कि आप अंग्रेजी के खिलाफ है और दूसरी तरफ आप आज अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। आपने कोर्ट में केस करवा दिया और उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि आप प्राइमरी में अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। यह कैसी शिक्षा नीति है, यह मेरी समझ से बाहर है। इसमें बहुत बड़ी -बड़ी बातें हो रहीं थीं कि हम छट्ठी से वोकेशनल कोर्स शुरू कर देंगे। क्या आप बच्चों को इलैक्ट्रिशियन या प्लम्बर बनाना चाहते हैं? आप और किस प्रकार का वोकेशनल कोर्स चलाएंगे? इलैक्ट्रोनिक्स की आपके पास लैब नहीं है। अभी स्कूलों में फिजिक्स, कैमिस्ट्री, बॉटनी और बायोलॉजी जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उनके लिए भी लैब नहीं है। छट्ठी में पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है, वोकेशनल टीचर कहां से लाएंगे? क्या आपके पास उतने

कमरे हैं, उनके लिए आपके पास बजट कहां हैं? आप जी0डी0पी0 का छह प्रतिशत शिक्षा के

15.09.2020/1520/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

लिए देने की बात कर रहे हैं। आज जी0डी0पी0 माइनस 23 पर चली गई है आप शिक्षा के लिए छह प्रशितत कहां से लाएंगे? यह कुछ भी नहीं है, यह भी मोदी जी का एक बहुत बड़ा जुमला है क्योंकि बीच-बीच में जुमला तो देना ही पड़ेगा। कभी आप कहते हैं कि हम देश को 'विश्व गुरु' बनाएंगे फिर दो साल में आप बदल देते है कि हम 'मेक इन इंडिया' बनाएंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि हम 'आत्मनिर्भर' बनेंगे। अरे कहां विश्व गुरु से आत्मनिर्भर पर आ गये हो। (***) बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, 56 इंच का सीना पाकिस्तान को तो दिखा देते हैं जब चायना की बारी आती है तो कहते हैं कि घुसकर मारेंगे। लेकिन घुसकर कहां मारा, सारे वापिस आ गये। ...(व्यवधान) सर, अभी मुझसे पहले जिन माननीय सदस्यों ने अपने वक्तव्य दिए है, उसमें उन्होंने टुकड़े-टुकड़े तक बात की। कट एण्ड पेस्ट वहां पर भाषण हुए। आज तक भी मोदी की सरकार यह प्रूफ नहीं कर सकी कि जे0एन0यू0 जैसा हमारा जो महान विश्वविद्यालय है, उसमें इस किस्म के नारे नहीं लगे। ये एक साजिश थी जिसके तहत कन्हैया कुमार जैसे विद्यार्थी को फंसाने की साजिश की गई। आज यह यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान में नम्बर-। पर है जिससे बड़े-बड़े लोग निकले हैं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि विदेशों से 100 यूनिवर्सिटीज आएंगी। आपने देश बेच दिया, अब तो शिक्षा को भी बेच दिया। पिछले कल जो काले कानून लाए, उसमें आपने मजदूरों को भी बेच दिया। अब बचा ही क्या है? आखिर में हम ही रह जाएंगे, एक दिन हमें भी बेच देंगे। आप अपनी 100 यूनिवर्सिटीज बना नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विदेशी यूनिवर्सिटीज लाएंगे। क्या हम विदेशी यूनिवर्सिटीज की फीस दे पाएंगे? वहां सिर्फ पैसे वालों के बच्चे पढ़ेगे। गरीब का बच्चा यूनिवर्सिटी में न पहुंच पाये, गरीब का बच्चा प्लम्बर बनें, इस शिक्षा नीति के अंदर सिर्फ यही है। गरीब-गरीब ही रहे, वह अमीर न बने और शिक्षा केवल चंद लोगों के हाथ में रहे। इस शिक्षा नीति का मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी....

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री जगत सिंह नेगी... जारी

इसके अंदर हम कह सकते हैं कि-'खोदा पहाड़, निकली चुहिया', वह भी मरी हुई। यह आपका हाल है। इस शिक्षा नीति में जो 3-3 या 4-4 साल वाली बात हो रही है, इसमें मार्किंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में माननीय सदस्य, डॉ0 बिन्दल जी ने कुछ नहीं बताया। यह जो शिक्षा नीति है इसके अनुसार तो स्कूल में भी समैस्टर सिस्टम होगा। इसमें अंक कैसे दिए जाएंगे, मेरा सहपाठी भी मुझे अंक देगा, मेरी पुरी क्लास मुझे अंक देगी, मुझे टीचर अंग देंगे, उसके बाद मेरा कार्ड बनेगा। समैस्टर सिस्टम को चलाने के लिए क्या आपके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है। टीचर्ज की क्या योग्यता होगी, क्या ट्रेनिंग होगी इसमें इन बातों का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। उनके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। जो हमारा पहले का एजुकेशन सिस्टम है इसमें बहुत खामियां हो सकती हैं परंतु यह जो शिक्षा नीति लाई गई है इसमें तो खामियां-ही-खामियां हैं। इस शिक्षा नीति का प्रारूप वर्ष 2000 में तैयार हो गया था परंतु इसको वर्ष 2020 तक डब्बे में क्यों रखा गया? क्योंकि सरकार खुद परेशान थी कि इसे बाहर निकाला जाए या नहीं? बाहर निकालने में बहुत-से खतरे थे क्योंकि इसके अंदर खामियां-ही-खामियां हैं। इसमें एक भी अच्छाई नहीं है। इस शिक्षा नीति ने देश में एक कंफ्यूजन पैदा कर दी है। जो अभ्यर्थी पी.एम.टी., इंजीनियरिंग, यू.पी.एस.सी. का टैस्ट देगा उसके लिए क्या योग्यता रखी जाएगी? आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ होर्टिकल्चर विषय रखने की च्वाइस दी है। आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ म्यूजिक रखने की च्वाइस भी दी है। आपने च्वाइस से विषय रखने की अनुमति तो दे दी लेकिन क्या ये विषय यू.पी.एस.सी. या एच.पी.पी.एस.सी. के टैस्ट के लिए मान्य होंगे? आप केवल डिग्रीधारी बनाना चाहते हैं। यदि कोई एक साल कॉलेज जाता है तो आप उसे सर्टिफिकेट देंगे और जो दूसरे साल जाएगा उसे डिप्लोमा और जो तीसरे साल जाएगा उसे कुछ और दिया जाएगा। चौथे

वर्ष आप कहेंगे कि यह विद्यार्थी रिसर्च ग्रेजुएट हो गया है। क्या रिसर्च की गई, इसके बारे में आप मुझे बताएं? इस किस्म की शिक्षा नीति लाकर देश में कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है ताकि गरीब बच्चा विश्वविद्यालय न पहुंच सके। आपकी जो विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां लाने की सोच है, यह एक पूंजीवादी सोच है। यह सोच उनकी है जिन्होंने आज यह सारा देश खरीद लिया है। अदानी, अंबानी जैसै बड़े-बड़े लोग जिन्होंने एयरपोर्ट से लेकर, रेलवे, तेल , नैचुरल गैस आदि के सारे स्रोत्र खरीद लिए हैं। अगर आपकी यही सोच रही तो यह शिक्षा भी हमारे हाथ से चली जाएगी और हम पढ़ने से वंचित रह जाएंगे।

सभापतिः माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री जगत सिंह नेगीः सभापति महोदय, प्रस्तावक ने अपनी बात रखने के लिए 30 मिनट का समय लिया है, क्या मैं इसके जवाब में 5 मिनट भी नहीं बोल सकता? (... व्यवधान) फिर इस चर्चा को यहां पर लाना ही क्यों था? आप इनको ही बोलने देते और मोदी जी का धन्यवाद करके इसे यहीं समाप्त कर देते।

सभापतिः माननीय सदस्य, अभी बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, आप कृपया वाइंड-अप करें।

श्री जगत सिंह नेगीः सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस विषय पर बोल रहा हूं। बाकी सदस्यों ने इसके ऊपर केवल राजनीतिक भाषण दिया है। (... व्यवधान) मेरा यही कहना है कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना बजट के, बिना सोच-विचार के यह शिक्षा नीति कैसे लाई गई? इस विषय पर पहले पूरे देश में डिबेट करवानी चाहिए था। । (... व्यवधान) आपने कांग्रेस विधायक दल के किसी भी सदस्य को नहीं पूछा। आपने इसके बारे में पंचायतों में बात की। (... व्यवधान) इस बारे में वर्चुअल रैली में चर्चा हुई। । (... व्यवधान) यह जो आपने नीति लाई है, यह बहुत बड़ा जुमला सिद्ध होने वाली है। आने वाले समय में हम इस प्रस्ताव को दोबारा लेकर आएंगे और उस दिन हम बेहतर तरीके से बताएंगे कि आपने हमें किस खतरे में डाल दिया है? धन्यवाद।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1530/बी0एस0/ए0एस0/-1

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री रमेश ध्वाला जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी): माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी ने नियम-130 के अंतर्गत नई शिक्षा नीति पर जो चर्चा रखी है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज दिन तक सभी सरकारों ने शिक्षा नीति के ऊपर बड़े-बड़े सुझाव दिया कि शिक्षा सर्व गाही हो, सर्व उपयोगी हो और सर्व सूलभ हो। वर्ष 1952 से ही ये प्रयास किए जा रहे हैं परंतु धरात में कुछ भी नहीं उतर सका। वर्ष 1986 में शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए शिक्षाविदो से व्यवहारिक सुझाव तत्कालीन सरकार को मिले तथा शिक्षा नीति में व्यवहारिक एवं तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। वर्ष 2017 को केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दो लाख शिक्षाविदों ने इस पर अध्ययन किया और बहुत कहुमूल्य सुझाव भी आए और 29 जुलाई, 2020 को इसका स्वरूप सरकार को सौंपा गया। यह नई शिक्षा नीति हमारे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। आदरणीय नेगी जी की बात पर मुझे हंसी आ रही है क्योंकि शिक्षा का सत्यानाश आपकी सरकार में हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र में अपने 62 स्कूलों को खोल दिया अब 20 वर्ष तक वहां कोई स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में वहां पर उन स्कूलों में बच्चे नहीं है। आप स्कूलों के भवनों की बात कर रहे हैं आप वहां जा करके देखिए आपको वहां पर कमरे बंद मिलेंगे। हमारे आदरणीय भारद्वाज जी ने प्रयास किए हैं और आगे ठाकुर साहब भी शिक्षा विभाग में प्रयास करेंगे। लेकिन में कुछ कड़वी बातें भी कहूंगा और आदरणीय नेगी जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा नीति है और इसका जो प्रारूप तैयार किय गया है मैं यह कहने जा रहा हूं कि इसे क्लब किया जाए। हमारे क्षेत्रों में दो बच्चे एक अध्यापक, तीन बच्चे, एक अध्यापक, 50 बच्चे एक अध्यापक। इसे क्लब किया जाए और जो मिडिल स्कूल का मुध्य अध्यापक है उसके अंडर प्राथमिक स्कूल होने चाहिए ताकि वह उन पर नियंत्रण रख सकें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो बात आपको कहनी चाहिए थी उसे मैं कह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में कोई अभिभावक ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को भूखे पेट स्कूल को भेजे। सभी बच्चे खाना खा करके आते हैं। इस खिचड़ी ने भी इस शिक्षा का बेड़ा

गर्क किया है। अब अध्यापक खिचड़ी पकाए कि खिचड़ी का हिसाब लगाए या डाक बनाए? वह अध्यापक कब बच्चों को पढ़ाएगा। ...(व्यवधान) आदरणीय नेगी जी कृपया सुनिए।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1535/डी.सी.-एन.जी./1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी.....

आदरणीय नेगी जी कृपया सुनिए। हमारे और आपके टाइम में भी ड्राई राशन दिया जाता था। आज भी ड्राई राशन दिया जाना चाहिए ताकि माता-पिता उसे अपने घर पर जा कर पका लें। आज बच्चे सुबह जा कर यह पूछते हैं कि मास्टर जी आज क्या बनाया है? मास्टर तो टामटर, आलू, तेल आदि लेने जा रहा होता है तो वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा? मेरा यह सुझाव है कि इसको क्लबिंग किया जाए। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को तो कह दिया गया है कि वह कोई किताब नहीं लेकर आएंगे और देखेंगे कि स्कूल में वातावरण कैसा है लेकिन तीसरी कक्षा के बच्चे को Math, English or Science पढ़ने के लिए मिडल व हाई स्कूल में लगे टीचर द्वारा पढ़ाया जाए। हम कह रहे हैं कि बच्चों को हम तकनिकि शिक्षा देने जा रहे हैं। आज के बच्चों को आप पूछो तो उन्हें गिनती नहीं आती है, उनको A-B-C- नहीं आती है और उनको शब्दावली तक नहीं आती है तो वह बच्चा क्या पढ़ेगा? आप इसका विरोध कर रहे हैं जोकि बिलकुल गलत बात है। मैं यह कह रहा हूं कि पाठयक्रम दो भाषा में होना चाहिए ताकि अंग्रेजी पढ़ने वाला अंग्रेजी पढ़ सके और हिन्दी पढ़ने वाला हिन्दी पढ़ सके। बाहरवीं के बच्चे को आप हिन्दी में 46 लिखने के लिए बोलें और यदि वह लिख देगा तो मैं आपके पास नौकरी करूंगा। उसको मालूम ही नहीं है कि 46 कितने होते हैं। जब तक आप बच्चों को व्यवहारिक चीजें नहीं बताएंगे तो वह क्या करेगा? इस सिस्टम को यदि 34 साल बाद बदला गया है तो इसमें आप अपने अच्छे सुझाव दीजिए। आप कह रहे हैं कि स्कूल खाली हैं तो वे किस के बदौलत खाली हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको और आपको बच्चे गांव में नहीं जाने देंगे यदि बच्चों को टेकनिकल और व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी गई। इसलिए मैं यह कह

रहा हूं कि बच्चों को तीसरी, चौथी या पांचवीं से ही कम्पयूटर शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे का आई.क्यू क्या है, वह मकैनिक का कोर्स या ड्राइवर का कोर्स करना चाहता है और क्या बच्चे की रूचि कृषि के क्षेत्र में है? आपने और हमने वहां पर देखा है और you have to respect that school कि हवाई जहाज के पुर्जों को बच्चे खोल कर जोड़ रहे थे।

15-09-2020/1535/डी.सी.-एन.जी./2

वहां पर बंदूक भी रखी गई थी, वहां पर तीर कमान भी रखे गए थे और वहां पर अन्य चीजें भी रखी गई थी। यदि बच्चों को प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होगा तो वे आगे जा कर क्या करेंगे? इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि विभाग ने क्या किया लेकिन एग्ज़ामिनेशन तो निजी व सरकारी दोनों स्कूलों में हुआ लेकिन हमारे बच्चों के नम्बर 50 प्रतिशत और निजी स्कूलों के बच्चों के नम्बर 85 प्रतिशत आते हैं। उनको अलाऊ क्यों किया गया कि एग्जाम निजी स्कूलों में होंगे? वहां पर तो उनकी मोनोपॉली हो गई है। इस प्रकार सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इसमें सुधार अवश्य होना चाहिए और शिक्षा का पैट्रन पूरे देश में एक होना चाहिए। मजदूर के बच्चे और हमारे या आई.ए.एस. के बच्चे को भी एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक ही पैट्रन पूरे हिन्दुस्तान में लागू होना चाहिए। अभी की शिक्षा में तो disparity or discrimination हो रही है। अभी बच्चा किसी अच्छे निजी स्कूल में जाएगा तो वह अंग्रेजी में बात करेगा और हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो ठीक से हिन्दी बोलनी भी नहीं आती। मैं कहना चाहता हूं कि छठी के बच्चे का नहीं बल्की दसवीं के बच्चे का आई.क्यू लेवल चैक कीजिए कि वह क्या करना चाहता है?

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

15/09/2020/1540/MS/HK/1

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी------

इंजीनियर, फौजी, ड्राइवर, मैकेनिक, फिटर या कृषि में उसका शौक है तो उसका आई.क्यू. वहां पर चैक किया जाए और उसके बाद उस बच्चे को एक व्यावहारिक

व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तब जाकर हमारा शिक्षा का ढांचा ठीक हो सकता है। यहां पर मैंने देखा कि मेरे ब्लॉक में हाई, मिडल और प्राइमरी स्कूलों को 20,00000/-रुपये की किताबें दी गई हैं। उन किताबों को बच्चे कब पढ़ेंगे? उनको क्या पता है कि कौन-कौन सी किताबें स्कूल में हैं क्योंकि जब स्कूलों में लाइब्रेरीज या कोई कमरा ही उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जहां जाकर वे उन किताबों को पढ़ सकें। वहां उन किताबों को दीमक खा रही है। आप देखिये कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी ब्लॉकस में 20-20,00000/-रुपया देकर कितना खर्च़ा इन किताबों के ऊपर किया गया है। ये अनावश्यक खर्च़े बन्द किए जाएं और इस दिशा में कदम उठाए जाएं।

सभापति महोदय, यह कलयुग है यानी कलाओं का युग है। इसमें अगर बच्चे को टैक्निकल सुझाव देंगे, उसको गाइड करेंगे, तब जाकर हमारे बच्चे कम्पीटीशन में आएंगे।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रमेश चंद ध्वाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि घण्टी बज जाएगी लेकिन अगर मैं गलत सुझाव दूं तो आप मुझे वहीं पर टोक देना। यह जो आज 34 सालों के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे सामने शिक्षा नीति लाई है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आप दस जमा-एक के बच्चे को ऐसी टैक्निकल एजुकेशन दीजिए और फिर देखिये कि वह क्या करता है। मैंने तो पीछे भी एक चर्चा में कहा था कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। वह इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि जब उसको ज़मीन से कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर वह क्यों किसान बनेगा? इसलिए पहले यह देखा जाए कि बच्चे का शौक क्या है, उसका आई.क्यू. क्या है, उसके अनुसार उस बच्चे को सिखाया जाए। इसके अलावा जो अध्यापक हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाए और ये सारे मिडल स्कूल के टीचर प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाएं वरना मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जो पॉलिटिशियन्ज हैं, आपको 10 साल के बाद गांव में कोई नहीं जाने देगा क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। बच्चे डिग्रियां लेकर जगह-जगह घूम

रहे हैं। वॉटर सप्लाई में कुछ समय पहले फिटर और पम्प ऑपरेटर रखे गए। मैं बता रहा हूं कि वहां 35 आदमी रखने थे और 3500 लोगों ने एप्लाई किया। ऐसे में आप किसको नौकरी देंगे? इसलिए बच्चों का झुकाव देखकर उनको डेयरी फार्म, कृषि या किसी मैकेनिक

इत्यादि की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि बच्चा स्वयं काम-धंधा करने लायक बन जाए। यहां तो ऐसा है कि बच्चे पर जबरदस्ती थोप देते हैं कि पड़ोसी का बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है इसलिए जिसका बच्चा पढ़ने में ढीला है, वह भी अपने बच्चे को वही ट्रेनिंग करवाता है। फिर क्या होता है कि 10-15 लाख रुपया फूंककर वह बच्चा सप्ली ही क्लीयर नहीं कर पाता और फिर वैसे ही घर वापिस आ जाता है। मेरे कहने का भावार्थ यह है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारा एक प्रस्ताव जाना चाहिए कि स्कूलों में ड्राई राशन दिया जाए। दूसरा मेरा यह सुझाव है कि अध्यापकों की भर्ती की जाए। इस नई शिक्षा नीति के अनुसार जे.ई., मैकेनिक या कोई-न-कोई टैक्निकल व्यक्ति स्कूलों में लगाया जाए ताकि हमारे बच्चों को कुछ-न-कुछ जानकारी हो और उनको अवैयरनैस आए। ये काफी सारे मुद्दे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जो राशन वाली बात है, इसने हमारी शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है। दो-दो और तीन-तीन घण्टे अध्यापक इसी में लगे रहते हैं। मेरे वहां तो इतनी बुरी हालत है कि स्कूल के आठ कमरे हैं और वहां चार बच्चे पढ़ते हैं। हम तो हर जगह कहते हैं कि जब हम नौकरी करके शाम को घर जाते हैं तो एक आत्म-चिन्तन जरूर करें कि मुझे सरकार ने जो यह 2000/-रुपया दिया है क्या मैं आज 1000/-रुपये का भी काम करके घर जा रहा हूं। क्योंकि सोशल जस्टिस तभी दिखाई देगा जब हर आदमी काम करेगा।

जारी जे0के0 द्वारा----

15.09.2020/1545/JK/HK/1

श्री रमेश चन्द ध्वालाः-----जारी-------

इन बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी नीति बनाई जा रही है तो हमारी सिफारिश भी वहां पर भेजी जाए ताकि जो-जो सुधार उसमें किए जा सकते हैं, वे किए जाएं। हमारा सारे-का-सारा ढांचा खराब हो चुका है, इस ढांचे को ठीक करने के लिए कम-से-कम 5-7 साल लगेंगे। जो इन्होंने सत्यानाश किया है कि स्कूल-ही-स्कूल खोल दिए। जहां गए वहां पर दो स्कूल दे दिए, तीन स्कूल दे दिए, चार स्कूल दे दिए और यदि

उन बच्चों को पूछो तो उनको कुछ नहीं आता है। मैं इतना कहते हुए समाप्त करता हूं। माननीय सभापति जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

15.09.2020/1545/JK/HK/2

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जगत सिंह नेगी जी शिक्षा नीति पर बोल रहे थे। इन्होंने एक बात स्वीकार की कि मुझे तो अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया और साथ में इन्होंने एक बात यह भी कही कि अभी मंत्री जी को भी कुछ पता नहीं है। आपने यह भी कहा कि इस शिक्षा नीति पर पूरे देश में चर्चा-परिचर्चा होनी चाहिए थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डॉ0 कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में जो समिति बनी, उस समिति ने 2,25,000 सामान्य नागरिकों से 1,000 विश्वविद्यालय के कुलपतियों से तथा 300 शिक्षाविदों से इस पर चर्चा की है। उसके पश्चात अभी लगभग 20-25 दिनों में ही शिक्षा मंत्रालय की वैबसाइट पर 15 लाख लोगों ने इसमें और सुझाव दिए हैं। इस शिक्षा नीति पर बड़ी खुली चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यह कहा है कि जितनी चर्चा हो सकती है, वह करें और भी कोई नये सुझाव आ सकते हैं, क्योंकि यह एक सतत् प्रवाह है। वर्ष 1968 की शिक्षा नीति भली थी, वर्ष 1986 की शिक्षा नीति ठीक थी और वर्ष 1992 में भी इसमें बात हुई और इसमें कोई पीछे की कमियां नहीं है, यह एक सतत् प्रक्रिया है, आगे चलती रहती है और यह अब 35 वर्ष के बाद आया है। दूसरे, जो मेन प्रश्न आप यहां पर बार-बार कर रहे थे कि यहां पर भाषा की बात है, देखिए भाषा में तो यह है कि किसी भी भाषा को समाप्त करने के लिए शिक्षा नीति में नहीं कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारी स्थानीय बोलियां, स्थानीय भाषाएं और संस्कृत इन पर और साथ में यह भी कहा है कि हमारे बच्चे दुनिया के ज्ञान से अछूते नहीं रहने चाहिए। उसके लिए बिल्कुल क्लीयर कहा है कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं, जैसे कोरियाई, जापानी, थाई,फ्रैंच, जर्मन, स्पैनिश, पुर्तगाली और रूसी इत्यादि दुनिया की भाषा का ज्ञान, सभी भाषाओं का ज्ञान बच्चा ले

सकता है और इसमें देश व दुनिया की किसी भाषा को इग्नोर नहीं किया। लेकिन यह आवश्यक है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं, वहां पर जो अधिकतर शुरूआत में सीखता है, मातृ भाषा में अधिक सीखता है, केवलमात्र यह कहा है। इसमें साथ में एक

15.09.2020/1545/JK/HK/3

और बात है, जिस बात को आपने बहुत बार कहा है और आप हाउस को भी बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं। आपने यह कहा कि जो त्री-भाषा सूत्री था, उसको भी समाप्त किया है। देखिए बिल्कुल सीधा कहा है इसलिए गलत सूचना हाउस में नहीं देनी चाहिए, जो मन में आया वही बोल दें, यह उचित नहीं है। यहां पर लिखा है ---(व्यवधान) श्री जगत सिंह नेगी जी, आपने कहा कि त्री-भाषा सूत्र को समाप्त किया। सदस्य महोदय, त्री-भाषा सूत्र को समाप्त नहीं किया उसके लिए सीधा कहा है। सवैंधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं, बहु-भाषावाद

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

15.09.2020/1550/SS-HK/1

शिक्षा मंत्री क्रमागत

और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की ज़रूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना पहले की तरह जारी रहेगा। इसीलिए आपकी यह जानकारी गलत है, मैंने आपको कॉरैक्ट करने का निवेदन किया है।

सभापति महोदय धन्यवाद।

15.09.2020/1550/SS- HK/2

सभापति (कर्नल इंद्र सिंह) : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघा (ठियोग) : सभापति महोदय, यह जो नियम-130 के तहत डॉ0 राजीव बिंदल जी और राकेश जम्वाल जी ने प्रस्ताव लाया है कि नयी शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे, मैं इस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, शिक्षा क्या हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना सामाजिक, आर्थिक ढांचा क्या बनाना चाहते हैं। असल में शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है और मैं समझता हूं कि उस पर पूरा सदन सहमत होगा कि शिक्षा वह हिस्सा है हर इंसान में अलग-अलग तरह के गुण छुपे होंगे, उनको विकसित करने का कार्य शिक्षा का होना चाहिए। क्यों विकसित करने हैं? वे गुण इसलिए विकसित करने हैं कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, उनको हम आगे बढ़ा सकें जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। यह शिक्षा है। समय-समय पर जैसे आपका आर्थिक, सामाजिक ढांचा था वैसे ही शिक्षा नीति आपकी आई। जिस समय में हमारा देश गुलाम था तो 1935 में मैकाले साहब ने यह शिक्षा नीति लाई। उस समय बर्तानिया सरकार की ज़रूरत क्या थी या हमारे मुल्क को जो गुलाम कर रहे थे, राज कर रहे थे, उनकी क्या ज़रूरत थी? उनकी सिम्पल ज़रूरत थी कि उन्होंने यहां एडमिनिस्ट्रेशन करना था। इसलिए उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाबुओं की अधिक ज़रूरत थी। तो हमारी 1935 की शिक्षा नीति जो मैकाले द्वारा लाई गई वह उसको केटर करती थी कि ब्रिटिश इंडिया में बर्तानिया ने इस देश को चलाना है। उसको चलाने के लिए आपको मैनफोर्स क्या चाहिए, a team of big babus. इसलिए आपने उस तरीके से शिक्षा नीति बनाई। भारत आज़ाद हुआ। हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने शामिल किया कि एजुकेशन कम्प्लसरी और फ्री होगी। कोठारी साहब आए, कमीशन आया। 1964 से 66 के पीरियड में आया और हमने माना कि अगर फ्री एंड कम्प्लसरी एजुकेशन देश में होनी है तो आपको उसके लिए न्यूनतम बजट रखना है। कोठारी साहब ने सिफारिश की कि बजट का 10वां हिस्सा जब तक नहीं होगा हम शिक्षा को neither mass level पर ले जा पायेंगे और न अनपढ़ता को दूर कर पायेंगे और न जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनको ऑवरकम कर पायेंगे। कोई नयी बात नहीं है लेकिन आज जब हम नयी पॉलिसी ला रहे हैं और

15.09.2020/1550/SS- HK/3

आ भी गई है और यह सदन उस पर चर्चा कर रहा है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने फर्स्ट एक्सरसाइज की है। This is the third attempt, the first attempt was rejected by the Parliament. सम्भवतः 2017 में जब नीति लाई गई थी, पार्लियामैंट में जो पहली डिबेट हुई

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1555/केएस/वाईके/1

श्री राकेश सिंघा जारी---

देर भी नहीं लगी the Government had to withdraw it, then another attempt आपने किया और सैकिंड अटेम्प्ट में भाषा के प्रश्न को ले कर the Government had to reiterate. यह मुल्क़ न सत्ता पक्ष और न विपक्ष के लोगों ने बनाया, यह मुल्क़ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में बना है। बहुत बड़ी कुर्बानी दे कर बना है। आप अंग्रेजों को आसानी से इस मुल्क़ से निकाल नहीं पाए। यह छोटा-मोटा मुल्क़ नहीं है। यह इटली, फ्रांस या इंग्लैंड नहीं है, यह बहुत बड़ा मुल्क है और इसके अंदर अलग-अलग सभ्यताएं हैं, अलग-अलग भाषाएं हैं, अलग-अलग कल्चर्ज़ हैं और इसीलिए यह मुल्क किस तरीके से चलेगा, इस मुल्क में क्या नीति होगी और खासतौर पर एजुकेशन की पॉलिसी क्या होगी, उसका पैरामीटर, उसका जो फ्रेम वर्क है, वह हमने पहले ही तय कर लिया है और तय किसने किया, जिन्होंने यह मुल्क बनाया और मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं वर्ष 1857 सबसे हैरोइक बैटल हुआ होगा लेकिन हम हार गए। एक हैरोइक बैटल, और कोई पेड़ नहीं बचा। दिल्ली से ले कर कलकत्ता तक जिस पर समरी हैंग कर दिए हो। दुनिया में इतना हैरोइक बैटल कभी नहीं हुआ। उस सारे तुजुर्बे से हमने सीखा कि हमारा मुल्क सैक्यूलर किस्म का होगा। यहां अलग-अलग किस्म के धर्म हैं, अलग-अलग किस्म की आस्थाएं हैं और इसीलिए हमारी एजुकेशन के लिए वह फ्रेम वर्क होगा । इसलिए उसकी जो लैंग्वेज़ होगी, ये reiterate करना पड़ा क्योंकि हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों से उस प्रश्न पर विरोध हुआ। तीसरी दफ़ा पार्लियामैंट में कोरोना वायरस के समय इसको समिति में लाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि यह बहुत समूथ सेलिंग इस शिक्षा नीति की हुई। यह भी bumps के तहत यह शिक्षा नीति आई है। अब प्रश्न आता है कि हम इस शिक्षा नीति पर आगे कैसे बढ़ना चाहते

हैं, हमने इसमें क्या-क्या शामिल किया है। मैं दो-तीन विषयों पर ही चर्चा करुंगा। बहुत सी बातें डॉ0 बिन्दल जी ने कही हैं, वे अब हाउस में नहीं हैं। इस तरीके से पेश करने की कोशिश की कि सारी दुनिया के ज्ञान यहां भारत में ही एग्जिस्ट करते थे। डॉ0 साहब मुझे माफ़ करें, यह ज्ञान ऐसे ही डिसअपीयर नहीं हो जाता कि ब्रितानिया आया या आक्रमण हुआ हमारे मुल्क़ का और जितना भी पीछे से ज्ञान था वह

15.09.2020/1555/केएस/वाईके/2

एकदम खत्म हो गया, यह कभी सम्भव ही नहीं है। यह जो सारी सोच है, काल्पनिक है । आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं जैसे कि दुनिया का सारा ज्ञान यहां था और अब एकदम कुछ हो गया और वह ज्ञान खत्म हो गया, ऐसा सम्भव नहीं है। ज्ञान भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। यह कमीज़ जो मैंने पहनी है, जब यह पहली दफ़ा बनी होगी, किस रूप में होगी और आज इस रूप में आई है और continuous process के ज़रिए बात आगे बढ़ती है। इसलिए उस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन जो यह कहने का प्रयास किया जा रहा था कि हर किस्म की सर्जरी का ज्ञान हमारा था, मैंने किसी महान व्यक्ति को यह बोलते हुए सुना (***)

Chairman (Col. Inder Singh): Singhaji, don't bring a religious issue.
श्री राकेश सिंघा: सॉरी ,सभापति महोदय।

सभापति: सिंघा जी, आप बैठिए। शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया

15.9.2020/1600/av/yk/1

सभापति (कर्नल इन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य राकेश सिंघा जी, कृपया एक मिनट बैठिए। मंत्री जी, आप बोलिए।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि केवल नई शिक्षा नीति पर बोलें। (***) मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए।

Chairman (Col. Inder Singh): It will be expunged.

श्री राकेश सिंघा : सभापति महोदय, मैं किसी की भावना को हर्ट करने के लिए चर्चा में नहीं आता तथा न यह मेरी आदत है। आपने जो शब्द एक्सपंज करने हैं, कीजिए; मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यहां सिर्फ शिक्षा के स्वतंत्रता के बाद के चेलैंजिज और कंसर्न्ज के बारे में कहना चाहता हूं। उसका सबसे बड़ा कंसर्न हमारे सामने यह है कि जिस तरीके से हमारा देश विकसित होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो पाया। उसका ज़िक्र तो अब यहां पर क्या करें क्योंकि आज इस तरह के हालात हो गये हैं और इसकी रिकवरी कब होगी; कोई नहीं बता सकता। इस बारे में आर0बी0आई0 और बड़े-बड़े अर्थशास्त्री भी नहीं बता सकते कि यह रिकवरी कब होगी। लेकिन जिस तरीके से इस देश को विकसित होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। शिक्षा में हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर हम पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले बच्चों का बारहवीं कक्षा तक पहुंचने बारे एनाल्सिज करते हैं तो ड्रॉप आऊट रेट बहुत अधिक है और यह कंसर्न इस नई शिक्षा नीति में हम अड्रैस नहीं कर पायें। अगर किया है तो हमने क्या मॉडल दिया? मेरे हिसाब से हमने अगर मॉडल दिया है तो वह दिया है जो आज मानव भारती और ए0पी0जी0 जैसे विश्वविद्यालयों में फेक डिग्रियां दी जा रही हैं। इसमें शिक्षा को प्राईवेटाईजेशन की तरफ ले जाने बारे कंसर्न दर्शाया गया है। पब्लिक फंडिंग से हम हाथ पीछे को खींचेंगे; इस नई शिक्षा नीति में यह किया गया है। कोठारी साहब ने 10 कहा था परंतु यहां तो हम 6 पर अटक गये, फिर 4 प्रतिशत तो हम इनकम टैक्स से ऐजुकेशन सैस लेते हैं।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया

15.9.2020/1600/av/yk/2

सभापति (कर्नल इन्द्र सिंह) : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। आप केवल नई शिक्षा नीति पर बोलिए।

श्री राकेश सिंघा : सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले एस0टी0 के बच्चों की संख्या बारहवीं कक्षा तक 6 प्रतिशत रह जाती है। इसी तरह से एस0सी0 के बच्चे 8 से 9 प्रतिशत तक पहुंचते हैं और ओ0बी0सी0 की प्रतिशतता 10 है; हमारा मेज़र कंसर्न भी यही है। आज तक हम किसी भी शिक्षा नीति के तहत यह कहते थे कि बैकवर्ड क्लास या वीकर सैक्शन का कोई बच्चा यदि किसी शिक्षा संस्थान में एंट्री लेगा तो उसको आरक्षण मिलेगा। इस नई शिक्षा नीति में हमने इस आरक्षण को एक किस्म से छोड़ दिया है। इस बारे में दूसरे आन्दोलन होंगे और वे इसको ले लेंगे; तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूं कि आपने इसका अध्ययन भी सही तरीके से नहीं किया। आपने इस नीति के अंदर जो कहा है कि हम कॉलेजिज का क्लस्टर बनायेंगे, तो हकीकत क्या है?

श्री टी सी द्वारा जारी

15.09.2020/1605/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री राकेश सिंघा ... जारी

Out of 39000 colleges, only 4.3 per cent colleges have 3000 students. इस शिक्षा नीति पर जो चर्चा हुई है, मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो शिक्षा नीति हो, वह इस प्रकार की बनें जो मैरिट्स लेवल पर सबको फ्री में एजूकेशन दें। जो आप आंगनबाड़ी में तीन से छह साल तक स्कूल की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में जिस घर में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें ऊपर से बारिश का पानी टपकता है। आंगनबाड़ी में जो पढ़ाने वाली महिलाएं है उनको क्या वेतन मिलता है, उसका भी आप ख्याल रखें। ये सारी कल्पनाएं हैं,

हकीकत यह है कि आप शिक्षा का निजीकरण करने के लिए यह सारा-का-सारा मसौदा लाएं हैं। It needs to be rejected. एजूकेशन पॉलिसी पब्लिक स्पोर्टिड़, पब्लिक फंडिड और सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आरक्षण को लेकर बात कही है। अभी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, ने लोकसभा में अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा। वहां पर प्रश्न था कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत आरक्षण के प्रावधानों को संशोधित करने की कोई योजना है? लोकसभा में माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया है कि आरक्षण नीति को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा, आपने जो ड्रॉप-आउट बच्चों के बारे में कहा है, इसके बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्राथतिक लक्ष्यों में हमें यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों का स्कूलों में नामांकन हों और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजा जाए। सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे पहल के माध्यम से भारत ने हाल के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में लगभग सभी बच्चों का

15.09.2020/1605/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

नामांकन करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि बाद के आंकड़े बच्चों के स्कूली व्यवस्था में ठहराव संबंधी कुछ गम्भीर मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। कक्षा छट्ठी से आठवीं का जी0ई0आर0 90.09 प्रतिशत है जबकि नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए क्रमशः 79.03 प्रतिशत और 56.05 प्रतिशत है। ये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार से कक्षा पांच और विशेष रूप से कक्षा आठ के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है। वर्ष 2017-18 में एन0एस0एस0ओ0 के 75वें राउंड हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार छह से 17 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की

संख्या 3.22 करोड़ हैं। इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापिस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह हमारा विशेषतौर पर टारगेट है। इसके साथ ही 2030 तक प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। भविष्य के छात्रों का ड्रॉप-ऑउट दर भी कम करना होगा। पूर्व प्राथमिक से कक्षा बारहवीं तक की शिक्षा सहित देश में सभी सार्वभौमिक पहुंच और अवसर प्रदान करने के लिए एक ठोस राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।

सभापतिः अब इस चर्चा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री भाग लेंगे।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी....

15.09.2020/1610/RKS/AG-1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः माननीय सभापति महोदय, इस माननीय सदन में जो डॉ0 राजीव बिन्दल जी द्वारा नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा लाई गई है, इस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। जिस प्रकार हमारी शिक्षा होगी उसी प्रकार हमारा जीवन भी होगा। आज हमारे देश की क्या परिस्थितियां हैं, हम अतीत में क्या थे, अगर इन सारी बातों को हम अध्ययन करें और पीछे मुड़कर भी देखें तो हमें अपनी ताकत का एहसास होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा के अंदर जो बिन्दु बताए गए हैं उनके अनुसार जो हमारे पुरातन ज्ञान तत्व हैं, हमारी पुरानी नींव हैं, उस नींव के आधार पर वर्तमान समय में एक नया निर्माण करना हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य है। हमारे कुछ बंधु कह रहे हैं कि क्या सारा ज्ञान भारत के अंदर ही था; क्या भारत का सारा ज्ञान खत्म हो गया; ऐसा कुछ नहीं है। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां रही जिनके कारण हमारा देश गुलाम हुआ। हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा हो या अंग्रेजों का लेकिन इस गुलामी के कालखंड में जो हमारे ज्ञान के भंडार थे, जो हमारे एतिहासिक ग्रंथ थे उन्हें नीचा दिखाया गया। हमारी यह

मानसिकता बनाई गई कि आप कुछ भी नहीं हैं,जो कुछ है वह सब बाहर के देशों में है और हमें सब कुछ वहीं से सीखना होगा। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण हमारी इस प्रकार की मानसिकता बनती गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या भारत विश्व गुरु नहीं रहा है? कुछ लोग इसके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। 'जहां डाल-डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा'। यह गीत मात्र गीत नहीं है, यह हमारी संस्कृति और वैभव का परिचय है। लेकिन इस गुलामी के कालखंड में इन सारी बातों में ग्रहण लगता गया। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जहां आज से कुछ वर्ष पहले हर काम के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे बड़े-बड़े देशों की तरफ देखना पड़ता था, आज इस चीज में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो भारत पहले विदेशों की तरफ देखता था वह सारी

15.09.2020/1610/RKS/AG-2

दुनिया आज आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की तरफ देख रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर एक वैश्विक लीडर के रूप में उभरे हैं। 21वीं सदी भारत की कही गई है और इस बात को साकार करने के लिए हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। 21 वीं सदी केवल कहने से भारत की सदी नहीं होगी इसके लिए हमें अपने युवाओं को सही दिशा में ले जाना होगा।

श्री बी.एस. द्वारा... जार

15.09.2020/1615/बी0एस0/ए0एस0/-1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी...

और एक संस्कार युक्त शिक्षा को इस देश के अंदर खड़ी करना युवाओं के सामने चुनौतियां है उन चुनौतियों से भी शिक्षा के माध्यम से ही पार पाया जा सकता है। इसलिए हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसा हमारे विपक्ष के कुछ मित्र कह रहे थे कि इसमें कुछ

ही लोगों के बारे में सोचा गया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय सोच है वह यह है कि जिसने भारत की इस धरती पर जन्म लिया है उसे जीने का अधिकार है और उसे विकसित होने का अधिकार है। यह अमेरिकन थ्योरी नहीं है कि "Survival of the fittest" जो शक्तिशाली होगा उसे ही जीने का अधिकार होगा। यहां एक छोटे बच्चे से ले करके और एक युवा की कल्पना शिक्षा के माध्यम से की गई है। उन छात्रों के अंदर जिस प्रकार के गुण हैं उनके अनुसार उनकी दिशा और आगे बढ़ाने का काम इस शिक्षा नीति के माध्य से करने का लक्ष्य रखा गया है । इसलिए सभापति महोदय, यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है यह हर बच्चे का हर छात्र का सर्वांगीण विकास करेगी। उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो या अध्यात्मिक विकास हो यह पूर्ण रूप से जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी को प्रदर्शित करती है। हमारे भारत की पूरे दुनिया को जो देन रही है वह आज हमारे सामने है। विश्व को भारत की बहुत बड़ी देन रही है परंतु गुलामी के ग्रहण के कारण हम अपनी अच्छाइयों को भूल गए हैं। आज भी हम किसी कॉलेज के छात्र से इकॉनोमिक्स के प्रश्न के बारे में पूछें तो वह अमेरिका और इंग्लैड का नाम बताएगा। भारत के अर्थशास्त्री का नाम नहीं बताएगा। क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी बना दी गई है। (संस्कृत का श्लोक)चरको ---------- ---------- ऐसे बड़े-बड़े वैज्ञानिक ऋषि-मुनि हुए जिन्होंने विज्ञान को साक्षात किया है। शून्य और दशमलव जैसे बिंदुओं पर भारत की पूरी दुनिया को देन रही है। यहां ज्ञान की कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अतीत को समझने की और उस पुराने अतीत को समझते हुए नया निर्माण करना वर्तमान समय में हमारा इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य है। इसलिए आज जो युवाओं के बारे में जो एक दिशा से भ्रमित होते हुए दिख रहे हैं उसी का

15.09.2020/1615/बी0एस0/ए0एस0/-2

कारण है कि युवाओं के सामने हमारा सही लक्ष्य नहीं है। हम क्या थे, हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं? यह लक्ष्य न होने के कारण आज हमारा युवा भी भटक रहा है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उन छात्रों को केवल नौकरी प्राप्त करने वाला नहीं परंतु नौकरी देने वाले छात्र बनाएं। आदरणीय नेगी जी कह रहे थे कि आप तो कभी आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, कभी

स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। स्टार्टअप से आत्मनिर्भर होते हुए हम पूरे विश्व के विकास के माध्यम से पूरे विश्व को एक दिशा देने वाले हैं। यह हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना है। आज भी आप कहते हैं कि हमारे छात्र विदेशों में जाएंगे बड़े-बड़े लोगों के बच्चे वहां पर जाएंगे। क्या आज विदेशों के विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र नहीं पढ़ रहे हैं? लेकिन भारत की धरती पर उन विश्वविद्यालयों को भी आना पड़ेगा ताकि वे यहां आ करके शिक्षा दे सकें। हमारे छात्रों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है वे ज्यादा-से-ज्यादा उनकी रुचि के अनुसार जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा नीति लाने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से इस नीति से हमारे देश की दिशा तय होगी और 21वीं सदी जो भारत की सदी है वह तभी सार्थक और सिद्ध होगी जब हम समय रहते हुए अपने युवाओं को ठीक दिशा देने में कामयाब होंगे। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत॥

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

15-09-2020/1620/ए.एस.-एन.जी./1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री के पश्चात.... जारी.....

सभापति : माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा को कहना चाहता हूं कि ओ.बी.सी., अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति पर कोई भी गलत शब्द लिखा गया हो तो मुझे बता दें। इस नई शिक्षा नीति में बहुत विशेष तौर पर (व्यवधान)...

श्री जगत सिंह नेगी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अंत में जब अपना जवाब देंगे तब बोल लेंगे, वह अभी से ही क्यों बोलने लग गए हैं?

सभापति : माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी जी बाप बैठ जाएं मंत्री जी को बोलने दीजिए।

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित इन समूहों को लिंग (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान (जैसे अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, ओ.बी.सी. और भाषायी व धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे गांव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तसकरी के शिकार बच्चे या शहर में भीख मांगने वाले बच्चे और इसके अलावा इसमें शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वर्गिकृत किया जा सकता है। विशेष तौर पर इसमें कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में पहूंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति-रवाजों और प्रथाओं व भाषा सहित अनेक विभिन्न कारणों से अनुसुचित जातियों के बीच नामांकन और प्रति धार्मिक दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अनुसुचित जातियों के बच्चों की पहूंच और भागीदारी व अधिकतम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा।

15-09-2020/1620/ए.एस.-एन.जी./2

अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में कहा गया है कि जिन्हें पहले से ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के आधार पर पहचाना जाता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी प्रकार अनुसुचित जाति व अनुसुचित जनजाति पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग जो किन्हीं कारणों से पिछड़ा रह गया उन पर भी विशेष ध्यान देने को सर्वोच्च लक्ष्यों में से एक रखा गया है। इस प्रकार इस नीति में हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। इस नीति में कमजोर तबके को हर प्रकार से मदद करने का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया आपका धन्यवाद।

15-09-2020/1620/ए.एस.-एन.जी./3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे इस नई शिक्षा नीति पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति,

2020 आई है, मैं एच.आर.डी. मन्त्रालय, भारत सरकार को कहना चाहूंगा कि जिस तरह की ये नीति लेकर आए हैं, मैं उन्हें इस बात की बधाई देना चाहूंगा की जिस तरह की फ्लाउअरी भाषा इस दस्तावेज में लिखी गई है, ऐसा लगता कि किसी (***) को मेकअप करके बहुत ही सुन्दर बना दिया गया हो, उस तरह की नीति यहां पर पेश हुई है। (व्यवधान)...

शिक्षा मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य शिक्षा को (***) से कम्पेयर कर रहे हैं। (व्यवधान)...

सभापति : माननीय आशीष जी आप एसे शब्दों का उपयोग न करें।

श्री आशीष बुटेल : सभापति महोदय, यदि (***) शब्द से आपत्ति है तो मैं इस शब्द को वापिस लेकर भूत में तबदील कर देता हूं। यह तो चल जाएगा न सभापति महोदय। भूत शब्द तो ठीक है। (व्यवधान)... सभापति महोदय, आगे बढ़ते हुए Treasury Benches से इस नीति का बहुत गुणगान हो रहा है और बार-बार यही बात आती है कि इस नीति के अलावा कोई नीति ही नहीं हुई इसलिए मैं सत्तापक्ष के साथियों का कुछ ज्ञानवर्धन करना चाहूंगा। सबसे पहले वर्ष 1948 में एक कमीशन फार्म हुआ था जैसे ही हमें आजादी मिली, राधाकृषणन कमीशन बनाया गया

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

15/09/2020/1625/MS/DC/1

श्री आशीष बुटेल जारी-----

जिसने हायर एजुकेशन के ऊपर फोक्स किया। उसके बाद सैकेण्डरी एजुकेशन कमीशन वर्ष 1952 में गठित हुआ, जिसने प्राइमरी स्कूल से युनिवर्सिटी के लैवल तक फोक्स किया। फिर उसके बाद एक डॉ. कोठारी कमीशन आया जो वर्ष 1964 -1966 के बीच में बना। जब यह कोठारी कमीशन बनाया गया तो उसको कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी जी की सरकार

ने वर्ष 1968 में एडॉप्ट किया। पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वर्ष 1968 में आई जो कि ओवरऑल डवलपमैंट, सस्टेनेबिलिटी और हिन्दुस्तान को किस तरह से थ्रू एजुकेशन इंटीग्रेट करें, उसके ऊपर उन्होंने फोक्स किया। फिर वर्ष 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन राजीव गांधी जी की सरकार के समय आई और वर्ष 1986 में जो यह पॉलिसी आई, उसने एस.सी., एस.टी. और महिलाओं की शिक्षा के ऊपर फोक्स किया और इक्वल ऑपरचुनिटी की बात की तथा डिस्पेरिटी हटाने की बात इस पॉलिसी में की। उसके बाद वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय इसको एक प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन ऑन 1986; एन.पी.ए. का प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में लिया गया।

अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। सभापति जी, वर्ष 2015 में एक Subramanian Committee की 400 पेजों की रिपोर्ट लोकसभा में पेश हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज की केन्द्र सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको पास नहीं किया। इसके क्या कारण रहे, इस बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो नई शिक्षा नीति यहां पेश हुई है, जिसमें पूंजीपतियों को ही सबकुछ जाना है और सरकार इस चीज से अपनी आंखें बन्द करके बैठ गई है कि भारत के जो बच्चे हैं, वे किस तरह से हिन्दुस्तान के विकास में मदद करेंगे, उसको छोड़कर प्राइवेट प्लेयर्ज को आगे लाने की कोशिश इसमें की गई है। शायद यह बात Subramanian Committee की रिपोर्ट में नहीं थी। 31 मई, 2019 को आपकी यह नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट पेश की गई और कस्तुरीरंगन कमेटी ने इस रिपोर्ट को पेश किया। उसके बाद इसको पास किया गया और आज यह हमारे बीच में है। इसका मेन फोक्स जो था, जो कहा गया, वह यह था 1.access, 2. equity 3.quality 4. affordability 5. accountability. सभापति जी, जो ऑब्जैक्टिव्ज इस शिक्षा नीति के होने चाहिए थे, वे इस डॉक्यूमैंट में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी

15/09/2020/1625/MS/DC/2

कहीं नज़र नहीं आती, एक्सैसेबिलिटी कहीं नज़र नहीं आती, अकाउंटेबिलिटी कहीं पर नज़र नहीं आती और क्वालिटी तो कहीं नज़र आती ही नहीं। मैं इसके बारे में भी आपको कुछ-न-कुछ बताउंगा।

सभापति जी, Right to Education को यू.पी.ए. सरकार वर्ष 2009 में लेकर आई। उसके अनुसार अगर 6 से 14 साल तक का कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था तो उसके पेरेंट्स जो थे they were punished for it और हम लोग यह कानून इसलिए लेकर आए ताकि भारत का हरेक बच्चा स्कूल जा सके और वह अपना, अपने गांव और देश का भी विकास कर सके। इस करके यह आया था। लेकिन जब यह Nation Education Policy of 2020 आई, यह पास हो गई। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी आपने कीं। अभी मेरे मित्र उस तरफ से कह रहे थे कि इसमें हमने जी.डी.पी. के छः परसेंट एक्सपेंडिचर की बात की है। आप आज इसको छः परसेंट की बात कर रहे हैं जबकि डॉ. कोठारी ने वर्ष 1964 में अपने कमीशन में छः परसेंट जी.डी.पी. का एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन की बात अपनी रिपोर्ट में कही है। आप आज कहां की बात कर रहे हैं? वह सरकार छः परसेंट जी.डी.पी. के एक्सपेंडिचर की बात कर रही है, जब यू.पी.ए. के समय में वर्ष 2013-14 में एक्सपेंडिचर था that was 4.4 percent of GDP on education. Soon after that in 2019 -2020, expenditure of GDP on education is only 3.1 percent. यह वह सरकार कहना चाह रही है कि हम इसको छः परसेंट करेंगे जो आज तक छः सालों में नहीं कर पाई? आप इससे पहले के आंकड़े निकाल लीजिए। अगर चार या साढ़े चार प्रतिशत से ज्यादा आपकी जी.डी.पी. का ऐक्सपेंडिचर होगा तो मैं आप लोगों को मान जाउंगा। उसके बाद सबकुछ बहुत अच्छा है।

सभापति जे0के0 द्वारा----

15.09.2020/1630/JK/YK/1

सभापतिः माननीय सदस्य, जो 6 परसेंट की बात हो रही है, वह 2032 की बात है। जब यह पॉलिसी वर्ष 2032 में ग्राउंड पर आएगी,तब की बात है।

श्री आशीष बुटेलः माननीय सभापति जी, मैं वही कह रहा हूं कि जब डॉक्टर कुठारी ने वर्ष 1964 में 6 परसेंट जी.डी.पी. की बात की है और जो यह नई शिक्षा नीति बनी है, मेरे ट्रेज़री बेंचिज़ के दोस्त यह कहते रहे कि इतने सालों के बाद यह आई है। तो अगर इतने सालों के बाद यह नई शिक्षा नीति आई है, तब भी आपने इसमें 6 परसेंट का ही प्रावधान एजुकेशन के ऊपर रखा है, मेरा तो आपसे यह पूछना है। दूसरे, इसके अन्दर बड़ी-बड़ी बातें कही गई

हैं, इम्पलीमेंट किसने करनी है? In this policy there is not a mention of implementation of any of the schemes. ग्राउंड रियलिटी क्या है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन्ज़ हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, एक्सैस की प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी, यह तो राष्ट्रीय नीति है, कोई हिमाचल प्रदेश की नीति नहीं है। आप ओवर ऑल देखिए, उधर 'quality of education' नहीं है 'access of education' नहीं है, आप फिर भी ऐसी नीति ले करके आएंगे। फंडिंग कैसे होनी है, यह भी नीति में कहीं पर स्पष्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अथॉरिटीज़, यू.जी.सी. जो हमारा युनिवर्सिट ग्रांट कमिशन है, उसको आपने इस नीति के अन्दर हटा दिया। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, आपने छोटी-छोटी रैगुलेटरी अथॉरिटीज़ और तैयार कर दी। आप नई अथॉरिटीज़ को तैयार करके क्रप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, आप किसी और के कंट्रोल को बढ़ावा दे रहे हैं, ये आप इस नीति में करने जा रहे हैं।

महोदय, यह भी कहा गया है कि वर्ष 2040 तक यह पॉलिसी इम्पलीमैंट हो जानी चाहिए। परन्तु यह किसने करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, there is no time line of events in this policy. आपके सामने यह पॉलिसी है, आप मुझे खोल करके बता दें कि कहां आपने यहां पर टाइम लाइन डिफाइन की है? सभापति महोदय, किस तरह की यह पॉलिसी होनी चाहिए, हमने इसमें क्या बात की है, हमने कहा है कि हमारा तीन साल का

15.09.2020/1630/JK/YK/2

आंगनवाड़ी, 2 साल में Class I & II, which will also come under Anganbari. According to this policy, foundation course will also be a part of Anganbari. मुझे यह बताएं कि एजुकेशन डिपार्टमैंट मतलब तीसरी कक्षा से ऊपर एजुकेशन डिपार्टमैंट चलेगा, उससे पहले वैल्फेयर डिपार्टमैंट चलेगा और इस पॉलिसी में यह लिखा है कि जो आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को आप ट्रेंड करेंगे। बहुत अच्छा है, आप उनको भी ट्रेंड करिए। लेकिन सभापति महोदय, सरकार हमें ज़रा यह बताएं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 6

महीने की ऑन लाइन ट्रेनिंग आप कराने जा रहे हैं, how will it equate JBT and NTT teachers? जो दो-दो साल की ऑन साइड ट्रेनिंग्ज़ हो रही हैं। कॉलेजिज़ में, इंस्टिट्यूशन्ज़ में जा करके ट्रेनिंग हो रही है how can a six month online training be equivalent to that? जो हमारे बच्चों की बुनियाद है, आप उसको वहीं पर हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार की नीति आ रही है। दूसरे, डिज़िटल लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा इम्फेसिज़ हैं। सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, क्योंकि आप भी टाइम देख रहे हैं। 28 percent adults in India own a smart phone, उससे ज्यादा नहीं है। There are issues of connectivity and issues of various other things, then how can you talk about digital learning without infrastructure? उसके बाद आप कहते हैं कि creation of infrastructure होगा। Creation of infrastructure हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी? हिमाचल प्रदेश की सरकार आज की तारीख़ में आपको 10 परसेंट देना पड़ता है, 90 परसेंट समग्र शिक्षा के अन्दर 90:10 की रेशो है। 10 परसेंट आपसे दिया नहीं जा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं । आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि इन्फ्रास्ट्रक्चर को और डवल्प करेंगे? आपके ऊपर जो 10 परसेंट का और बर्डन पड़ेगा, वह आप कैसे बीयर करेंगे? उसके बाद हम बात करते हैं out of school children की, उनको वापिस भी लाना है, स्कूल के अन्दर भी लाना है, ट्रेनिंग भी करवानी है, उनको हमने मेन स्ट्रीम के साथ भी जोड़ना है और यह सारे-का-सारा बर्डन आपने वॉलंटियर्ज़ के ऊपर शिक्षा नीति में र ख दिया है। You have given emphasize on the volunteers for this purpose. मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें अभी शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि there is mention of various castes जो भी इन सबका आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। But there is only mention. There is absolutely not even one word related to reservation of these people.

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

15.09.2020/1635/SS-HK/1

श्री आशीष बुटेल क्रमागत :

There is absolutely not even a single word related to reservation of these people. There is no word where it says "marginalize communities" कि हम

मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए क्या रिजर्वेशन देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए क्या रिजर्वेशन देंगे, यह आपके डाक्युमैंट में कहीं भी नहीं लिखा।

महोदय, इसके अलावा हायर एजुकेशन की बात करते हैं। हायर एजुकेशन में आपकी पॉलिसी क्या कहती है कि that each institute can make its own rules; can decide minimum qualifications, policy structures, service conditions of employees etc. How will there be parity? आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर मैं डिसाइड करता हूं कि कॉलेज कैसे चलाऊंगा, उसमें कैसे टीचर होने चाहिएं, स्टूडैंट्स-टीचर रेशो क्या होगी, आप अलग से चलाएं तो दोनों कॉलेजिज कैसे पैरिटी पर हो सकते हैं? आप दूसरी बात कह रहे हैं कि नेशनल रिसर्च एसोसियेशन रिसर्च के टॉपिक्स डिसाइड करेगी। मैंने नहीं करना है जो नेशनल रिसर्च एसोसियेशन डिसाइड करके दे रही है। How can you force me to do that? आप उस तरह से हमें फोर्स कर रहे हैं। कॉलेजिज को आप ऑटोनमस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है करना चाहिए। परन्तु महोदय आपको भी मालूम है कि कितना राजनीतिक संरक्षण एक कॉलेज को फोर्म करने के लिए मिलता है। आप देखिये कि जो अम्बानी साहब की यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर कितना विवाद हुआ और कितनी बार वह for all the wrong reasons न्यूज में आई and it was given a badge of excellence before it even existed. तो उस तरह की चीज़ें हमारे इंडिया में हो रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं to say that we are going to do this.

Sir, I am coming to the teachers. It says that there will not be any permanent appointments. There will be a five year probation period and then there will be a tenure track. सर, अगर कोई आदमी 40 या 50 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो क्या आप उसको तब भी प्रोबेशन पर रखेंगे? क्या आप उसको तब भी रेगुलराइज नहीं करेंगे? किसी कॉलेज की मनमानी पर क्या उसका भविष्य चलेगा? यह आपको देखना है। उसके बाद आप कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी सैलरीज़ हों, depending on how loyal you are, etc., गोल्डन हैंडशेक की बात होती है, ये सब चीज़ें कहां हैं?

15.09.2020/1635/SS-HK/2

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि there is no provision of either admissions or appointments in this. They club it as under privilege. जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि

अंडर प्रिवीलेज में वे सब चीज़ें क्लब हो गईं लेकिन आपने एडमिशन की बात कहां की कि किसको एडमिशन देंगे।

अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि ध्वाला साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। जब हम इनकी चेयरमैनशिप में कमेटी टूअर पर केरल गये थे और मेरे ख्याल में आप उसी स्कूल की बात कर रहे थे there was specific school for ST girls. जहां पर हम लोग गए थे। वहां पर जो आपने इक्विपमैंट की बात की, वहां पर तीर कमान भी पड़े थे, आर्चरी का भी खेल हो रहा था और सब चीज़ें हो रही थीं। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तक जो शिक्षा नीति चल रही है वह कांग्रेस सरकार के समय की है। यह सब तब सम्भव हुआ क्योंकि this policy in place जो नीति अभी चल रही है वह हमारे टाइम की 1986 की ही आगे एक्सटेंशन है। 1992 का ही एक्सटेंशन है। ध्वाला साहब मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इस बात को माने हैं कि हमारी पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी है जिसके द्वारा हम सब ये चीज़ें देख सकते हैं।

महोदय, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

15.09.2020/1635/SS- HK/3

सभापति (कर्नल इंद्र सिंह) : अब इस चर्चा में श्री नरेन्द्र ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर) : सभापति महोदय, डॉ0 राजीव बिंदल जी ने जो नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया है कि नयी शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करे उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सर, 34 साल बाद हमारे देश के प्रधान मंत्री व उनकी सरकार ने एक नयी शिक्षा नीति 31 जुलाई को इस देश के लिए दी है और वर्तमान हालात को मद्देनज़र रखते हुए लगभग सभी एक्सपर्ट्स और लर्नड लोगों के सुझाव लेकर यह नीति बनाई और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी रही है। पुरानी 1986 में जो नीति बनी थी, हो सकता है कि उस वक्त के हालात को देखते हुए वह सही बनी हो।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि उस नीति के तहत भी हिन्दुस्तान शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे गया है

जारी श्रीमती के0एस0

15.09.2020/1640/केएस/एचके/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी---

बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट हमारे देश ने पैदा किए हैं लेकिन उस नीति में ख़ामियां भी बहुत थीं। जो सबसे बड़ी ख़ामी मुझे नज़र आती थी, जो बच्चा कोई डिप्लोमा या डिग्री करके जाता था, उसको वाइट कॉलर जॉब के अलावा बाकी कहीं और जगह नहीं मिलती थी लेकिन आज मैं यह कहूं कि हमारे देश में जो इतनी ज्यादा बेरोज़गारी है, वह 1986 में बनने वाली शिक्षा नीति की देन रही है। हां, वर्ष 1992 में माइनर अमैंडमैंट की गई थी लेकिन यह जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें हमारा बच्चा जब डिग्री या डिप्लोमा ले कर बाहर निकलेगा तो वाइट कॉलर जॉब की तरफ़ ज्यादा न जा कर सैल्फ इम्प्लॉयमैंट की दिशा में भी उसको अपना रोज़गार चलाने के बड़े अवसर मिलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आजकल हमारे देश में शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि लगभग 1000 विश्वविद्यालय इस वक्त हमारे देश में चल रहे हैं। एक करोड़ से अधिक प्रोफैसर्ज़ और टीचर्ज़ अपना योगदान इसमें दे रहे हैं । 33 करोड़ के लगभग छात्र-छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस शिक्षा नीति के तहत यह काम हुआ कि जो हमारा एम.एच.आर.डी. विभाग था, उसको बदलकर इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया था। मैं यह कहूंगा कि इस नीति में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत में अब एजुकेशन दी जाएगी, वह युनिवर्सल होगी यानि सभी को एक जैसी एजुकेशन दी जाएगी जो कि बहुत ही ज़रूरी था। जितने भी वक्ता यहां पर बोले, सभी इसी बात पर स्ट्रैस कर रहे हैं तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी को universal education with 100 percent gross enrolment ratio सहित दी जाएगी। यह फंडामेंटल राइट है

और इसको इन्फोर्स करने का इसमें प्रावधान रखा है कि सभी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि 100 प्रतिशत उपस्थिति हो। 50 परसेंट बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे जबकि वर्तमान में सिर्फ 26-27 परसेंट बच्चे ही हायर एजुकेशन प्राप्त करते थे। इसमें जो एजुकेशन पैट्रन है, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। डॉ0 बिन्दल जी

15.09.2020/1640/केएस/एचके/2

ने उसके बारे में बताया लेकिन मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा इस बारे में कि नर्सरी, पहली और दूसरी यानि सैकिण्ड स्टैंडर्ड तक उसको पांच साल तक, उसके बाद मिडल, 8 साल तक और मिडल के बाद तीन साल और उसके बाद चार साल, 12 साल में अब आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कम्पलीट होगी। जो नर्सरी तीन साल की है वह भी इसमें इन्क्लूड की जाएगी। यह जो नया पैट्रन बनाया गया है, इस हिसाब से बहुत ज्यादा फायदा हमारे बच्चों को होगा। इसमें एक और बड़ी बात की गई है जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हायर एजुकेशन के लिए हायर इंस्टीट्यूशन्ज़ में एडमिशन पाने के लिए पहले मैरिट बेस पर एडमिशन मिल जाती थी और मैरिट कैसे बनती थी, स्कूलों में टीचर्ज़ के हाथ में क्या होता था, पेरेंट्स कहां-कहां एप्रोच करते थे, सभी को पता है और अच्छे बच्चे, जो अपने लैवल पर कुछ करना चाहते थे, वे अच्छे स्कूलों में एडमिशन पाने से वंचित रह जाते थे। अब हर एजुकेशन में प्रवेश पाने के लिए पूरे इंडिया में एक कॉमन एंट्रैंस एग्ज़ाम रख दिया है और मैं समझता हूं कि जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे, निश्चित रूप से वे अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूशन्ज़ में एडमिशन पा लेंगे। यह इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया है। दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

15.9.2020/1645/av/yk/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ----------जारी

जैसे यहां पर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि multiple entry and exit system में पहले ऐसा होता था कि जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ कर चले जाते थे, किसी ने मैट्रिक पास की है और प्लस वन या प्लस टू में पढ़ाई छोड़कर चला जाता था उनको कोई सर्टिफिकेट इत्यादि नहीं मिलता था। अब ऐसा किया है कि स्कूलिंग ऐजुकेशन के बाद आप जब कॉलेज लैवल तक पहुंचेंगे और एक साल बाद पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दो साल बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा और तीन या चार साल बाद आपको स्नातक की डिग्री दी जायेगी। उसके बाद आप एम0ए0 कर सकते हैं और बिना एम0फिल0 किए आप डायरैक्ट पी0एच0डी0 मे प्रवेश पा सकेंगे। यह जो पारदर्शी सिस्टम अपनाया गया है इसके लिए मैं समझता हूं कि यह वक्त की डिमाण्ड है और हमारे देश की शिक्षा को आगे ले जाने में इस नीति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें ग्रेड सिस्टम को भी लागू किया गया है। पहले यह होता था कि एग्ज़ाम आने पर कोचिंग दिलाकर बच्चों को रटा दिलवाया जाता था। उससे अभिभावक और बच्चों दोनों के ऊपर मानसिक दबाव रहता था तथा उसके क्या परिणाम सामने आते थे उनके बारे में आप सभी को जानकारी है। मगर अब नम्बर देने की बजाय ग्रेड सिस्टम के तहत बच्चे की आगे की कक्षा के लिए प्रमोशन की जायेगी। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया सिस्टम अपनाने से पहले से चले आ रहे रटा व कोचिंग सिस्टम में कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के तहत संस्कृत व क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जोर दिया जायेगा। इस पॉलिसी में यह भी लिखा है कि आई0आई0टीज0 में अनुवाद व व्याख्यान संस्थान की स्थापना भी की जायेगी। स्कूलिंग ऐजुकेशन में संस्कृत को मुख्य धारा बनाया जायेगा तथा पाठ्यक्रम हिन्दी, अंग्रेजी व दूसरी प्रान्तीय भाषाओं में भी आयेगा तथा उसके लिए बच्चों की अपनी च्वाईस होगी। यहां पर यह भी कहा गया कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जी0डी0पी0 का 6 प्रतिशत खर्च किया जायेगा जबकि पहले यह चार प्वाईंट कुछ प्रतिशत था। यहां पर अभी बुटेल जी कह रहे थे कि यह दो प्रतिशत की वृद्धि कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से यह दो

प्रतिशत की वृद्धि लाखों-करोड़ों रुपये में जायेगी क्योंकि दो प्रतिशत हाईक बहुत ज्यादा होती है। यहां पर युनाईटिड स्टेट्स की नैशनल साईंस फाऊंडेशन की तर्ज़ पर नैशनल रिसर्च फाऊंडेशन का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें साईंस ही नहीं बल्कि सोशल साईंस भी शामिल होगी। देश में बनने वाले बड़े-बड़े संस्थानों को यह फाऊंडेशन फाइनैंस करेगा और मैं कहना चाहता हूं कि यह सिस्टम शिक्षा के साथ-साथ रिसर्च को भी आगे ले जाने में मददगार होगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देश के कई राज्यों में अभी भी लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है क्योंकि वहां पर लड़कियों की पढ़ाई का वातावरण तैयार नहीं होता था। इस शिक्षा नीति के तहत उनको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है ताकि हमारी बच्चियां भी निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसीलिए इस शिक्षा नीति के तहत कस्तुरबा गांधी विद्यालय को 12वीं कक्षा तक करने का प्रावधान रखा गया है। यहां पर इस शिक्षा नीति को क्रिटिसाईज करना गलत है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय जगत सिंह नेगी जी को अगर किसी विषय पर नैगेटिव रोल देना हो तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। हम जो पुराने समय में फिल्में देखते थे तो उन सबमें लगभग अमरीश पुरी जी नैगेटिव रोल में दिखते थे, इन्होंने तो इस विधान सभा में उनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बातें एक्सैप्टेबल होती है यानी जो सबको पता होता है कि ये बातें अच्छी हैं; कम-से-कम उन बातों को तो मान लिया करो।

श्री टी सी द्वारा जारी

15.09.2020/1650/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर... जारी

यह ठीक है कि कमी को उजागर करना आपका काम है लेकिन जो कुछ अच्छी बातें होती हैं, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं इस शिक्षा नीति का पुरजोर स्वागत

करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले लागू किया जाए। धन्यवाद।

15.09.2020/1650/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी हिस्सा लेंगे।

श्री विनोद कुमार(नाचन) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस सदन में लाई गई कि नई शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करें। मैं भी इस चर्चा में हिस्सा लेने हेतु खड़ा हुआ हूं । आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाल ही में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, श्रेद्धय नरेन्द्र भाई मोदी जी के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। 34 वर्ष के बाद यह नई शिक्षा नीति आदरणीय मोदी जी द्वारा लाई गई। इस शिक्षा नीति के दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ0 कुमार स्वामी कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देश के 1000 उप-कुलपतियों, 150 शिक्षाविंदों तथा 2.25 लाख सामान्य नागरिकों के सुझाव लिए । यह शिक्षा नीति देश की आज तक की सभी शिक्षा नीतियों में सबसे अधिक व्यापक एवं प्रगतिशील है। मैं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी को और हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री, आदरणीय गोविन्द सिंह ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि आपने नई शिक्षा नीति 2020 को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात कही है। जैसा यहां भाई नरेन्द्र ठाकुर जी ने कहा कि जिस तरह से आपने इस शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू करने की बात कही है, मैं इस बात को विश्वास के साथ कहूंगा कि प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश इस शिक्षा नीति को लागू

करने वाला पहला प्रदेश बनेगा। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री को अपनी और इस माननीय सदन की ओर से बधाई देना चाहूंगा। जैसे ही इस शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया, देश और प्रदेश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा शुरू हुई। शिक्षा क्या है? इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने और सीखाने की क्रिया। इसके व्यापक अर्थ को देखते हुए, शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को

योग्य बनाया जाता है। शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल कर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एंव उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। नई शिक्षा नीति में प्लस टू प्रारूप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे प्लस टू से बांटकर 5+3+3+4 के प्रारूप में डाला गया है।

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी....

श्री विनोद कुमार... जारी

इसका मतलब है कि अब स्कूल में प्री-प्राइमरी के तीन साल और कक्षा-1 व कक्षा-2 के दो साल फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे। फिर अगले तीन साल कक्षा 3 से 5वीं तक की कक्षा को प्रीपरेटरी स्टेज में डाला गया है। इसके बाद कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के तीन साल मध्य चरण और कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के 4 वर्ष माध्यमिक अवस्था में शामिल होंगे। इसके अलावा स्कूलों में किसी भी स्ट्रीम का कठोर पालन नहीं किया जाएगा। जो बच्चा जिस विषय को पढ़ना चाहता है वह उस विषय को पढ़ सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो नई शिक्षा नीति लाई गई है इसके लिए स्थानीय भाषा में एक भूत शब्द का प्रयोग किया

गया। भूत को जिस तरह से सजाया जाता है, इस तरह के शब्द का यहां पर उपयोग किया गया है। भारतीय होने के नाते, हिमाचली होने के नाते इस शिक्षा नीति को अगर भूत शब्द से नवाजा जाए तो यह बात उचित नहीं है। इस नई शिक्षा नीति के तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चे अपनी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा और स्थानीय भाषा हिंदी है तो हमारे बच्चे यह पहली से पांचवी तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ग्रहण कर सकते हैं। यदि हम पंजाब की बात करें तो स्वाभाविक है कि वहां की स्थानीय भाषा पंजाबी है। इस तरह बंगाल की स्थानीय भाषा बंगाली है और आंध्र प्रदेश में स्थानीय भाषा तेलगू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर प्रदेश में अपनी-अपनी स्थानीय भाषा है और वह बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में जहां आसानी होगी, उसके साथ-साथ अपनी मातृभाषा की भी पहचान मिलेगी। साथ ही इस नीमि में मातृभाषा को कक्षा आठवीं तक और आगे की शिक्षा के लिए भी प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स भी शुरू किये जायेंगे व छठी कक्षा के बाद इंटरशिप की व्यवस्था भी की गई है। वर्तमान में वोकेशनल कोर्स जमा एक व जमा

15.09.2020/1655/RKS/AG-2

दो कक्षाओं में ही आरंभ करवाए गये हैं, नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो मुझे लगता है वह यही है कि मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट सिस्टम का लागू होना। अभी यदि कोई छात्र तीन साल की इंजनीयरिंग पढ़ने या छः समेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार जी, आप और कितना समय लेंगे?

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक से अधिक पांच मिनट।

अध्यक्षः इस सदन की कार्यवाही 17.05 बजे (पांच मिनट) तक बढ़ाई जाती है।

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इस मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर प्रमाणपत्र, दो साल के बाद डिप्लोमा और चार साल के बाद जब वह पढ़ाई छोड़ेगा तो उसे डिग्री मिल जायेगी। इसमें देश के ड्रॉप-आउट रेशो में बहुत कमी आयेगी। अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और स्टेंड अलोन संस्थान के लिए अलग-अलग नियमों की व्यवस्था की गई थी लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत अब सभी में एक समान नियम बनाए जायेंगे। अभी शायद आई0टी0 के एस0सी0/एस0टी0 व ओ0बी0सी0 के बच्चों को लेकर इस नीति में व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

15.09.2020/1700/बी0एस0/ए0जी0/-1

श्री विनोद कुमार जारी...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस शिक्षा नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सहायता राशि हमारी सरकार द्वारा दी जाएगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि यदि हम सब इस नई शिक्षा नीति को सही तरीके से कार्यान्वित करेंगे तो भविष्य में भारत विश्व के अन्य देशों के समक्ष खड़ा हो सकता है और भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी द्वारा जो नई शिक्षा नीति प्रस्ताव यहां पर लाया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द जय हिमाचल ॥

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कृपया सदन का समय बढ़ाएं और इस चर्चा को आज ही समाप्त करने की कृपा करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आज चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना विषय रख चुके हैं और इस पर अगली कार्यवाही काल होगी। कृपया आप बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि जब यह सत्र शुरू हुआ था उससे पहले सर्वदलीय बैठक में भी और बिजनैस कमेटी में भी यह तय किया था कि हम पांच बजे तक इस सत्र को चलाया करेंगे क्योंकि उसके बाद विधान सभा भवन और परिसर सनेटाइज होता है और सनेटाइज हवा में नहीं धरातल पर होता है। इसलिए उसे समय लगेगा। जिस विषय पर यहां पर चर्चा हो रही है वह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव रखें हैं। यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार 16 सितम्बर, 2020 के 11:00 बजे (पूर्वाह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**

दिनांक : 15 सितम्बर,2020 **सचिव।**